(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्टम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का 5वां दिवस [संख्या 4

शुक्रवार

दिनांक 28 सितम्बर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री :(राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 5(12) रेव ग्रुप-78 दिनांक 11 नवम्बर, 1978

(2) अधिसूचना संख्या प. 7 (26) राज ग्रुप-4/77, दिनांक 7 मई, 1979.

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रपाल सिंह

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (सभापति, जनलेखा समिति) : माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं जनलेखा समिति, 1978-79 के ग्यारहवें प्रतिवेदन, जो विनियोग व वित्त लेखे, 1973-74 और वर्ष 1973-74 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदम (सिविल) से सम्बन्धित है, को उपस्थापन करता हूं।

राजकीय उपक्रम समिति का सातवां व आठवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, उनकी जगह में रख रहा हूं क्योंकि मैं भी राजकीय उपक्रम समिति का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(श्रीमूलचन्द डागा)

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम (फर्नीचर उत्पादन केन्द्र) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम (ट्रेड सेन्टर कम इण्डस्ट्रियल म्यूजियम) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का आठवां प्रतिवेदन।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

राजस्थान पत्रिका (26 अप्रेल 1979) में प्रकाशित आठ विधायकों का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत आपकी सम्मति से विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान, राजस्थान विधान सभा प्रदेश की सर्वोच्च जन प्रतिनिधि सभा है जिसका सदस्य होने का हम सब को गौरव है। इसकी प्रतिष्ठा, गरिमा और शालीनता को बनाये रखना हम सब का परम कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को निभाते हुए मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है।

तारीख 26 अप्रेल, 1979 की राजस्थान पत्रिका के मुखपृष्ठ पर लिखा है कि महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी सरकार विरोधी रूख लिये जाने पर अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ कर सक्रिय राजनीति में आ जायें। उन्होंने वक्तव्य दिया है वह सारा न पढ़ कर और समय ज्यादा नहीं लेकर मैं वह पैराग्राफ पढ़ूंगा जिससे यह मालूम होगा कि उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है।

श्रीमान, जिन माननीय विधायकों ने वक्तव्य किया है उसमें माननीय जगदीश चन्द्र शर्मा, श्रवणलाल, हरलाल खर्रा, रघुनन्दन व्यास, गणेशीलाल, और चुन्नीलाल जी हैं। इन्होंने यह वक्तव्य 26 अप्रेल के दिन दिया जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसमें कई बातें कहीं और कहते कहते उन्होंने अपनी सीमा लांघकर यहां तक कहा कि श्री लक्ष्मणसिंहजी ने पिछले दिनों अध्यक्ष पद की गरिमा को काफी क्षति पहुंचाई है। दिल्ली में एक गुट के नेता बनकर वे केन्द्रीय नेताओं से मिले। इससे साबित होता है वह सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं। श्री गुल मोहम्मद और नवरंगसिंह को विधान सभा समितियों का सभापति बनाने का जिक्र करते हुए वक्तव्य में यह कहा गया गया कि इससे पता चलता है कि अध्यक्ष महोदय युद्धविराम की जगह अपने समर्थकों के माध्यम से शीत-युद्ध जारी रखना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका यह वक्तव्य इस पत्र में प्रकाशित होने के बाद जब मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उसी रोज 26 अप्रेल 1979 को ही सचिवालय में दिया। सचिवालय ने बड़े अन्वेषण के बाद सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ यह कहा कि इसके विषय में आपको कुछ कहना है। वह मौन रहे। उन्होंने यह वक्तव्य दिया था, जब सचिवालय ने इनको सूचित

(श्री मूलचन्द डागा)

कर दिया तो माननीय सदस्यों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इससे साफ पुष्टि होती है कि माननीय सदस्यों ने यह वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य जो कि आज मैं पेश कर रहा हूं उससे यह साफ जाहिर होता है कि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और महिमा महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ने गिराई है। मैं अधिकार के साथ कह सकता हूं और अपनी पूरी ताकत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी जब तक इस कुर्सी पर आसीन थे, अध्यक्ष पद पर आसीन थे उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ निभाया है और निर्वहन किया है। इस सदन के सारे माननीय सदस्य बैठे हैं और जितने दल हैं उन सब दलों ने उनमें विश्वास प्रकट किया है।

अब, माननीय अध्यक्ष जी एक तरीका है कि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो, श्रीमान या तो सब्सटेंन्टिव मोशन लाया जा सकता है या नियम 132 के नीचे नो-कान्फीडेन्स मोशन भी लाया जा सकता है। यह कर्तव्य जिस प्रकार से माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने निर्वहन किये हैं सदन की मान्यता मर्यादा और प्रतिष्ठा और इज्जत को बढ़ाया है. । श्रीमान नियम 183 के नीचे भी अध्यक्ष सभापति के पद पर नामजद कर सकते हैं। वह नियम 183 है इस नियम 183 के नीचे उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है यह बात कहना गजब है कि माननीय अध्यक्ष ने पक्षपात करके यह काम किया है। यह बताया है कि अपने राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री गुल मोहम्मद और श्री नवरंगसिंहजी को सभापति मुकर्रर किया। मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई भी कमेटी पहले बनी थी, इसके पहले भी नवरंगसिंह जी सभापति थे। उसके अलावा जब माणकचन्द जी सुराणा हाउस कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे तो श्री गुलमोहम्मद के बारे में पहले मैं निर्णय हो चुका है कि यह सभापति बनेंगे और वह बनाये गये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शार्ट स्टेटमेंट रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहना चाहता था कि यह रिफ्लेक्शन है।

"Examples of speeches and writings which have been held to constitute breach of privilege and contempt of the House may be categorized as under :—

"Reflections on the character and impartiality of the Speaker in the discharge of his duties."

उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। अगर माननीय सदस्यों को एतराज था तो या वे सबस्टेन्टिव मोशन रखते या-नो कान्फीडन्स मोशन के द्वारा यह बात पैदा होती....

श्री अयूब खां (तिजारा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(श्री अयूब खां)

अध्यक्ष महोदय, क्या आपने विशेषाधिकार के मामले को उठाने की इजाजत दे दी है ?

कई माननीय सदस्य : आप अजेण्डा में देखिए।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) He has a right to clarify his point.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय डागा साहब, संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी का इतना लम्बा चौड़ा भाषण देना गलत है। मैं समझता हूं जानबूझ कर....

श्री अध्यक्ष माननीय : सदस्य, स्थान ग्रहण करें ...

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय महारावल साहब, विरोधी दल के नेता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रघुनन्दन व्यास : सत्य को सत्य कहना प्रिविलेज नहीं है। मैं इसको चैलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें। मैं डागा साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी बात ब्रीफ में रखें। आगे की कार्यवाही भी काफी लम्बी है।

श्री मूलचन्द डागा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं अपना गौरव समझता हूं।

मैंने जब मोशन मूव किया, सबसे पहले मैंने कहा था कि माननीय अध्यक्ष की सहमति से रखता हूं। जो एतराज उठाया गया....

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार प्रश्न की अनुमति के लिए संक्षिप्त वक्तव्य

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : आपको अनुमति नहीं दी गई है। आपने यह देखा है नियम 160, इसमें संक्षिप्त वक्तव्य जरूर दे सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अनुमति प्रदान कर दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं डागा साहब को यही निवेदन कर रहा हूं कि अपने वक्तव्य को शार्ट में रखें। काफी बात बता चुके हैं मेरे ख्याल में। सदन की अनुमति लेना चाहता हूं।

(6)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य का ब्रीफ स्टेटमेंट पहले होना चाहिये। माननीय सदस्य का राइट है।

श्री ईश्वरचंद्र : आफ आन ए पाइन्ट आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 160 और उसके बाद के नियमों में आप सदन से एकदम अनुमति नहीं मांगेंगे। इस प्रश्न पर, आया अनुमति दी जाये या न दी जाये, डिबेट करेंगे। इसलिए अनुमति देने से पूर्व, अनुमति मांगने से पूर्व, इस पक्ष को अवश्य सुनना होगा ...

(व्यवधान)

जब इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे, प्राइमाफेसी मेंटर है इस पर अनुमति मांगी जा सकती है....

(व्यवधान)

मेरा पाइंट आफ आर्डर तो सुन लीजिये....

श्री मूलचन्द डागा : There is no point of order.

श्री ईश्वरचन्द्र : There is a point of order. You cannot make a long speach under the rules at this stage.

श्री मूलचन्द डागा : I have moved a motion undor rule 157.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था देना चाहूंगा आपके पाइंट आफ आर्डर पर। इस विशेषाधिकार के प्रश्न को हाउस में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दे दी गई है। अब इसको हाउस की राय जानने के लिये कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को लिया जाये या न लिया जाये ब्रीफ स्टेटमेंट मांगा गया था। इसी के लिए डागा साहब से निवेदन किया था ब्रीफ स्टेटमेंट दे दें। हाउस की अनुमति लेने के बाद आगे की कार्यवाही करनी है। वह आपके डिसीशन के बाद होगी। डागा साहब, और कुछ फर्माना है?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के समक्ष अनुमति के लिये रखा गया है, उसे अनुमति प्रदान की जाए?

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : अगर किसी ने आपत्ति जाहिर की है तो देख लिया जाये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर–सर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : यह देखना है कि 10 माननीय सदस्य मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं....

श्री ईश्वरचन्द्र : क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि आप अनुमति द या

(श्री ईश्वरचन्द)

नहीं दें ।

श्री केदारनाथ : आपने 160 को पढ़ा नहीं । इसमें पहले ब्रीफ स्टेटमेंट होता है । अगर कोई आपत्ति करे तो....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में एक रूलिंग महारावल साहब दे चुके हैं । राजस्थान पत्रिका का सवाल उठाया गया था । अनुमति मांगी गई । पहले उस प्रश्न पर बहस हुई, अनुमति दी जाये या नहीं....

कई माननीय सदस्य : No.No.

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में यही हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन कर दूं, उस समय स्पीकर साहब ने अनुमति नहीं दी थी । अजेन्डा में शामिल नहीं था ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 160 के सब सेक्शन (2) की ओर दिलाना चाहता हूं : "If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall requset those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than ten members rise accordingly the Speaker shall declare that leave is granted.

श्री अध्यक्ष : मैं यही प्रक्रिया अपना रहा हूं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : If less than ten members rise, the Speaker shall inform the members that he has not the leave of the House.

सदन के 10 मेम्बर जब खड़े हों उससे पहले सदन का कोई मेम्बर इसमें आपत्ति करें तो आपत्ति कर्ता वर्ग की बात को सुनना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जिस वक्त आपने कवेश्चन पुट किया था, हां किसी ने नहीं कहा । जब आपने अनुमति मांगी, हां किसी ने नहीं कहा....

(व्यवधान),

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें ।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय, अध्यक्ष महोदय, जो आज की कार्य सूची जारी हुई है, उसमें भी यह लिखा है आइटम नं. तीन में "श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधानसभा प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत दैनिक राजस्थान पत्रिका के दिनांक 26 अप्रेल, 1979 के अंक में प्रकाशित राजस्थान विधानसभा के आठ सदस्यों के वक्तव्य के इस अंश के विषय में, जिसका सम्बन्ध माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा विधान सभा की कुछ समितियों के मनोनयन से है, विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या सुन लें।

श्री ईश्वर चन्द्र : तर्क का जवाब तर्क से दें।

मेरा निवेदन है The point is whehter this privllege motion comes in the perview of rule 157 or not.

उसके लिए यह पहले सेटिस्फाई करेंगे कि यह विशेषाधिकार हनन है या नहीं तब अनुमति देंगे। इसमें मेजोरिटी का सवाल नहीं है। पहले आपको कनविन्स करना पड़ेगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है-आइमा फेसी बोल सकते हैं लेकिन अभी अनुमति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Rull 157 is quite clear. A member may with the consent of the speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof.

जानकारी के लिए मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 157 के अन्तर्गत इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब यह विशेषाधिकार का प्रश्न सिर्फ इसलिये सदन के सामने पर रखा गया है कि माननीय सदस्यों को सदन में लेने में आपत्ति है या नहीं। अतः मैं जानना चाहता हूं अगर आपत्ति है।

श्री कौशल किशोर जैन : घोर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : तो 10 माननीय सदस्यों को खड़ा होना है।

(विरोधी पक्ष के करीब सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपत्तिकर्ता को सुनना चाहिये। माननीय ईश्वर चन्द्रजी ने आपत्ति की है। आप सुनिये :

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोई जरुरी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : पहले आपत्ति ... कर्ता को सुनिये।

श्री सूरज पाल सिंह : बहुमत की घोष देना चाहते हो क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय संदस्य, एक-एक करके बोलेंगे तो कुछ समझ में भी आयेगा। माननीय सदस्य ईश्वर चन्द्रजी, पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : जी।

श्री रघुनन्दन व्यास : प्रिविलेज बनता ही नहीं है, हमारी यह आपत्ति है।

श्री राम नारायण चौधरी : वे पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं, उससे पहले मैं अपनी बात बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आपने हाउस की राय जान ली। चूंकि 10 से ज्यादा मेम्बर उठ खड़े हुए हैं इसलिए आपको अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री ओंकार लाल चौहान : 10 से ज्यादा सदस्य खड़े हो गये तो अनुमति, अध्यक्ष महोदय, देनी होगी।

श्री परस राम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर I am speaking on a point of order.

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : On a point of order, Sir.

(व्यवधान)

The speaker shall declare.

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : पहले आपत्तिकर्ता को सुनना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 157 में प्राइमा फेसी मान कर हाउस में आपने इसको उठाने की अनुमति दी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके पक्ष में खड़े हो चुके हैं और इसके लिए मैं अनुमति दे चुका हूं। अब जिस विशेषाधिकार प्रश्न की यहां चर्चा है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, पहले बिराजे। माननीय सदस्यगण, बिराजे।

(व्यवधान)

उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को जांच के लिये, अनुसन्धान एवं प्रतिवेदन हेतु सुपुर्द किया जाता है। समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

(9)

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मानान सदस्य, माननीव सदस्यगण। अब आगे की कार्यवाही ली जायेगी। मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आपत्तिकर्ता को सुनना ही चाहिये था।

श्री ईश्वर चन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : No, there is no point of Order.

श्री ईश्वर चन्द्र : आपको अनुमति देनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 160 के अन्तर्गत आपको आपत्तिकर्ता को सुनना चाहिये था। हमारा निवेदन है कि यह विशेषाधिकार का हनन प्रश्न बनता ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अनुमति के प्रस्ताव पर....

(व्यवधान)

मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विशेषाधिकार के प्रश्न पर आसन से निर्णय दिया जा चुका है।

मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू की जाती है। माननीय सूर्य नारायण चौधरी कृपया संक्षेप में समाप्त करने की कोशिश करेंगें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कल....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) । कल नहीं परसों।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें, कृपया।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, आज मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूंगा

(10)

(श्री अध्यक्ष)

कि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर आज बहस होगी। विरोधी दल के कई वरिष्ठ माननीय सदस्य बोलेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई वरिष्ठ सदस्य बहस में भाग लेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह कार्यवाही सही रूप से चलेगी और हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का मौका देंगे, इसमें व्यवधान न डालेंगे जिससे कि आज की कार्यवाही समय से समाप्त हो और आपको भी ज्यादा देर तक नहीं रुकना पड़े। सरकार के सम्बन्ध में जो भी कुछ प्रश्न उठाये गये हैं उन पर सरकारी जवाब आप सुन पायेंगे। माननीय सूर्यनारायणजी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

व्यवस्था का प्रश्न

अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए समय सीमा

श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है और वह इस आशय का है कि जब राज्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जावे, चाहे यहां की विधान सभा हो, चाहे अन्य विधान सभा हो, केन्द्र में हो तो समय का बंटवारा, समय का निश्चित बंटवारा सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में बराबर होना चाहिए। माननीय उद्योग मंत्रीजी परसों तीन घंटे तक बोले हैं, आप परसों की कार्यवाही को देखें। सत्ता पक्ष के चार पांच सदस्यों के अलावा माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जब अपना बयान दिया तो उसके बाद एक घण्टा, फिर एक घंटा, फिर समय बढाया गया और उसके बाद पुनः आज चालू है। इसमें समय की सीमा हो, इसमें समय का बंटवारा हो, इस ओर कृपया मुझे ध्यान दिलाने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वास्तव में हमको सुना जाना चाहिये। उनका अधिकार जवाब देने का है। जवाब देने की सीमा होनी चाहिये। सारे सदस्य नहीं बोलें लेकिन मंत्री चार घंटे तक बोलें? माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदन, जहां जहां पर भी सदन है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वहां पर इस तरह नहीं होता कि सत्ता पक्ष को ही सारा समय दे दिया जाय। समय की सीमा की व्यवस्था पर निर्णय करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आपको सुन चुका हूं, आप विराजें।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कार्यवाही चलने दें।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : एक सैकिंड में सुन लीजिए।

(श्री कौशल किशोर जैन)

मेरा निवेदन है कि दो दिन से बहस चल रही है। आप विरोधी पक्ष के दो सदस्यों को और सत्ता पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक सदस्य इधर से बोलें और एक माननीय सदस्य उधर से बोलें ताकि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : इनको उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। मन्त्री महोदय संक्षेप में समाप्त करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि ...

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया है विरोधी पक्ष को समय मिलने का, उस पर आपकी व्यवस्था नहीं हुई। समय का विभाजन आप करें कृपा करके....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अहम प्रश्न उठाया है। किसी आधार पर समय का बंटवारा हो सकता है। कृपया तय करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वैसे तो बहुत से माननीय सदस्यों ने नाम भेजे हैं। उनके हिसाब से आप चाहें कि टाइम मुकर्रर किया जावे तो शायद दो तीन दिनों में भी यह बहस खतम नहीं होगी। मैंने यह कहा था कि हरएक पार्टी के सचेतक महोदय लिस्ट दे दें, उस लिस्ट को मैं प्राथमिकता दूं। उस तरह की लिस्टें पहुंच चुकी हैं और उसी हिसाब से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे प्राथमिकता के आधार पर बोलें। उनके बाद में अगर समय बचता है तो बाकी दूसरे सदस्य बोलना चाहेंगे तो उनको भी टाइम देने में एतराज नहीं है हमें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, या तो मैं मेरी बात को ठीक से नहीं रख सका या आसन ने ठीक से विषय को नहीं लिया। मैं यह नहीं कहता कि सबको बोलने की अनुमति दी जाय। मेरा सीधे तौर पर निवेदन है कि जो समय की सीमा निर्धारित की है, सता पक्ष और विरोधी पक्ष को किस अनुपात में समय दिया जाय, इस बात को ध्यान में रखते हुए तय करें कि विरोधी पक्ष का प्रस्ताव हुआ है, उसको अपनी बात करने का मौका निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, जबकि यह नहीं होकर सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप यह निर्णय दें कि सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष का समय का बंटवारा कैसे होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिस्ट के हिसाब से जो सदस्यों की सूची दी है उसके अनुसार 15 मिनट हरएक सदस्य को बोलने का मैं मौका देता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उद्योग मन्त्री जी तीन चार घण्टे तक बोलें, उनको आपने किस सीमा के तहत बोलने की अनुमति प्रदान की है ?

श्री अध्यक्ष : मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, माननीय महोदय।

श्री नूरा (मसूदा) : उद्योग मन्त्रीजी को परसों पांच बजे से सात बजे तक, दो घन्टे तक बोलने का मौका दिया जब कि हमारे माननीय सदस्यों को बहुत कम मौका मिला है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : 5 बजे से 7 बजे तक उद्योग मंत्रीजी बोले, दो घटे में भी वे अपना भाषण समाप्त नहीं कर सके तो कब कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इसलिए आपसे, माननीय सदस्यों से यह सहयोग मांगा कि अगर कोई भी माननीय सदस्य बोलें उसमें व्यवधान डाला जायेगा तो वह अपनी बात समय से समाप्त नहीं कर पायेंगे। ऐसा लगता है परसों, मैं थोड़ी देर बैठा था, लेकिन व्यवधान काफी रहा इसलिये शायद वे अपनी पूरी बात नहीं रख सके। आज मैंने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि इसमें व्यवधान नहीं होगा तो सभी माननीय सदस्य अपनी बात कह पायेंगे और सत्ता पक्ष के सदस्य भी कह पायेंगे। आज की कार्यवाही के लिए मेम्बरों की सूची को देखते हुए सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आधा समय विपक्ष को और आधा समय सत्ता पक्ष को मिलेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : विरोधी पक्ष को निश्चित रूप से उतना समय दिया जाय जितना उद्योग मन्त्रीजी को समय दिया गया। विरोधी पक्ष के प्रमुख वक्ताओं को उतना समय दिया जाय जितना उद्योग मन्त्रीजी को दिया है।

श्री नूरा : एक मन्त्रीजी को दो दो घन्टे बोलने का समय दिया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : यह उचित नहीं है कि उद्योग मंत्रीजी दो घटे तक बोलें ...

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब उद्योगमंत्रीजी बोल रहे थे तो एक घंटे तक विरोधी पक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया। एक के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बात उचित नहीं होगी कि उनको बोलने नहीं दिया जाय और व्यवधान डालें। ये बीच में नहीं बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय वर्माजी।

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पोइंट आफ इन्फार्मेशन, सर। इन्फार्मेशन का प्रश्न यह है, मान्यवर, आपने वक्ताओं की सूची के बारे में जिक्र किया है। इसके अलावा एक सूची और भी है, मान्यवर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देते समय आपने यह फर्माया था जिसका मैं स्मरण कराता हूं आपको, अविश्वास प्रस्ताव पर चूंकि बहस होने वाली है इसलिए आपने स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति नहीं दी थी। जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें भी अधिकार है, मन्त्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जाय। आपने भी फर्माया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जा सकेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मान्यवर एक सूची और है, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया कि किस प्रकार से उनको एडजस्ट करेंगे। मैं यह जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपको जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया जावे उस समय में इन्हें भी बोलने की कोशिश की जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : उनका नाम सूची में नहीं हुआ तो उनको भी लाजमी तौर पर समय देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं ध्यान रखूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी उनको लाजमी तौर पर चाहे पांच मिनट ही दें, दो मिनट ही दें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं ध्यान रखूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): कृपा करके आप उनको जानकारी दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समय बरबाद न करें, माननीय सदस्या।

मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं परसों यह निवेदन कर रहा था कि कि जहां तक आर्थिक प्रगति का प्रश्न है, हिन्दुस्तान के पिछले दो ढाई वर्ष की किसी भी काल से तुलना की जा सकती है। उस प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति ढाई वर्षों में हुई है वैसी प्रगति इससे पहले नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(१५)

श्री मूलचन्द डागा : जनता जांच करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

एक माननीय सदस्य : परसों भी यही बकवास हो रही थी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज, अध्यक्ष महोदय, कीमतों का प्रश्न उठाया जाता है, लेकिन मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई तब से मार्च 1979 तक करीब करीब कीमतें स्थिर रहीं। जो कन्जमशन के आइटम थे जैसे शुगर, उनकी कीमतें गिरी हैं। लेकिन इस बजट के बाद में यह कीमतें बढ़ी है और तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस प्रस्ताव का जो मकसद है, अगर इस प्रस्ताव का यह मकसद है कि वर्तमान सरकार को गिरा दिया जाए तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी कुछ केन्द्र में हुआ है उसके लिए करीव-करीब सभी क्षेत्रों में लोगों को पश्चाताप है।

कई माननीय सदस्य : नही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज देश के अन्दर जो स्थिति है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज इस देश में जो स्थिति है वह अराजकता की स्थिति है।

श्री मथुरादास माथुर : कार्ल मार्क्स के बाद ये ही बोल रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आपकी समझ में नहीं आएगा।

मैं यह विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आज सूखे का जैसा प्रकोप देश भर में है वैसा प्रकोप आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रदेशों के अन्दर जनप्रतिनिधि सरकारें बनी रहें। उत्तरदायी सरकारें बनी रहे। देश के अन्दर जनप्रतिनिधि सरकारों के प्रतिनिधि नहीं रहे परिणाम यह हो सकता है कि नौकरशाही को शासन करने का अवसर मिल जाएगा, उस विषम परिस्थिति से मैं सदन के माननीय सदस्यों को आगाह कर देना चाहता हूं, आज की वर्तमान विषम परिस्थिति का हल केवल उत्तरदायी सरकार ही निकाल सकती है, उत्तरदायी सरकार ही इस विषम परिस्थिति को टेकल कर सकती है। इसलिए इस पक्ष को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा ध्यान में रखना अति आवश्यक है। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि केन्द्र के अन्दर जो यह सिफारिश की गई है, लोक सभा को डिजोल्व कर दिया जाय और उसकी सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया गया है, उसका कारण केवल मात्र यह नहीं था कि कोई कान्स्टीट्यूशनल अनिवार्यता पैदा हो गई थी। यह कारण देश के इतिहास और समाज के

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

साथ जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर देश के अन्दर लोक सभा का डिजोल्यूशन नहीं होता तो निश्चित रूप से श्री जगजीवन राम को इस देश का प्रधान मन्त्री बनने का अवसर मिलता।

श्री मथुरादास माथुर : वोट कहां थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दैवयोग से ऐसा नहीं हुआ। यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अचीवमेन्ट बताओ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अचीवमेन्ट बता चुका हूं। और बताऊंगी।

मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समाज के अन्दर हरिजनों के प्रति जो घोर अनास्था है, तिरस्कार का भाव है, उसकी पुनरावृत्ति इस सारी प्रक्रिया में हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : बेलछी कांड में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : उदयपुर में एक हरिजन महिला को 6 दिन तक पुलिस थाने में मारा गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह वोट बटोरने का तरीका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने समय पर बोल लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : ये अपने वोट को पक्का कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्या बोलना चाहते हो ? स्टडी नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि इस प्रश्न पर विपक्ष अधीर हो जाएगा। जैसे ही इस प्रश्न को उठाया जाता है, इनको अपना अपना क्षेत्र याद आ जाता है। यहां पर जो बैठे हैं उनको इसके परिणाम भुगतने होंगे।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह : इस तरह की बातें करके—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

(16)

श्री हरीश शर्मा : यह इनकी दोहरी नीति है। एक तरफ हरिजनों की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी तरह नहीं हैं। दिमाग रखते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं

श्री मूलचन्द डागा : निवेदन और विनम्र शब्द कहने में ही आपने पांच मिनट लगा दिये हैं।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, यह सदन ढंग से नहीं चल रहा है। डागाजी, आप कृपया न बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : डागाजी, आपकी यह हाबी हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो भी व्यवस्था का प्रश्न उठावे, वह किस नियम के तहत उठा रहे हैं, उसका हवाला भी दें ताकि आसन को सहूलियत हो।

श्री माधोसिंह : मान्यवर, यह सदन मन्त्री महोदय का भाषण सुनने को तैयार नहीं है। जो इस प्रकार अव्यवस्था बार-बार कर रहे हैं उनको आप बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? इनको बाहर निकालिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। माननीय सदस्य

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय यहां पर इस समय विराजमान नहीं हैं, उन्होंने यहां पर एक प्रश्न उठाया था अलदारामजी के बारे में। मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं.......

श्री नत्थीसिंह : यह भी कोई बात है।

श्री हरचन्दसिंह : यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल ऐरन : हर शाख पर उल्लू बैठा है, अन्जामें गुलिस्तां क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : इनकी शक्ल उल्लू जैसी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सूर्यनारायण चौधरी से मैं यह निवेदन करूंगा कि अपने भाषण को जल्दी ही समाप्त करें और कृपया अपने भाषण को उत्तेजनापूर्ण न बनायें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं कहां बनाता हूं, इनमें सुनने की क्षमता ही नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वे हमारे दल के सदस्य थे, उनको मिलने की आवश्यकता क्या थी ? क्या....

श्री नवनीत पालीवाल : जब वह विवाद खतम कर दिया गया उसको फिर आप विवादास्पद बनाने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ केन्द्र की और कुछ राज्य सरकार की उपलब्धियां आपके सामने प्रस्तुत कीं। माननीय श्योपतसिंहजी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो सीमेंट के लिये मुंह बाये हुए खड़ी हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक जानकारी इस सदन को देना चाहता हूं। विगत कांग्रेस सरकार ने सीमेंट और स्टील के उत्पादन में प्रति वर्ष केवल साढे तीन प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि की आकांक्षा की थी और उसके लिये प्रावधान किया था लेकिन देश में जो आज का आर्थिक वातावरण बना हुआ है जिसके कारण आर्थिक विकास की गति तेज हुई उसके कारण जो आवश्यकता है वह सीमेंट और स्टील के क्षेत्र में 10 से 15 पर्सेन्ट बढ़ गई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हम सीमेंट और स्टील का अधिक उत्पादन करें। उसके लिये देश में राजनैतिक दृष्टि से स्थिरता का वातावरण होना चाहिये। प्रान्तों में और केन्द्र में स्थिर वातावरण होना चाहिये। अभी जो माननीय सदस्य उधर गये हैं मैं केवल उनको एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं। वह यह कि जब आपने जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिये आवेदन पत्र दिया था, उसमें एक शर्त यह भी है कि अगर दूसरे दल में जायेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोक सभा से इस्तीफा दे देंगे। उसमें दस्तखत हैं, लिखा हुआ है....

एक माननीय सदस्य : हम पढ़ चुके हैं उसको।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं कहना चाहता हूं....

श्री मदनसिंह दाता : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, अध्यक्ष महोदय। हम उसके बाद में भारत का संविधान है उसकी शपथ भी लेते हैं। अगर उसको आपने पलट कर कानून नहीं बनाया तो....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कानूनी दृष्टि से जो प्रश्न उठाया वह बिल्कुल वाजिब

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

है। मैं उससे सहमत हूं, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि जिस प्रतिज्ञा के फार्म पर दस्तखत किये उसकी अनुपालना करनी चाहिये अन्यथा देश में अपने अपने क्षेत्रों में जनता के सामने एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोगों को समय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अवश्य मिलेगा। मैं आपको समय दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, पिछली जुलाई में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था केन्द्र सरकार के विरुद्ध दो दिन की बहस के बाद यह एक संयोग है कि उसमें वहां के उद्योग मन्त्री जी ने इन्टरवीन किया था और यहां संयोग राजस्थान में भी, इस राज्य के उद्योगमन्त्री जी इन्टरवीन कर रहे हैं। उसका क्या हश्र हुआ, इस देश को पता है और इस इन्टरवेन्शन का क्या हश्र होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। जो पार्टी गांधीजी की समाधि पर झूठ बोल कर सत्ता में आयी और 27 महीने तक केन्द्र में रह कर तीन तेरह हो गयी, लोक सभा भंग हो गयी, मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं तीन महीने के बाद। इस परिवेश में राजस्थान की जनता सरकार जो समग्र क्रान्ति की हवा के घोड़े पर चढ़ कर आयी थी उसकी हवा निकल चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव का सामना इस सदन में और बाहर जनता में भी उन्हें करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि यह राज्य सरकार न तो जनता के प्रति संवेदनशील है, न रेस्पांसिबल है और न रेस्पांसिव भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जुलाई में जबरदस्त बाढ़ आयी, 48 घण्टे तक बरसात होती रही। उस अतिवृष्टि के फलस्वरूप अचानक बाढ़ आने की सूचना कहीं भी जारी नहीं की गई। जो लूनी में पानी आता था, इसके पूर्व 73-74 में भी बाढ़ आयी तो तत्कालीन सरकार ने दो दिन पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की इत्तिला के साथ वार्निंग दे दी थी। इस प्रकार की पूर्व सूचना नहीं देने के फलस्वरूप 425 लोगों की मृत्यु हुई। वह 425 लोगों की मृत्यु इसलिए हुई है कि 16 तारीख को पानी फूट जाता है शहर में लेकिन 32 घण्टे बाद भी कस्बा बाढ़ में रहता है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बालोतरा के कस्बे में सूचना नहीं कर सकी इसलिए 425 आदमियों की मृत्यु की दोषी यह सरकार है। इसलिए मैं इनके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य मंत्री यहां पर काफी डींग हांका करते थे कि कांग्रेस के राज्य में गोलियां चल गई लेकिन आपने 27 महीने में कितनी जगह गोलियां चलाई? इस सरकार ने हत्यायें की हैं इसलिये यह अविश्वास प्रस्ताव है इसको जल्दी पारित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, कानून

(श्री परसराम मदेरणा)

और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति और अराजकता के समाचार रोज अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यक भयभीत हैं। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का शोषण हो रहा है और इसकी छूट दे दी गई है। आर्थिक अपराधों की एक बाढ़ आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजनैतिक हत्याओं, विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में जो उल्लेख हुआ। मैं कल ही राजस्थान पत्रिका अखबार में पढ़ रहा था कि एक बड़े पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अन्दर एक 50 वर्षीय महिला की जंगल के अन्दर हत्या कर दी गई। ऐसा रूल आफ जंगल कभी रहा नहीं। इसलिये यह राज्य सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस में हड़ताल राज्य व्यापी और देश व्यापी थी लेकिन जहां तक राजस्थान राज्य का सवाल है पुलिस के लोगों में बार बार इ`डिसिप्लीन लाने और इ`डिसिप्लीन के साथ उन लोगों में असंतोष की भावना पैदा करने का कोई जिम्मेवार है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। इन्होंने यूनियन बना कर लोगों को संगठित करके इ`डिसिप्लीन बढ़ाने में पहल की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, मानसिंह को....

श्री परसराम मदेरणा : और अब वे लोग इन पर हुकूमत कर रहे हैं इसलिए राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री अयोग्य हैं। सरकारी तन्त्र का मनोबल टूट चुका है। प्रशासन ठप्प पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर यह सरकार सत्ता में रहती है तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों के सामने असुरक्षा का प्रश्न है। इसलिये इस सरकार को रुखसत किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं प्रथम बार सितम्बर 77 में किसानों का बहुत बड़ा जुलूस आया। छात्रों का आन्दोलन हुआ। मजदूरों का आन्दोलन हुआ। ट्रेड यूनियन वर्कर्स की हत्यायें की गई। विद्यार्थियों की गुदाओं में लकड़ियां डाली गईं और पूरे शिक्षा जगत में इन लोगों ने दमन का चक्र चलाया। इससे राजस्थान का किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय गरीब और हरिजन, अल्प संख्यक इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं, सरकार ने उनका विश्वास खो दिया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय जिसने असुरक्षा दी, अराजकता दी और राजस्थान को एक अन्धे कुए में धकेल दिया जहां से उसको निकालने के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

यह सरकार उपलब्धियों की बड़-बड़ी बातें करती है। जैसा कि उद्योग मंत्रीजी कह रहे थे वर्षों के बाद हमने आजादी में, लोकतंत्र में पहल की है। लोक तंत्र में, आजादी में पहल के नाम पर आने कुछ वोट तो कबाड़ लिये। वोट बटोर लिये। लेकिन जो परम्परायें, लोकतन्त्र के बाद में आई थी, उनमें, जो बिखराव आया है, वह हरएक व्यक्ति के सोचने और विवेक का प्रश्न है। सदन के अध्यक्ष की अवमानना। अध्यक्ष सदन का प्रतीक होता है। अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचाना, उनके निर्देशों की अवमानना

(श्री परसराम मदेरणा)

करना, जो सर्वमान्य मूल्य लोकतन्त्र के हैं, उनको गहरा आघात पहुंचाना, उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, लाना उनको अपमानित करना, इस सदन की गरिमा को घटाना है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी ने जब यहां पर एक निवर्तमान जस्टिस को वाइस चांसलर नियुक्त किया उनको आदेश दिया गया, उनको कहा गया कि आपको परमानेण्ट नियुक्त किया जाएगा। जब मुख्य मन्त्रीजी ने मेरे पास भेजा तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप कुछ अर्से के लिए जा रहे हैं तो आप अलोकप्रियता हासिल करेंगे। लेकिन अगर गवर्निंग कौंसिल ने वाइस चांसलर की पैनल बना दी है तो मैं राय दूंगा कि आप को चले जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार उनको इण्टरवीन किया गया, शिक्षा मन्त्री के टेलीफोन से हुआ है। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार अलोकतंत्री है। निवर्तमान जज की नियुक्ति का, अध्यक्ष महोदय, एक खतरनाक रास्ता निकाला है। यह गिरावट का द्योतक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार अलोकतन्त्री ढंग से कार्य कर रही है। लोकतन्त्रीय मूल्यों को बिखेर रही है। जुडिशियरी को करप्ट कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए कमीशन बैठाये। परसों केशवराय पाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने वेरी कमीशन में मामले चल रहे हैं........

एक माननीय सदस्य : नैनवा से आने वाले।

श्री परसराम मदेरणा : उन मुद्दों की चर्चा उठाई है। आप इसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। ज्यों ही आरोप पत्र देते हैं तो उसके लिए आप अखबारों में प्रचार करवाते हैं। चरित्र हनन और असेम्बली के नाम से उसको धक्का पहुंचाया गया है। लगातार धांधली और प्रचार करवा रहे हैं–वह माननीय सदस्य जनता पार्टी के सदस्य हैं। सांगानेर में ईश्वरसिंह के बाप की टी. बी. से मृत्यु हुई थी। 18 बीघा भूमि अलाट की थी। उसका प्रचार किया है कि परोक्ष लाभ से आवण्टन किया गया है। मैंने गवर्नमेण्ट एडवोकेट को कहा था, आपका अपाइंटमेंट एक्जीक्यूटिव अपाइंटमेंट है। हमने ब्रीफ दिया तो उसको एग्जामिन करना चाहिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, मैं 5 साल राजस्व मन्त्री रहा एक व्यक्ति को भूमि अलाट की है। रूल नं० 17 के अन्दर। अलाटमेण्ट रूल्स हैं। राजस्व मंत्री जी ने 4000 शरणार्थियों को जमीन दी है। इसका यह जजमेंट है कि रूल नं० 17 में गवर्नमेण्ट को पावर थी। चारो तरफ से सरकार की बात कर रहे हैं। यह रिप्लाई मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं ताकि माननीय सदस्य इसको पढ़ सकें कि सरकार का कौन सा आरोप है ? सरकार राजनीतिज्ञों का चरित्र हनन करने जा रही है। इसका रिप्लाई देना चाहिए। यह भी निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने लोकतन्त्री संस्थाओं को भंग किया। उन पर प्रशासक बैठा दिये हैं। चाहें पंचायत समिति हो चाहे सहकारी समिति हो........

श्री खेतसिंह राठौर : चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो।

(21)

श्री परसराम मदेरणा : चाहे म्यूनिसिपेलिटी हो सरकार ने लोकतन्त्र का गला घोंट कर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह इन शर्मा ने किया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सरकार लोकतन्त्र की हत्यारी है। इस सरकार ने जिस प्रकार का आचरण किया है। सरकारी सेवाओं में चयन के अन्दर, आज आम चर्चा यह है कि सरकारी सेवाओं के चयन में भ्रष्टाचार है। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह कहने की इजाजत लेना चाहता हूं, 1978 में उद्योग विभाग में सिलेक्शन में उम्मेदसिंह नाम का व्यक्ति सिलेक्ट हुआ। पहले उससे 8 हजार मांगे गये। वह गरीब आदमी था।

एक माननीय सदस्य : वह कौन था ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई गुप्ता, गुप्ता था।

इसकी शिकायत मुख्य मन्त्री तक हुई। इण्डस्ट्री मिनिस्टर सभी बातों को जानते हैं। उसने यह लिखा है।

"जो कुछ भी हो सके, समय पर लेकर आ जाना। प्रत्येक चीज की जिम्मेदारी मैंने स्वयं ने ले ली है।"

यह रिश्वत का मामला है। मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं। यह सरकार कुम्भकर्णी नींद में सो रही है। आप नींद में सो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सो नहीं रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह मामला ए. सी. डी. को दे दिया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला ए. सी. डी. को नहीं पहुंचा है। यह सदन को गलत सूचना दी गई है। इस बारे में मैंने खुद जानकारी की है। यह मामला ए. सी. डी. में नहीं पहुंचा है। मन्त्री महोदय, आप गलत बयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है इस केस के फैक्ट्स। इन्होंने तत्कालीन उद्योग निदेशक के खिलाफ मुख्य मन्त्री जी को लिखा था जो रद्दी की टोकरी में पड़ा है,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ईमानदारी का गला घोंट दिया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या उद्योग-मन्त्री जी यह बात कहेंगे कि श्री उम्मेदसिंह को सस्पेण्ड करने के लिए मुख्य मन्त्री जी को लिखा था और उनकी बात नहीं मानी गई ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जबाब दो।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : सारे मन्त्री बाण्डेण्ड लेबर हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

माननीय उद्योग मन्त्री जी ने अभी यह कहा कि यह मामला एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने यह बताया कि एण्टी करप्शन को नहीं दिया गया है। सदन के अन्दर जो विपरीत वक्तव्य दिये गये हैं तो इसका निष्कर्ष तो निकलना चाहिए। यदि उद्योग मन्त्री जी ने सच कहा तो उनको कहना चाहिए, यह विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। प्रद्युम्नसिंह जी कहते हैं कि एण्डीकरप्शन को नहीं दिया, This is a question of privilege. सदन के समक्ष इस प्रकार का वक्तव्य आना चाहिये जो गलत नहीं हो। दोनों में से एक वक्तव्य गलत होगा, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : या तो माननीय उद्योग मन्त्री जी माफी मांगें कि उन्होंने गलत कहा था। आखिर कौन सी बात सही है, दो विपरीत वक्तव्य हमारे सामने आये हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्मेदसिंह के चयन के मामले को लेकर के जो राज्य सरकार पर मैंने आरोप लगाया था, मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई व्यवधान डाला जाय, लेकिन तुरत-फुरत जो उद्योग मन्त्री जी ने उसका उत्तर देने का प्रयास किया, जो उन्होंने उत्तर दिया, उसकी सच्चाई को लोगों ने चुनौती दी है, मेरे पास भी ऐसी सूचना है, परसों पुछवाया था कि इस प्रकार का मामला एण्टी करप्शन में दिया गया है या नहीं तो सरसरी तौर पर पता चला कि इस प्रकार का कोई मामला रजिस्टर नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई दफा मामले सदन में उठते थे तो हम भी कहीं से सूचना एकत्रित करके उत्तर दिया करते थे। आप भी जानकारी कर लीजिए। आपको जो सूचना दी गई है वह सत्य नहीं है। मैं इस समय इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लोकतन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में भारी पक्षपात कर रही है। छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन की दर जो भारत सरकार दे रही है उससे उनको पांच गुना कम दी जा रही है। पहले तो उनके विज्ञापन ही बन्द कर दिये गये थे। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था कि एक समाचार पत्र की बिजली काट दी गई क्योंकि वह निष्पक्ष है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी बिजली ही नहीं काटी गई उस पर छापे भी डलवाये गये, लेकिन कुछ नहीं निकला। इसके बाद मुख्य मन्त्री जी ने ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर को भी लिखा, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सत्यता

(23)

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रमाणित नहीं हुई। इसलिए अखबारों में पक्षपात करके यह सरकार लोक तन्त्र की हत्या करना चाहती है, उन पर रोक लगाना चाहती है, यह कैसी लोकतन्त्रीय सरकार है? यही नहीं पंचायत राज संस्थानों के निर्वाचन मण्डल को शामिल करने के लिए यह सरकार जो बिल लाने वाली थी जिसका हमने विरोध किया था और डिवीजन भी करवाया था, इस प्रकार यह सरकार पंचायत राज संस्थानों को पंगु बना देना चाहती है। पंचायत राज सस्थानों का सीमित निर्वाचन-मण्डल बना कर अपने चहेतों लोगों को वहां बिठा कर इस सरकार ने यह कुषड़यन्त्र किया है। यह सरकार लोकतन्त्रीय सरकार नहीं है। इनका हर आचरण अलोकतन्त्रीय है। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंचों को राजनैतिक विद्वेष के कारण सस्पेण्ड किया जा रहा है और उनके मनोबल को इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनैतिक दुर्भावना के कारण यह जो इस प्रकार से हटाने की एक मुहिम चालू हुई है उसको देखते हुए मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि यह सरकार लोकतन्त्र की केवल बात ही करती है लेकिन इसका आचरण इसके बिल्कुल विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के प्रधान मन्त्रीजी जब दुबारा विजिट करेंगे तो उनको कच्चीबस्तियां नहीं नजर आयेंगी। करीब 67 कच्ची बस्तियां हैं जिनके लोग बाहर आये हुए हैं, उनके लिए कोई भी काम नहीं किया गया है, उनमें न नल की सुविधा है, न बिजली की और न सुनियोजित ढंग से उनको बसाया ही गया है, जब कि घोषणा की गई थी। यह सरकार जब कोई घोषणा करती है तो आचरण बिल्कुल उसके विपरीत करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए घोषणा की गई, बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाई जायेगी, सस्ते दामों के ऊपर वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायगा लेकिन कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

इसी प्रकार 24 मार्च, 1979 के बजट सेशन में इसी सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह प्रश्न पूछा था मैंने और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने, भारत सरकार ऐसा कह रही है कि मंहगाई एक फीसदी एक साल में बढ़ेगी, लेकिन 1 पर्सेंट तो पिछले 23 दिनों में ही बढ़ गई और रोजाना जो भाव बढ़ रहे हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? पिछली बार एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि एक पर्सेंट से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यह भी कहा था कि बाकी बहुत से चीजों के भाव तो गिर रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी के इसी सदन में, इस सुप्रीम हाउस में आश्वासन देने के बाद 15 पर्सेंट तो होल सेल प्राइसेज के भाव बढ़ गए हैं और अगला बजट सेशन आएगा, मार्च तक 6, 7 पर्सेंट और बढ़ जाने की बात अर्थशास्त्री कह रहे हैं। यह सरकार आश्वासन देती है और घोषणा करती है

(श्री परसराम मदेरणा)

और आचरण उसके विपरीत करती है। यह सरकार नाम की चीज है, मैं नहीं कहता कैसी सरकार है। इस सरकार का शुभारम्भ, इस सरकार का सूत्र पात ही झूठ के साथ हुआ है। यह कहा गया था कि 56% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं इसको फाइनेन्स कमीशन ने भी एण्डोर्स नहीं किया। फाइनेन्स कमीशन ने लिखा कि दूसरे और भी राज्य हैं जहां पर राजस्थान से भी ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं 42.8 प्रतिशत हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यह सरकार झांसा पट्टी देने और असत्य बात सदन में कहने की आदी हो गई है। आपने 54 करोड़ घाटे की बात कही, फिर बजट आया 50 करोड़ के घाटे की बात कही उसके बाद घाटा कम होता होता 31 करोड़ तक पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर ऐसी सरकार झूठ से ही प्रारम्भ करती है कि भूखा नंगा राजस्थान मिला है, उसके लिए क्या कहा जाए। राजस्थान का क्या स्ट्रक्चर था, क्या भौगोलिक और आर्थिक समस्यायें थीं। इस सरकार के अचीवमेंट्स नगण्य रहे हैं। इसमें राजस्थान को ज्यादा भूखा किया है, अकाल मंडरा रहा है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, आप दूसरों पर अपना दोष मढ़ रहे हैं, कभी भारत सरकार पर, कभी तत्कालीन वित्त मन्त्री पर, यह सब बहाना ढूंढने की बात है। इसलिए सदन में जो कुछ यह सरकार बात कहती है, सदन के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, यह सोचिए।

पिछली बार चित्तौड़गढ़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा। मुख्य मंत्री ने खड़े होकर कहा कि विभिन्न वर्गों के अन्दर सद्भावना रखने के लिए यहां पर बहस न की जाए, मैं बाहर इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के नेताओं से बात करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक मुख्य मन्त्री ने बात तक नहीं की। अजमेर जिले के लिए राजस्व मन्त्री ने एक कमेटी बनाई थी। एक बार मैं राजस्व मन्त्री, आपके साथ अजमेर गया था। उसके बाद में उस कमेटी का क्या हुआ? आपने दुबारा कोई मीटिंग नहीं बुलाई।

इसी प्रकार अकाल व बाढ़ के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसकी एक भी बैठक आज तक नहीं बुलाई है। मैं जिस कन्सल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूं, संसदीय कार्य मन्त्री ने खड़े होकर बहुत सी बातें कही थीं कि हम सदन को विश्वास में लेकर चलेंगे और जन प्रतिनिधियों के विचार सुनने के बाद सरकार अपने विचार बनायेगी, आज स्थिति उसके विपरीत है। उसी प्रकार भेड़ पालकों की समस्याओं के संबंध में, उनके निष्क्रमण के सम्बन्ध में, जो शांति व व्यवस्था की समस्या हो रही है, राज्य स्तर पर एक कमेटी की स्थापना की गई थी। उसमें कृषि मन्त्री पधारे थे और मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। मुख्य मन्त्री ने अधिकारियों की कमेटी में आश्वासन दिया था कि मैं इस कमेटी की मीटिंग को जल्दी बुलाने वाला हूं। एक साल हो गया, आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई है।

(25)

(श्री परसराम मदेरणा)

शिक्षा मंत्री ने विरोधी पक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, जो शिक्षा जगत में भारी असंतोष है, तीन बार आश्वासन इस सदन में पिछले सत्र में दिया था। लेकिन अभी तक बातचीत करने का कोई आचरण नहीं दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने वाली है। जो नार्म्स निर्धारित किए हैं, सैवन्थ वित्त आयोग ने जो मार्जिन मनी नेचरल केलमिटीज को मीट करने के लिए सरकार के पास भेजे हैं, उस सम्बन्ध में भारत सरकार जो भी सहायता देती है उस पर यहां एक वक्तव्य दिया। केन्द्रीय सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। दूसरा वक्तव्य मुख्य मन्त्री ने दिया है कि हम सहायता मांग रहे हैं, जो जन हानि हुई है उसके मुकाबले में हमने 117 करोड़ रुपये मांगे हैं और उन्होंने 9.80 करोड़ दिया है जो बहुत कम है। दोनों राजनेताओं में कौन सही बात कर रहा है, मेरे सामने प्रश्न है। जो केंद्रीय मन्त्री ने एक बात कही उसमें ज्यादा सच्चाई है। दूसरों पर दोषारोपण करके बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई कार्य नहीं किया। मुख्य मन्त्री ने 22 जून 1977 को कार्यभार सम्भाला तो बड़ी चौपड़ पर दो बड़ी घोषणायें कीं कि आज से भ्रष्टाचार तो गया, दूसरे पेयजल की व्यवस्था करेंगे। आपने कहा था कि एक निगम का गठन करेंगे पानी के लिए। इस सरकार के कार्यकाल के 27 महीने बीत जाने के बाद भी उस निगम की स्थापना सरकार करने में असमर्थ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। मुख्य मंत्री ने एलान किया एस.डी.ओज. और जिलाधीशों की मीटिंग में कि एक दिन मुकर्रर कर रहा हूं उस दिन से राज्य से भ्रष्टाचार निकाल देना। मुख्य मन्त्री आज तक वह दिन मुकर्रर नहीं कर सके।

लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में, अकाल को निकालने के लिए, पेयजल सुविधा हो, जल प्रदाय योजना का जाल राजस्थान के पश्चिमी भागों में बिछाने के लिए जो योजना तत्कालीन सरकार ने बनाई थी और भारत सरकार भी उत्सुकता दिखा रही है उस पर मुख्य मन्त्री सो रहे हैं। उस क्षेत्र के लोगों को बराबर झांसा पट्टी देकर चलाया जा रहा है। इसी तरह उद्योग मन्त्री ने उपलब्धियों का जिक्र किया। सरकार ने एक ही रट लगा रखी है चाहे सार्वजनिक निर्माण मंत्री हो, चाहे योजना मन्त्री हो, चाहे मुख्य मन्त्री हो, चाहे सिंचाई मन्त्री हो जो लम्बी छलांग भरने वाले हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि हमने योजनाओं का आकार इतना बढ़ा दिया है कि तुम्हारी पांच पंचवर्षीय योजनाओं का भी नहीं था। इस सम्बन्ध में परसों बता रहे थे कि 1700 करोड़ की योजना हमने बनाई है। यह कौनसी योजना है? रोलिंग प्लान कहां गया है? सदन के माननीय सदस्यों को इस योजना का प्रारूप आज दिन तक नहीं मिला है। आपका आधा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, कम से कम वह ड्राफ्ट प्लान तैयार किया होता? 1700 करोड़ के आपके पास

(श्री परसराम मदेरणा)

साधन हैं या नहीं ? कुछ आंकड़े वहां पर दिए । उद्योग मन्त्री ने, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी उस परिपाटी पर चलना ज्यादा पसंद किया । लेकिन आपके विभाग के जो परसों आंकड़े मिले हैं विधान सभा सचिवालय द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है पेज 2 पर 7 कंपनियों का उनके क्या अचीवमेंट्स रहे उसका उल्लेख किया है जिसका सम्बन्ध उद्योग मन्त्री से है ।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि., राजस्थान राज्य डेअरी विकास निगम लि., राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान राज्य चर्म संस्करण लि , राजस्थान राज्य होटल निगम, हाई टैक प्रेसीजन ग्लास लि., इन सातों को 1977–78 के दौरान संचयी हानि 224 49 लाख हुई लेकिन 1977–78 के दौरान शुद्ध हानि 123.55 लाख रही है । 10 साल में 224 लाख और एक साल के अन्दर 123 लाख टैक्स पेयर का घाटा करवाया है । ये कौन से अचीवमेंट्स हैं ? अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्य के मन्त्री लोग यह कहते हैं कि हमारी सरकार ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं । यहां पर बार बार राज्य सरकार की तरफ बैठने वाले कहते हैं कि जनता सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं । तो, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो दो-तीन उपलब्धियां यह बताते हैं उनमें से एक तो इनकी अन्त्योदय योजना की है । अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में पहले ही बहुत से सदस्यों ने इस सदन में कहा है और कुछ लोग बाद में भी इस सदन में कहना चाहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अन्त्योदय योजना के बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और मैंने राजस्थान पत्रिका में अप्रेल या मई में जो सर्वेक्षण इस योजना के बारे में किया गया उसका अवलोकन किया है । इसके बारे में दो लेख राजस्थान पत्रिका में छपे थे । उसके बाद में एक सर्वेक्षण भी सर्वोदय संस्था द्वारा भीलवाड़ा में किया गया । उसमें यह कहा गया है कि 66 प्रतिशत लोगों को अन्त्योदय योजना द्वारा लाभ पहुंचा है । जो कहा गया है वह गलत है । अन्त्योदय योजना द्वारा 66 प्रतिशत लोगों को फायदा न पहुंच कर सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को ही इस योजना से फायदा पहुंचने की सम्भावना है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : यह गलत है । मेरे भीलवाड़ा जिले में 60 प्रतिशत लोगों को अन्त्योदय योजना द्वारा अन्त्योदयी परिवार के लोगों को लाभ पहुंचा है, निश्चित रूप से पहुंचा है यह मेरी सही सूचना है ।

श्री रतनाराम : आप विराजिये । यह गलत है। हमें पता है कि आपने एक किताब छपाई है जिसमें यह आपने झूठी जानकारी दी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

(27)

श्री परसराम मदेरणा : तो अध्यक्ष महोदय, जो 60 प्रतिशत मिलने की बात कही है उसमें शंका है। इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि वित्त मन्त्री जी, आपने जो जोखम निधि के अन्तर्गत लोगों को हर्जाना दिया उसमें भी बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जो लाभ लोगों को मिलना चाहिये वह उन लोगों को नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर काम के बदले अनाज योजना के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटी बनी हुई है और इसी प्रकार जोधपुर में भी एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटी बनी हुई है। जोधपुर में जब डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मुख्य मंत्री जी भी बैठे थे, उस समय मैंने कहा था कि इस योजना में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। वहां पर मैंने जोधपुर की जो पंचायत समिति है उसमें और खास तौर से मेरी भोपालगढ़ पंचायत समिति में तो काम के बदले अनाज योजना में बड़ा ही जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इस भोपालगढ़ पंचायत समिति में जहां पर डेढ़ दो लाख रुपये के बंटने की बात कही गयी है वहां पर 30 हजार रुपया ही खर्च हुआ है। आपको मालूम होगा कि इसके बारे में शिकायतें भी बहुत आई हैं। भोपालगढ़ पंचायत समिति के यहां पर जो अधिकारीगण हैं वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं कि उनके बारे में जितना कहे उतना ही कम है। वह अधिकारी ऐसे हैं जो सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि ऐसे हैं जैसे राजनैतिक कार्यकर्त्ता हों जो हर वक्त सरकार के गीत गाते रहते हैं। यहां पर अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ पंचायत समिति के जो अधिकारी है जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना में जो भ्रष्टाचार किया है उसकी आप इस सदन के सदस्यों की समिति बनाकर जांच करावें या सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से जांच करावें जिसकी कि ईमानदारी संदिग्ध नहीं हो। अगर आप यह निष्पक्ष जांच करावें तो आपको पता लगेगा कि वहां लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों को तकनीकी मदद देनी चाहिये, मजदूरों को जो आपने पांच पांच हजार तक के ऋण देने की बात की उसकी यह हालत है कि बिना टैक्निकल सैंक्शन के आप की यह योजना भी बेकार हो गयी तो यह आपकी काम के बदले अनाज योजना और दूसरी योजनायें भी बेकार हो जायेंगी। आप का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहते हो वह यह है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस अचीवमेन्ट का पता जब लोक सभा के मध्यावधि चुनाव होंगे तब लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपना भाषण पांच मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। सिर्फ संक्षेप में ही कहूंगा और आपको दुबारा घण्टी बजाने का मौका नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक और जो कीर्तिमान पैदा किया है वह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का है। राज्य सरकार ने पिछले 27 महीनों में एक लाख लोगों के तबादले कर दिये हैं। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी उल्लेख

(28)

(श्री परसराम मदेरणा)

करना चाहूंगा कि किस प्रकार मन्त्री महोदय द्वारा राज्य में तबादलों में हस्तक्षेप किया जाता है। यह एक पत्र है जो मैं आपको सदन में पढ़ कर सुना रहा हूं। वह उप सचिव राजस्व ने रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है इसमें लिखा है: "प्रिय श्री जोशी जी, मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि श्री जगनप्रसाद पटवारी एवं बदलूराम पटवारी जिनको गिरदावर के पद पर पदोन्नत कर सिरोही जिले में लगाया गया है का अलवर जिले में ही पद स्थापन किया जावे एवं श्री जगनप्रसाद को मुन्शी राम यादव गिरदावर के स्थान पर तथा श्री बदलूराम को हरदयाल गिरदावर के स्थान पर अलवर जिले में ही पद स्थापित किया जावे। श्री मुन्शीराम यादव तथा हरदयाल गिरदावर को सिरोही जिले में लगाया जावे। यदि अलवर जिले में गिरदावर के स्थान रिक्त हो तो श्री मुन्शीराम यादव तथा हरदयाल गिरदावर को उन स्थानों पर लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कृपया शीघ्र आदेश जारी कर उसकी सम्पुष्टि हेतु सूचना मन्त्री महोदय के अवलोकनार्थ भिजवाने की कृपा करें।"

इसके जवाब में रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड ने लिखा है कि श्री जगनप्रसाद तथा बदलूराम के अलवर जिले में पदस्थापन का आदेश दिया है। श्री जगनप्रसाद तथा बदलूराम गिरदावर को इस कार्यालय द्वारा सिरोही जिले में पदोन्नति पर लगाया गया है उनका कोई स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर इस कार्यालय में नहीं है। श्री मुन्शीराम तथा हरदयाल गिरदावर पूर्व समय से अलवर जिले में कार्यरत है जब कि जगन प्रसाद तथा बदलूराम गिरदावर को पदोन्नत अभी किया गया है। अतः श्री जगनप्रसाद तथा श्री बदलूराम गिरदावर अलवर जिले में रहने का अधिकारी नहीं है और न ही मुन्शीराम तथा हरदयाल गिरदावर के खिलाफ शिकायत है। पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के यह प्रतिकूल है। विचारार्थ अवलोकनार्थ प्रेषित है।"

अध्यक्ष महोदय, इससे आपको पता लग जायेगा कितना हस्तक्षेप है। हो सकता है इन्होंने पुनः विचार करने के लिये लिखा होगा पर कोई विचार शायद नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तब उस वक्त मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि एक तहसीलदार का ट्रान्सफर फलां जगह कर दो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि रेवेन्यू आर. एस. आर. के अन्तर्गत तहसीलदारों का टान्सफर उनके हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट द्वारा होता है और वह चैयरमैन रेवेन्यू बोर्ड होता है। रेवेन्यू बोर्ड का चैयरमैन ही तहसीलदार का ट्रांसफर कर सकता है और गिरदावर पटवारी का ट्रान्सफर्स वहां के रैस्पेक्टिव कलेक्टर्स अपने जिलों में कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आर. एस. आर. के शिड्यूल 'ए' और 'बी' में मिनिस्टर और सेक्रेटरी को जो पावर्स हमारे यहां दिये हुए हैं उसमें गजेटेड आफिसर्स के ट्रान्सफर्स ही सिर्फ मिनिस्टर कर सकता है। मैं समझता हूं कि अभी तक वह रूल्स बदले नहीं होंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं, इस सदन के माननीय सदस्य ने? मैंने कभी भी अपने यहां से कोई पटवारी

(श्री परसराम मदेरणा)

या गिरदावर और तहसीलदार के ट्रांसफर डाइरेक्ट नहीं किये हैं। पर यहां तो आज दनादन सिपाही व चपरासी से लेकर कलेक्टर्स के ट्रांसफर्स मिनिस्टर लोग कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ठहरो थोड़े दिन बाद हम इनके खिलाफ में कमीशन बैठायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : हम कोई काम राजनैतिक दृष्टि से नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हम इनको माफी देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जाम्बिया के प्रधान मन्त्री ने एक बात कही थी कि dying horse hits hard. अब आपका समय नजदीक ही है।

श्री मथुरादास माथुर : कमीशन मुकर्रर हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कहना है इस प्रकार राज्य सरकार को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसफर्स में हस्तक्षेप नही करना चाहिये। इससे बदनामी होती है। इसके साथ साथ मैं यहां पर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर एक बात और देखी गयी है प्रजेन्ट गवर्नमेंट की, जब कभी बाढ़ या अकाल आता है तो हमारे मख्य मन्त्री जी सीधे बम्बई या कलकत्ता पहुंच जाते हैं वहां के सेठ लोगों से चन्दा लेने के लिये। मैं समझता हूं हर बार सामान्य रूप से सेठ लोगों के पास चन्दा लेने जाना कोई अच्छी बात नहीं। राज्य सरकार को चाहिये कि अपने ही पास से व्यवस्था करें। वैसे भी बम्बई कलकत्ता जा कर सेठ लोगों से चार पांच लाख रुपये से ज्यादा तो मिलता नहीं है और उससे मैं समझता हूं कि अकाल या बाढ़ का खर्चा मीट आउट नहीं हो सकता है। यह कोई अच्छी बात भी नहीं। इससे मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की बदनामी भी होती है। अन्त में, अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, वह है इण्डस्ट्रीज के बारे में। यहां पर उद्योग मंत्री जी उद्योग विभाग की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार उल्लेख करते हैं। यहां पर उद्योग मन्त्री जी ने सीमेंट के कारखाने लगाने की बात कही। आज, अध्यक्ष महोदय, 12 महीने हो गये है लेकिन आज तक सीमेंट का कारखाना नहीं खुला है। वह कहते हैं कि जगह जगह धुएं की चिमनियां आपको दिखेंगी और सीमेंट के कारखाने दिखेंगे पर अभी तक इस तरफ कुछ भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में घड़ियों का कारखाना एच. एम. टी. का खोलने की बात की। उसमें घड़ियों के लिये बंगलोर से टैक्निकल लोगों को बुलाया गया है और यहां के लोगों को कोई जगह नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि यह सरकार निष्पक्ष नहीं, यह बात सभी पहलुओं से साबित हो चुकी है।

(श्री परस राम मदेरणा)

मुझे शंका है कि यह सरकार किसी भी जगह निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसलिये सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसको पारित किया जाना चाहिए। यह सरकार पूंजीपतियों, व्यापारियों और सामन्ती लोगों की सरकार है। यह सरकार गरीब लोगों के हितों की सुरक्षा करने वाली नही। इस प्रकार यह सरकार एक प्रतिगामी सरकार है। इस सरकार के अन्दर न तो स्वच्छ प्रशासन ही है और न लोगों की जानमाल की सुरक्षा ही हो रही है। पूरे राजस्थान के अन्दर अराजकता का वातावरण है, पूरा राजस्थान अव्यवस्था के कगार पर आपने ला दिया है और राज्य के लोगों का इसमें विश्वास उठ गया है इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार को गिराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) दल के नेता परसराम जी मदेरणा के भाषण के बाद में मैं कुछ बातें इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं। जो प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ने इस सदन के समक्ष रखा है उस प्रस्ताव के समर्थन में राज्य सरकार के जो नये कीर्तिमान उन्होंने उपलब्ध कराये हैं उनका जिक्र करूंगा।

हमारे उद्योग मन्त्रीजी ने राज्य सरकार ने 30-35 सालों की जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका जिक्र किया। मैं भी उनके सहयोग में इस राज्य सरकार की जो 27-30 महीनों के अन्दर उपलब्धियां हुई हैं उन्हीं का जिक्र करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इनकी उपलब्धियां, श्रीमान्, इस राज्य सरकार ने कीर्तिमान जो हासिल किये हैं वह इस सदन के सामने पेश कर रहा हूं। उनकी सबसे पहली तो उपलब्धि यह है कि इस राज्य सरकार ने जब से हमारे देश में इस जहूरियत कायम हुई, जबसे यह चुनी हुई सरकारें बनीं उसके मुकाबले में इस राज्य सरकार ने हमारे यहां पर हड़तालों के अन्दर उपलब्धियां हासिल की हैं, कीर्तिमान हासिल किये हैं। जितनी हड़तालें इन 27 महीनों में हुई हैं, चाहे वह मजदूरों की हड़तालें हों, चाहे वह विभागीय कर्मचारियों की हड़तालें हों, चाहे ट्रेडर्स की हड़तालें हों और चाहे वह स्टूडेन्ट्स के अनरेस्ट के बारे में हड़तालें हों, जितनी हड़तालें, श्रीमान्, इन 27 महीनों के अन्दर हुई हैं वह अपने आप में कीर्तिमान है। उसके लिए हमारी ट्रेजरी बैन्चेज और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स अपने को बहुत धन्यवाद दे सकती है।

जब कभी भी सदन का अधिवेशन होता है तो हमको कभी भी खुले दरवाजे से अन्दर आने का मौका नहीं मिलता है। बाहर तम्बू लगे रहते हैं, हड़तालें, भूख हड़तालें चलती रहती हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं और हम माननीय सदस्यों को स्कूल के छोटे रास्ते से होकर इस सदन में आना पड़ता है। यह कीर्तिमान जरूर हासिल किया है।

जहां तक स्टूडेन्ट्स अनरेस्ट का कीर्तिमान है मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों से बताऊंगा कि कीर्तिमान क्या है। 1977 में

(श्री मथुरा दास माथुर)

कुल यूनिवर्सिटीज में जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी भी शामिल है 7520 इन्सीडेन्ट्स स्टूडेन्ट्स अनरेस्ट और स्ट्राइक के मामले हुए हैं और उसमें 1146 इन्सीडेन्ट्स वायोलेशन के हुए थे। यह 1977 का कीर्तिमान है जिसे उद्योग मन्त्री जी नोट कर लें। उसके बाद में यह लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर साल आगे ही बढ़ना चाहते हैं। इसलिए 1978 में अगस्त के महीने में 5838 स्ट्राइक और स्टूडेन्ट्स अनरेस्ट के इन्सीडेंट हुए और उसमें 1050 आफेन्स वायोलेशन के अकम्पनीड थे। यह इनका कीर्तिमान है। राजस्थान में, श्रीमान् इन यूनिवर्सिटीज की दशा ऐसी हो गयी है कि वहां पर आज कोई पढ़ाई नहीं होती।

मैं इनके कीर्तिमान का तो बहुत कुछ और भी जिक्र करूंगा लेकिन लेबर स्ट्राइक, हुई बिजनेसमैन ने सेल्स टैक्स को लेकर हड़ताल कर दी और इसलिए हड़ताल कर दी कि जनता पार्टी ने चुनाव लड़ते समय अपने घोषणा-पत्र मे सेल्स टैक्स को हटाने के वायदे किये थे। इनके घोषणा पत्र में कहने के बाद भी हड़तालें ही हड़तालें हुई, चाहे विद्यार्थी हों, बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट एम्पलाइज का कोई मामला हो। गुजिश्ता 27 महीनों में कहीं न कहीं विभागीय कर्मचारियों की हड़तालें रहीं। यह इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है।

दूसरा कीर्तिमान जो इन्होंने हासिल किया है वह गुण्डागर्दी और लॉ एण्ड आर्डर में कीर्तिमान हासिल किया है। हमने बहुत हुकूमतें देखी हैं। राजाओं के राज्य भी देखें, ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी देखा, और कांग्रेस का शासन भी देखा, बदलते हुए मुख्य मंत्रियों को भी देखा है और जनता पार्टी का राज्य भी देखा है लेकिन जितनी गुण्डागर्दी आज राजस्थान में और हिन्दुस्तान में नजर आती है वह पहले कभी नहीं आई। इसमें भी हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। वह मैं आपके सामने आंकड़े रख कर पेश करना चाहता हूं। इन्होंने यहां पर जो कीर्तिमान हासिल किया है उसमें मैं कत्ल और रेप के आंकड़े बता रहा हूं। 1978-79 के आंकड़े तो अब कलेक्ट होंगे लेकिन मैं मार्च, 1978 तक के आंकड़े बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में राजस्थान चौथे नम्बर पर है। यू. पी. में 94 रेप हुए थे और 89 का मर्डर हुआ, मध्यप्रदेश में 64 का रेप हुआ और 35 का मर्डर हुआ, बिहार में 58 का रेप हुआ और 41 का मर्डर हुआ और राजस्थान में 40 रेप हुए और 40 मर्डर हुए। इस तरह से राजस्थान आंकड़ों के हिसाब से चौथे नम्बर पर है। यह कीर्तिमान है। अखबारों में जब हम पढ़ते हैं तो आपकी आखें तो शर्म से झुकती हों या नहीं लेकिन इधर बैठने वालों की आंखें तो जरूर झुकती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चौथा नम्बर ही नहीं है बल्कि....

श्री माणकचन्द सुराणा : यह कौन से साल के आंकड़े बता रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : 1978 के मार्च तक बता रहा हूं। 79 के तो अब कम्पाइल

(श्री मथुरादास माथुर)

होंगे। यह चौथा ही नहीं है बल्कि पापुलेशन के आधार यू. पी. हमसे कम से कम चार पांच गुना है, मध्य प्रदेश दुगुना है, बिहार चौगुना है और राजस्थान 2 करोड़ और कुछ लाख की आबादी वाला राज्य है जिसमें 40 रेप और 40 मर्डर हुए और इनका प्रतिशत देखा जाये तो राजस्थान रेप और मर्डर में फर्स्ट स्टेण्ड हो रहा है। इसलिए हम चन्दा करके एक ट्राफी श्री भैरोंसिंह को देना चाहते हैं ताकि वह यह सेक्रेटेरियट में लगायें कि हम हिन्दुस्तान में फर्स्ट आये हैं।

दूसरा निवेदन, श्रीमान्, मैं यह कर रहा हूं कि हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके आंकड़े भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। 1966 से 1976 तक रिपोर्टेड केसेज आफ एट्रोसिटीज 40,000 हुए थे। जो केस रिपोर्ट ही नहीं हुए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए लेकिन दस सालों में 1966 से 1976 तक 40,000 रिपोर्टेड केसेज हैं और अब 1977 में जब आपकी हुकुमत तशरीफ लाई थी उस समय तक 10879 केसेज रिपोर्टेड हैं एट्रोसिटीज के 1977 में। एक साल में इन्होंने 10 साल के रिपोर्टेड केसेज में भी 879 केसेज ज्यादा कर लिये और 1978 के अगस्त तक के रिकार्ड के अनुसार 5952 छ:महीने में रिपोर्टेड हैं और बाकी रिपोर्टस् कम्पाइल होकर नहीं आई हैं। वह देखें तो 15 हजार तक पहुंच जायेगा फिगर। यह मैं सिर्फ काग्नीजेबल आफेन्सेज के रिपोर्टेड केसेज की बात कह रहा हूं। नान-काग्नीजेबल आफेन्स तो हरिजन कर ही नहीं सकता इसलिए उनकी रिपोर्ट नहीं होती।

श्रीमान, अब तीसरा कीर्तिमान इन्होंने जो हासिल किया है, तबादलों में हासिल किया है। माननीय मदेरणा साहब ने एक लाख और कुछ कहे। अगर पंचायत समितियों, जिला परिषदों, म्यूनिसिपेलिटीज इन सब के आंकड़े जोड़ दिये जायें तो यह तबादले कुल राजस्थान में जनता सरकार बनने के बाद में 2।। लाख से ऊपर बनते हैं। माननीय चतुर्वेदी साहब जब शिक्षा मन्त्री थे तब यह सवाल उठा था, पंचायत समितियों में एक साल में सिर्फ 39 हजार तबादले हुए थे। हाउस कमेटी बना दीजिये। यह तीस हजार जो तबादले हुये हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से हुए हैं तो मैं मान लेता हूं। यह तबादले पोलिटिकल ग्राउण्ड्स पर हुए हैं। जिन गांवों में नेकर पहिनने वाले नहीं थे उनको वहां भेजा जाये और इस तरह से आर. एस. एस. की शाखा और प्रचार के लिये हुये हैं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: कांग्रेस शासन में राजनैतिक ट्रांसफर नहीं हुये? खेतसिंह जी ने कितने ट्रांसफर किये?

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन इस लिए कर रहा हूं कि आज तक दुनिया के इतिहास में किसी सरकार ने 2।। लाख तबादले करके सरकारी नौकरों को राजनैतिक कारणों से फुटबाल नहीं बनाया है,

(श्री मथुरादास माथुर)

इस सरकार ने बनाया और फिर भी कहते हैं कि हमारी सरकार है। यह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स इस सरकार में रहने योग्य नहीं हैं। अगर प्रचार करना है तो उसका तरीका बाहर है। सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते। यह तबादले पोलिटिकल मोटीवेटेड हैं। एक आई ए.एस.आर.ए.एस अधिकारी को एक हफ्ता भर चार्ज लिये होता नहीं फिर बदल देते हो। सर्विसेज कमीशन मुकर्रर करके डीमोरेलाइज कर रखा है। हम तो आज आये कल चल देंगे, चाहे राष्ट्रपति शासन हो

चौथा कीर्तिमान यह है कि अगर छोटा सरकारी आफिसर, एक इन्सपेक्टर मलेरिया भी कहता है कि आज हम तो पूरे स्केल पर पहुंच गए, आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा ग्रेड रिवाइज करो।

एग्रीकल्चर कालेज के एल डी सी और यू डी सी उस ग्रेड में बैठे हुए हैं। कृषि मन्त्रीजी सामने बैठे हुये हैं। इन्होंने कहा था, जल्दी ही फैसला करके यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन के अवार्ड को लागू कर दिया जायेगा। मेरा निवेदन करने का मकसद यह है कि हमारे यहां पर उनको तो नहीं दिया जाता है, परन्तु इस सरकार ने सुपर टाइम स्केल की पोस्ट बढ़ाने में हिन्दुस्तान में कीर्तिमान हासिल किया है क्योंकि किसी आदमी को सुपरटाइम स्केल दिलवानी है। तो उसके ऊपर वालों को सुपरटाइम स्केल मिलनी चाहिये। बड़े बड़े पद के ग्रेड रिवाइज किये जाते हैं लेकिनआप एल.डी.सी. और लेक्चरर के ग्रेड रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़े बड़े अफसरों के ग्रेड बढ़ जायें और पोस्ट क्रिएट हो जायें। जहांपर पहले आर्डिनरी सलेक्शन ग्रेड के आई.ए.एस काम करते थे वहां पर सुपरटाइम स्केल ला कर लोगों को गलत तरीके से देकर आप अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा।

पांचवा जो कीर्तिमान हासिल किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इन्होंने कमीशन मुकर्रर करने से कीर्तिमान हासिल किया है। बहुत लम्बे विस्तार से नहीं कहना चाहता। कोई बात हो जाये, कमीशन, कमेटी बना दी जाती है। दो तीन कमेटियों का जिक्र करता हूं। जब यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर चर्चा हो रही थी आपने वायदा किया था कि यूनिवर्सिटीज में बिगड़ती हुई हालत को देखने के लिए हाउस की एक कमेटी बनाई जायगी। आपने कमेटी के नाम तक मुकर्रर करने के लिये हम लोगों से सलाह की थी। वह कहां है ? इस सदन के अन्दर फुटपाथ को कवर करने के लिये जब बहस हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हाई कोर्ट के जज की चेयरमैन शिप में एक कमीशन मुकर्रर करेंगे, यह फुटपाथ को को कवर करने के मसले की जांच करेगा। वह कमीशन कहां है ? यहां तो कमीशन पर कमीशन मुकर्रर किये जाते हैं। कल एक और कमीशन मुकर्रर कर दिया। काम कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटी के तीन कमीशन मुकर्रर किये, गट्टानी कमीशन, जगत नारायण कमीशन और सैन कमीशन। उन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। आज उनका क्या हुआ ? उन्होंने दिमाग लगा कर सुझाव दिये हैं। उन तीनों कमीशनों को रिपोर्ट आप नहीं रखते। आप उनको पढ़ते

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं । सदन में रखने नहीं । इस सरकार को फिर चाटें । क्या करें ?

श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने यहां पर बड़े बड़े कमीशनों के साथ कार्पोरेशन भी कायम किये....

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें ।

श्री मथुरादास माथुर : बिजली का कार्पोरेशन, पानी का कार्पोरेशन, चमड़े का कोरपोरेशन । एक दिन यह न आ जाये कि सैक्रेटेरियट गवर्नमेंट सर्वेंट्स मैनेजमेंट कार्पोरेशन मुकर्रर कर दिया जाये । राजस्थान सरकार निगमों से बंध जायेगी । इस हाउस के परव्यू से बचना चाहते हैं । यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न है आप सब लोगों के लिए । करोड़ों रुपया जनता का खर्च होता है, रिफ्लेक्शन नहीं करते हो, बजट में प्रावधान नहीं होता । इन कार्पोरेशन्स का हाल क्या है, 99 पर्सेण्ट घाटे में हैं । ऐसी सूरत में मेरी यह धारणा है कि कार्पोरेशन के माध्यम से फिजूल खर्ची करके जनता के कमाये हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हैं ।

इस तरह का एक और कीर्तिमान निवेदन करना चाहूंगा वह खुद मुख्य मन्त्री का है । दिल्ली में अगर किसी मुख्य मन्त्री ने 52 के बाद आवास किया है तो भैरोंसिंह जी ने कीर्तिमान कायम किया है । महीने में 25, 26 दिन दिल्ली में रहते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि भाई ने रिकार्ड तोड़ा है । अगर दिल्ली रहना है, इस सरकार को दिल्ली ले चलो, हमको भी दिल्ली ले चलो । दिल्ली में रह कर राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान की सरकार के लिये कुछ पैसा ले आयें और कुछ काम हो तो दिल्ली मुबारक हो । यह होता नहीं है । अब तो ऊपर वाला भी नहीं रहा, ऊपर वाला जब था....

श्री एच.एन. शर्मा : आप हरियाणा की तरह दिल्ली ले जाना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुन लीजिए । हरियाणा के रास्ते दिल्ली नहीं ले जाना चाहता, राजस्थान में आपका राज खतम कर देना चाहता हूं ।

श्रीमान, इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसका मैने जिक्र किया । एक इन्होंने प्रोहिबिशन लागू किया । बड़ी खुशी की बात है । हम सब साथ हैं मगर इल्लीसिट डिस्टीलेशन के अन्दर कीर्तिमान हासिल किया है । मेरे पास आज आंकड़े मौजूद नहीं हैं । मैं कोशिश कर रहा था, मिले नहीं । जो अखबारों में आय है उन सबको जोड़कर छांट रहा था कुछ मिले, कुछ नहीं मिले । फिगर गलत नहीं दे सकता । जब से प्रोहिबिशन डिक्लेयर किया है, हिन्दुस्तान और राजस्थान के पुराने सभी सालों के कीर्तिमान हासिल किये हैं । आपको मुबारकबाद देता हूं, खूब इल्लीसिट डिस्टीलेशन बढ़ाया है । इल्लीसिट बेचो और रुपया लो और रुपया लेकर चुनाव में काम करो । उन्होंने यह काम किया जो हम कभी नहीं कर सके ।

35

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्होने एक और कीतिमान हासिल किया है कि जितनेमर्मन व्यापारियों से मिल गये हैं। इस हाउस की अगर कमेटी बना दें और बड़े बड़े शहरों में जाकर इनके रिप्रेजेन्टेटिव्स से गुप्त रूप से बात करें तो वे कह देंगे कि ढाई साल में मजा आ गया, माथुर साहब। खूब ब्लेक मार्केटिंग किया, खूब ब्लेक का पैसा कमाया है। ऊपर से मोहन धारिया ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करें लेकिन वह इन्होंने नहीं किया। इन ट्रेडर्स को खुली छूट है, स्मगलर्स को खुली छूट है। पहले जयपुर के बाजार में फाइव-फाइव सिगरेट नहीं मिलती थी अब आज की तारीख में खूब मिलती है। ट्रेडर्स को छूट दें, मगर हिन्दुस्तान का मजदूर हिन्दुस्तान का किसान, गरीब आदमी, औसतन सरकारी नौकर इस मंहगाई से मर रहा है और उधर तुम काला बाजारी की छूट देते हो। एक बार तो आपकी सरकार ने छापा मारा था मगर आज डेढ़ साल से बिलकुल चुप्पी है, सेल्स टैक्स वाले रेड कर लेते होंगे, इन्कम टैक्स वाले रेड कर लेते होंगे, क्योंकि भारत सरकार का मामला है। मगर आज जो भाव बढ़ रहे हैं सीमेंट के, केरोसिन आइल के, वेजीटेबिल आइल के, उसको रोकने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है पालिटिकल पर्पज के लिये जनता को मत मारो। कुछ दिन की चान्दनी है लेकिन फिर अन्धेरी रात आपके लिए तैयार हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनफ्लेशन में इनका रिकार्ड है, अभी जवाब दे देंगे अब तो आपके चरणसिंह जी, आपके चह्वाण साहब हैं लेकिन मैं तो आपके राज्य की बात कर रहा हूं।

फरवरी, 17 अगस्त से 25 अगस्त तक इस पीरियड के दौरान व्हैयर हाउसिंग की रिपोर्ट में लिखा है....

"The wholesale index has risen by 19.2 pereent. It is the first time since 1950 that such spurt in such a short spell has occurred in India"

इस पीरियड में तो इनकी हुकूमत थी, उसके बाद के लिए चार्ज नहीं लगाते। मैं निवेदन कर रहा हूं इस छोटे से पीरियड में 19.2 होल-सैल प्राइस का इन्डेक्स बढ़ा है। पहले के सालों में कभी इतना इतने से कम पीरियड में नहीं बढ़ा है। यह भी इनका एक कीतिमान है। इसलिए आपको माला पहिनाये कि तुमने बहुत बहुत कीर्तिमान हासिल किये हैं।

एक निवेदन और भी करना चाहता हूं जब इन्होंने इतने कीर्तिमान हांसिल किये तो खुदा ने भी देखा, प्रकृति ने भी देखा, अब इनको मदद देवें तो क्या देवें। इनके काल में बाढ़ भी ऐसी पैदा हुई कि उसने भी आज तक के सारे रिकार्ड तोड़ डाले और एक नया कीर्तिमान कायम किया। बाढ़ की चर्चा इस सदन में आयेगी तब कहूंगा लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जो आज तक नहीं हुई। उसमें हमारे ईरिगेशन मिनिस्टर, आप पंजाब के भी मन्त्री हैं....

(36)

(श्री मथुरादास माथुर)

(विराम)

कौन हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : पूनियाजी हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : फ्लड के आप हैं, देख लीजिये, आपको अपना पोर्ट-फोलियो ही याद नहीं है । इरीगेशन के साथ फ्लड प्रोटेक्शन आपका सब्जेक्ट है, वे तो रिलीफ के हैं ।

जब 15 तारीख को बारिश हुई, 16-17 को फ्लड आया, आखिर जोधपुर डिविजन ने आपका क्या बिगाड़ा है जो एक दिन भी नहीं गये । ये कालवी साहब हेलीकोप्टर में इधर उधर घूमते रहे और मिनिस्टर घूमते रहे लेकिन आप नहीं गये । एक महीने तक नहीं गए, फिर एक सेन्ट्रल टीम आई तब तशरीफ ले गए । आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी । फ्लड आया है और भयंकर रूप में आया है तो फिर आपका इम्पीचमेंट क्यों नहीं किया जाय ? मैं जोधपुर की जनता को क्या समझाऊं कि फ्लड प्रोटेक्शन मिनिस्टर क्यों नहीं आये ? चीफ मिनिस्टर साहब गए, वे बीमार थे लेकिन फिर भी हवाई अड्डे तक गए । जो आया है, हम उसके अहसानमन्द हैं लेकिन आप नहीं आये ।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपके नाथूरामजी कब आए ?

श्री मथुरादास माथुर : नाथूरामजी नहीं, ब्रह्म प्रकाशजी आये, हवाई जहाज से आये और बाढ़ का निरीक्षण किया । मथुरादास माथुर दौड़ा, ये दौड़े, वे दौड़े, सैन्ट्रल की टीम आ गई । तो मेरा निवेदन है कि इसमें भी आपने कीर्तिमान रखा है । अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर महोदय बड़ा फ्लड आने पर एक महीने तक जायें ही नहीं। फिर तो क्या था, धोरे बन गये और सब धरती सूख गई उसके बाद जाने से क्या ? इसलिये यह भी आपका कीर्तिमान है । एक हवाई जहाज टूटता है तो भारत सरकार के मिनिस्टर दौड़ पड़ते हैं, रेलवे का कहीं एक्सीडेन्ट हो जाता है तो भारत सरकार के मिनिस्टर दौड़ जाते हैं किन्तु यहां हजारों आदमी और लाखों पशु मारे गये फिर भी आपकी नींद नहीं खुली । आप सरकार में तनख्वाह पाते हैं, तो आपका यह फर्ज हो जाता है कि उसकी सम्पूर्ण जानकारी कर पीड़ित लोगों को राहत पहुंचायें । मेरा निवेदन है यह भी एक नया कीर्तिमान हासिल किया ।

श्रीमान्, अब मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है । दो-तीन बातें और निवेदन करके इजाजत ले लूंगा ताकि आपको घण्टी बजाने की नौबत नहीं आये ।

अन-एम्पलायमेंट के लिए जब जनता पार्टी बनी तो कहा गया था 10 साल में बेरोजगारी नहीं रखेंगे । हमने भी तालियां बजाई थीं मगर हुआ क्या ? श्रीमान्, आज भी राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी की समस्या का हल तो दूर रहा, वह बढ़ती ही जाती है । वे आंकड़े, श्रीमान्, इस तरह हैं--

(श्री मथुरादास : : :)

1976 में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के अन्दर 2 लाख 32 हजार 17 रिकार्ड रोल में नाम है, यह फिगर 1977 में हो गया लाख 83 हजार 640 और, श्रीमान्, सन् 78 में यह 31 लाख 77 हजार 48 हो गया। बराबर बढ़ता जा रहा है-1979 के फिगर कम्पाइल नहीं हुए हैं। इस प्रकार से आपकी बेरोजगारी बढ़ती जाती है। 75 मिलियन पोस्ट्स चाहिए रूरल और अर्बन एरिया में अन-एम्पलायमेंट को मिटाने के लिये। दो साल हो गये, तीन साल हो गये आपके मोरार जी भाई चले गये, अब आप जाओगे।

श्री माणक चन्द सुराणा : यह 75 मिलियन कहां का फिगर कहा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह इकानामिक रिव्यू में है, आप पढ़ लेना। 75 मिलियन पोस्ट्स चाहिये हिन्दुस्तान के लिये।

श्रीमान्, कल बहुत जोर से उद्योग मिनिस्टर साहब भाषण दे रहे थे। कल उनका भाषण सुन कर सोचा बड़े सोशलिस्ट हैं। मगर सोशलिस्ट तो नहीं सोशलिस्ट इन डिसगाइस जरूर हैं। 1960 में हमारी स्टेट इन्कम इतनी थी, 1960-61 में 600करोड़ और 1978 में बढ़ कर तीन हजार करोड़ स्टेट इन्कम हो गई। पर केपिटा इन्कम करेन्ट प्राईस 1960-61 में 250) रु. थी और 1978 में 700) रु. हो गई और आपने इस राजस्थान सरकार में दो साल में बड़ा इन्कलाब कर डाला कि सन् 60 में रुपये की वेल्यू सौ पैसा थी और अब सन् 78-79 के अन्दर रुपये की वेल्यू 25 पैसे है। यह चार्ट मेरे पास मौजूद है एक एक साल का। अब अगर छः सौ करोड़ की आमदनी थी....

श्री ईश्वरचन्द्र : वह कहां तक कहेंगे ? यह तो तथ्य है कि प्रोग्रेस हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी कह रहा हूं कि प्रोग्रेस हुई है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो छः सौ करोड़ रुपये हैं यह छः सौ करोड़ रुपये है तो आज के पच्चीस पैसे की तुलना में चौबीस सौ करोड़ रुपये तो यों ही हो गये हैं। पिछली परफार्मेंस को देखेंगे तो जो 2400 करोड़ हैं, अब वे तीन हजार करोड़ भी हो गये। 1978 में तो प्रोसेस अच्छी है, अब जाकर तीन हजार करोड़ हो गये हैं भटनागर साहब। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानर्स बड़ी बड़ी योजनायें बनाते हैं। इन योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। यह फैक्ट है कि Fat man is not the healthy man आज इतनी बड़ी बड़ी योजनायें भले ही बना लें लेकिन इनसे इकानामिक ग्रोथ नहीं होगी। आज जो नेशनल इन्कम है, स्टेट की इन्कम है वह वापस इकानामी में कितनी फ्लो होती है उससे इकानामी का जनरेशन होगा। लेकिन आप वह आंकड़े नहीं देते। इस साल में 4 हजार करोड़ की आमदनी हो गई लेकिन 2 हजार उसमें से डेड इनवेस्टमेंट हो गया और दो हजार का इकानामी में इन्वेस्टमेंट हुआ तो इससे इकानामिक ग्रोथ नहीं होने वाली है। इस साल की इन्डिविजुअल इन्कम ग्रोथ

(श्री मथुरादास माथुर)

नेगेटिव में आ येगी । आप प्लान की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपका सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान नहीं बना, छठी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, पूरी हो गई, हमको पता नहीं है ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यहां पर तीन एन्नुअल प्लान डिस्कस हो गए लेकिन पूरा प्लान कभी पेश नहीं हुआ । यह आपका रोलिंग प्लान है लेकिन प्लान रोल नहीं हो रहा है, आप खुद ही रोल हो रहे हैं ।

श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सूरत के अन्दर जो प्रोटीन खुद खाते थे, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी खाते थे । प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी एक आइटम था । आदमी प्रोटीन खाता है तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी शामिल रहता है । श्रीमान्, आप जानते हैं कि प्रोटीन खाते हैं दाल में, वा नोन वेजीटेरियल में लेकिन अपन प्रोटीन ज्यादा दूध में खाते हैं, घी में खाते हैं, सब्जी में खाते हैं । फेट ज्यादा खाते हैं और प्रोटीन निकल गया तो फेट खा खा कर मोटे ताजे तन्दुरुस्त हो गए हैं । इन आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला है । आज गरीब आदमी को दो टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया है महगाई के कारण ।

मान्यवर, आपने घण्टी बजाई है, मैं आपकी घण्टी के प्रति जागरुक हूं । मैं ज्यादा पाइन्टस नहीं रखते हुए इतना ही कहूंगा । एक बात और निवेदन करूंगा जिसको परसरामजी ने भी कह दिया है, पंचायती राज में इन लोगों ने जिस तरह से धोखा किया है सदन में, आर्डिनेंस लाकर, बिल लाए हैं । मैं, मुख्य मन्त्रीजी, तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम इस सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे, तब तुमने कहा था कि फ्रेंचाइज कम नहीं होना चाहिए । वह सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में मौजूद है । उसे लाइब्रेरी से निकाल कर पढ़ लो । मैंने पढ़ा है । उस समय लेने के भाव और अब देने के भाव और । विरोधी दल में थे तब और बोलते थे और अब यहां पर और कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी वह भाषा बोल रहे हैं जो सलेक्ट कमेटी में बोल रहे थे ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो मेम्बर भी नहीं था सलेक्ट कमेटी का । मैं तो मिनिस्टर था, मैं कैसे बोल सकता था ? मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और यह बिल लाए हैं, आर्डिनेंस लाए हैं इसको भी पढ़ा है । इसलिए मेरा निवेदन है, श्रीमान, आखिर में मैं, यही निवेदन कर रहा हूं कि हमने बहुत से कीर्तिमान हासिल किये हैं और अब कीर्तिमान हासिल करने वाले हैं मुख्य मन्त्री जी । आज तक राजस्थान की केबिनेट में जितने मिनिस्टर रहे हैं उससे ज्यादा मिनिस्टर बढ़ा कर सबसे बड़ी केबिनेट हिन्दुस्तान में है, उससे ज्यादा राजस्थान की केबिनेट बनायेंगे । यह भी कीर्तिमान जल्दी हासिल करने वाले हैं । ये करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यह कीर्तिमान किसलिए करना पड़ेगा ? इसका कारण माननीय सदस्य सभी समझते हैं । मैं कहता हूं कि कुछ लोग जो हमारे

(39)

(श्री मथुरादास माथुर)

ही साथी हैं, उनको इस कीर्तिमान में ऊपर उठने का मौका मिले, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी कर लो ताकि जो वहां बच गए हैं उनको भी कीर्ति-करने का मौका मिले। इसलिए मैं यह निवेदन करते हुए कि राजस्थान सरकार के जो मैंने 21 कीर्तिमान बताये हैं, ऐसे कीर्तिमान बताये हैं, ऐसे कीर्तिमान सरकार को और जगह जाकर बताने चाहिए यहां पर नहीं। इसलिए जो विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव जो राजस्थान की मन्त्री परिषद के विरुद्ध लाया गया है यह एक मात्र औपचारिकता नहीं है। श्रीमान्, विश्वास बड़ी शक्ति है और जब विश्वास उठता है तो पीड़ा गहरी होती है, कितनी गहरी पीड़ा होती है यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। श्रीमान्, हालात इस तरह से बदल गए जिसके बारे में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने दो चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक चित्र वह है 21 जून, 77 को माननीय ठाकुर भैरोंसिंह जी जब जनता के नेता बने थे उस दिन ऐसा लगता था जैसे सारा राजस्थान रात्र.की राजधानी में सिमट आया है। संध्या काल को माणक चौक की चौपड़ पर एक आम सभा हुई। जिस तरह का हर्ष और उल्लास का वातावरण था उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे राजस्थान की धरती थिरक रही है। भैरोंसिंह शेखावत जिन्दाबाद के नारों से यहां की धरती, यहां का आसमान गूंज रहा है। दूसरे दिन सुबह 22 जून, 77 को जब प्रातः काल श्री शेखावत ने मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली तो सब परम्परायें टूट गई, सब दरवाजे टूट गए, सब खिड़कियां टूट गई। पूरा राजभवन, उसका बड़ा लान, उसका वह हाल, जहां शपथ लेनी थी, उसके सामने की सड़क, सब जगह जनता ही जनता थी और भैरोंसिंह जिन्दाबाद के नारे थे। एक वह दृश्य था मान्यवर, और एक वह दृश्य था मान्यवर, जब पिछले दिनों यहां पर बाबू जगजीवनराम तशरीफ लाए। रामनिवास बाग में उनको सुनने के लिए लोग एकत्रित हुए। उस सभा में माननीय मुख्य मन्त्री शेखावत भी मौजूद थे। जब मंच पर से नारे उभर रहे थे तो भीड़ में से कोई रेस्पोंस नहीं नहीं था। बाहर जनता में जिस तरह के हालात थे उससे ऐसा लगता था कि जैसे जनता पार्टी के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है और शेखावत जैसे महान नेता और जगजीवनराम के प्रति लाखों लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है। जो धरती जिन्दाबाद के नारों से गूंजी थी वहां उस मीटिंग में इस तरह की हालत थी कि मंच से जयजयकार के नारे हो रहे थे लेकिन उसका कोई रेस्पोंस नहीं मिल रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि हालात कितने बदल गए हैं, बाहर जनता में अविश्वास कितना पैदा हो गया है। सदन में तो माननीय सदस्य जनता की नुमाइन्दगी करते हैं। जनता की भावनाओं के अनुकूल विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रस्ताव रखा है वह सदन के सदस्यों की भवना का नहीं लेकिन जनता की भावनाओं का प्रतीक है, जनता की भावनाओं का द्योतक है, वह

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है जो बाहर हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यहां आप अपनी सरकार को बचा भी ले जाये लेकिन जो विश्वास आप जनता का खो चुके हैं, जिस विश्वास के नींव के पत्थर को आप तोड़ चुके हैं, क्या उसको लौटा पायेंगे। इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूं कि हालात को देख कर बजाय इसके कि किसी को आपको गिराने का सुख मिले, आप स्वयं पद त्याग कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

मान्यवर, जिस दिन यहां 25 तारीख को अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई उस समय की एक घटना प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यउधर बैठें हैं, मैं मानता हूं कि इस सबके बावजूद भी कुछ भावनायें बाकी रह जाती हैं, जनता के प्रति ईमान बाकी है, अन्तर आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और उन मूल्यों का माननीय सदस्य सम्मान करते हैं जिन मूल्यों के आधार पर जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जनता पार्टी को वोट दिया था। न्यायालय की पृथकता के आधार पर उन लोगों ने जनता पार्टी का निर्माण किया था उन मूल्यों के प्रति श्रद्धा, अगाध श्रद्धा आज भी अमिट है लेकिन 25 तारीख को जिस वक्त शेखावत सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई उसी दिन का दृश्य राजस्थान उच्च न्यायालय का मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

माननीय डी. पी. गुप्ता की कोर्ट में एक मुल्जिम लाया गया जिसके पांवों में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी थी। शायद इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में भी जस्टिस गुप्ता को जो दृश्य देखने को नहीं मिला वह इस सरकार के समय देखने को मिला। जो सरकार कहती है कि न्यायापालिका का हम सम्मान करते हैं, न्यायाधीशों का हम सम्मान करते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जार्ज फर्नाण्डिज को सीखचों में बन्द करके घुमाया गया था....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक दृश्य उस सरकार ने प्रस्तुत किया था और जो सरकार कहती है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्याय की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। उसी सरकार ने जब वहां हथकड़ियां और बेड़ी डाल कर मुल्जिम को पेश किया तो न्यायाधीश डी. पी. गुप्ता ने कहा कि मैं यह मुकदमा नहीं सुनूंगा। सरकार के इस व्यवहार के प्रति प्रोटेस्ट स्वरूप वे उठ कर चले गए चेम्बर में। विश्व के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में शायद यह दूसरी घटना होगी। इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों साथियों से, जिनके साथ चन्द दिनों मैं भी बैठता था, जिन के मन में जनता के प्रति श्रद्धा खतम नहीं हुई है, जिन मूल्यों के आधार पर उनको जनता का विश्वास, प्यार, स्नेह, श्रद्धा मिली, से कहना चाहता हूं कि वे अपने

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मन को टटोल कर देखें। श्री राजबहादुर, जो कभी केन्द्रीय मन्त्री थे, इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गये। उन्होंने न्यायाधिपति का ध्यान आकर्षित किया। उनके अपने जीवन के काफी खट्टे-मीठे अनुभव हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गये। इसलिए निश्चित तौर से विरोधी दल के नेता महोदय ने यह जो अपील की है, सही है कि माननीय सदस्य सरकार के बहकावे में न आवें। अगर कोई सिद्धान्त हैं, मूल्य हैं, आस्थायें हैं, तो उन आस्थाओं में विश्वास प्रमाणों को लेकर तय करें कि यह सरकार, जो इस प्रकार का आचरण न्यायालयों में कर रही है, वह रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो निश्चित तौर से यह ध्यान में रखना होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधिपति ने इस सरकार के ऊपर एक वरडिक्ट दिया है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वेच्छा से पद त्याग कर देना चाहिए। यह पद त्याग इस बात का परिचायक होगा कि इस सरकार से कोई गलती हुई है और उसके लिए यह पश्चाताप कर रहे हैं। न्यायाधिपति ने हथकड़ी, बेड़ियां हटाने के लिए कहा परन्तु आदेश की पालना नहीं की गई। जेल अधिकारियों ने कहा कि हथकड़ियां काटने के लिए इसको वापस जेल ले जाना पड़ेगा। वहीं पर ये खोली जा सकती हैं। इसके बाद राजस्थान बार एसोसियेशन की सभा हुई। उसमें इस सम्बन्ध में एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। उसने न्यायाधिपति को यह निवेदन किया कि सरकार की इस कार्यवाही से न्यायालय की अवहेलना हुई है, अपमान हुआ है, उसके हुक्म को नहीं माना जा रहा है। इस पर जो बेड़ियां जेल में ही काटी जा सकती थीं उनको वहीं पर खोल दिया गया। यह तो सरकार का आचरण है। माननीय भटनागर साहब, माननीय माणकलाल जी ठाकोर और श्री गोपाल पचेरवाल, मैं मानता हूं उनकी आत्मा आज भी दुखी हुई है इसलिए मैं उनको खास तौर से निवेदन करता हूं कि वे अगर सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं तो वे तत्काल उधर से इधर आ जावें। हमने एक झण्डे के नीचे, एक नेता के नीचे, एक पार्टी का नाम लेकर चुनाव लड़ा था, इकट्ठे हुए थे। उनमें विश्वास रखकर इस देश की जनता ने बिना यह देखे कि किस-किस को उम्मीदवार बनाया गया है, अपना मत दे दिया। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना है, मान्यवर, न्यायालय का अपमान इस सरकार के द्वारा करने की। मान्यवर, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे.......

एक माननीय सदस्य : आपने तो सिद्धान्तों को ताक में रख दिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों में जितने भी आज तक वाइस चांसलर बनाये गये उनमें से कोई भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया। यह हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। जिनको भी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त किया गया वे टिक नहीं पाये। उनको जाना पड़ा। एक विश्वविद्यालय

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

के जो वाइस चांसलर थे उनके लिए विशेष तौर पर यहां पर एक बिल लाकर पास किया गया, वह एक्ट बना और एक प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई। यह बताया गया कि इस प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति किये बिना विश्वविद्यालय का काम नहीं चल सकता है। इस प्रकार से यह एक्ट बनाया गया। मधु तिवाड़ी एक छात्रा थी। उसने एक रिट पेश की। राज्यपाल महोदय जो चांसलर हैं उनको एक रिप्रेजेन्टेशन दिया कि उसको सप्लीमेन्ट्री परीक्षा में गलत तरीके से नहीं बैठने दिया जा रहा है। इस पर चांसलर महोदय ने आर्डर दिया, आदेश दिया कि अन्तरिम तौर पर इसको बैठने की अनुमति दी जाये। वाइस चांसलर ने इस पर कहा, मैं इस आदेश को नहीं मानता हूं। गवर्नर कानून नहीं समझता है। कानून समझता तो इस तरह का हुक्म नहीं देता। तब मधु तिवाड़ी ने राज्य के उच्च न्यायालय में रिट पेश की। उस रिट पर माननीय न्यायाधिपति गुमानमल लोढ़ा ने एक स्टे आर्डर दिया कि इस छात्रा को इम्तिहान में बैठने दिया जाये। यह स्टे आर्डर लेकर एडवोकेट विमल चौधरी और दूसरे एडवोकेट सर्व करने के लिए वाइस चांसलर के पास गये।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह की चीजें आज हमारे पवित्र मन्दिरों के अन्दर हो रही हैं। वाइस चांसलर हाई-कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करता है। इस तरह से इम्तिहान में नहीं बैठने दे रहा है। वह कुलपति के आदेशों के प्रति किस तरह की भावनायें रखता है, अभिव्यक्ति करता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस तरह के दृश्य पैदा हो रहे हैं, मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, अपमान हो रहा है, सिद्धान्तों को जिस तरह से मिटाया जा रहा है, उस संदर्भ में मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जिनकी अन्तरात्मा आज भी स्वतन्त्र हैं, वे शीघ्र ही उधर उठ कर इधर आ जायें ताकि इस सरकार की इस तरह की हरकतें करने की हिमाकत और ज्यादा न हो।

मान्यवर यह तो मैंने आपके समक्ष न्यायालय के अपमान की बात कही है। अब मैं आपको लोक सेवा आयोग के संबंध में बताना चाहता हूं। हमारी इस सरकार ने इसको भी आतंकित करने की चेष्टा की है। हमारी राज्य सरकार ने जो कनिष्ठ व्यक्ति था, कनिष्ठ सदस्य था' लोक सेवा आयोग का, उसको सारे सीनियर व्यक्तियों से सुपरसीड करके लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया। ये हैं श्री रामसिंह। व्यक्तिशः इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वे बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन इस सरकार ने पहला काम यह किया था कि आपातकालीन ज्या-दतियों के खिलाफ जांच करने के लिए एक कानसिंह आयोग बिठाया था। उस कानसिंह आयोग की रिपोर्ट महाराजकुमार प्रतापसिंह की हत्या के बारे में आई। इस सरकार ने उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए एक कमेटी बिठाई, वह मल्हन कमेटी थी। उस मल्हन कमेटी ने भी उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए इस सरकार को

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

अपनी रिपोर्ट दे दी। इस मल्हन कमेटी ने श्री रामसिंह के खिलाफ प्रोसीक्यूशन फाइल करने की सिफारिश की थी। कमीशन ने अपनी फाइन्डिंग दे दी। रिपोर्ट पर फालो-अप एक्शन करने के लिए एक कमेटी बनाई। उस रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति को कन्विक्ट होना चाहिए था, वह मेम्बर सारे सीनियर मेम्बर को सुपरसीड करके लोक सेवा आयोग का चैयरमैन बन गया, यह इस सरकार का कार्य करने का नमूना है।

(व्यवधान)

इस देश को शुद्ध, स्वच्छ और अच्छा प्रशासन देने के लिये अच्छे व्यक्तियों का चयन करने के लिये हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक सेवा आयोग की कल्पना की थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार भी आएगी जिसके मुख्य मंत्री ठाकुर भैरोंसिंह शेखावत होंगे जो ऐसे व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का चैयरमैन बनाएंगे जिसको कि कानसिंह आयोग ने इंडिक्ट किया है और मल्हन कमेटी ने उसको प्रोसीक्यूट करने की सिफारिश की है। उस सिफारिश को अमली जामा हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहना दिया है। पिछले सत्र में हमारे कुछ साथियों ने कानसिंह रिपोर्ट पर यहां एडजोर्नमेन्ट मोशन दिए थे। मुख्य मंत्री ने स्वयं कानसिंह कमेटी की स्थापना की थी और इस छठी विधान सभा में यह घोषणा की थी कि कानसिंह कमेटी प्राइमा फेसी जिस किसी को दोषी पाएगी तत्काल उस व्यक्ति को वे निलम्बित करेंगे. कार्यवाही करेंगे। यह घोषणा हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने गर्व के साथ की थी परन्तु मुख्य मंत्री की यह चौथी घोषणा धरी रह गई और उस व्यक्ति. जिसको कानसिंह आयोग ने दोषी पाया, को वरिष्ठ सदस्यों से सुपरसीड करा कर जिसको मल्हन कमेटी ने दोषी पाया था, उसको लोक सेवा आयोग का चैयरमैन बना दिया। मान्यवर, चाहे मुख्य मंत्री उत्तर देते वक्त कहीं कोई इतिहास की मिसाल पेश करें जहाँ इस तरह के कारनामे हुए हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री भी कोई मामूली हस्ती नहीं है, चाहे आप उनको विश्वास का मत दें या न दें, मगर मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर 25 जून, 75 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्थान पर श्री भैरोंसिंह जी शेखावत होते जब इमरजेंन्सी प्रोमलगेट की गई थी. तो उस इमरजेंन्सी का स्वरूप कितना भयानक होता, उसकी क्रियान्विति कितनी भयानक होती इस बात का अन्दाज आप इन कार्यवाहियों से लगा सकते हैं जो बिना इमेंजेन्सी के कर सकते हैं।

मान्यवर, लोक सेवा आयोग का यह दृश्य आपके समक्ष मैंने रखा है। अब मैं आपके समक्ष विधायिका के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी विधायिका के प्रति हमारे मुख्य मंत्री किस प्रकार का रुख रखते हैं। हमारे मुख्य मंत्री के बारे में कई विधायकों को शिकायत है परन्तु, मान्यवर, ऐसा शायद कभी हुआ हो डेमोक्रेसी के इतिहास में किसी सदन ने अपने दल की

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री सदन के प्रति सदन के अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक रवैया रखते हैं । उस सदन का अध्यक्ष इस आरोप के साथ पद त्याग करे, तो मान्यवर, दुनियां की डेमोक्रेसी में इससे बड़ी घटना देखने को नहीं मिलेगी। अध्यक्ष ने जिस तरह से सरकार के रुख के बारे में कहा है, वह बड़ा खेदजनक है : because of the hostile attitude, because of the disregard of the House, its Speaker and its traditions........"

तो इस आधार पर पद त्याग किया है। हमारे अध्यक्ष इस तरह के नहीं थे कि जो थोड़ी-सी बात पर भड़क उठें । वे जहर को भी पी सकते हैं परन्तु जीवन से भी ज्यादा स्वाभिमान और आत्म सम्मान प्रिय होता है । भटनागर साहब आप वह जहर नहीं पी सकते हैं । इसलिए जिस सरकार के द्वारा न्यायपालिका का अनादर होता हो, विधायिका का अनादर होता हो, जहां पर लोक सेवा आयोग की यह हालत हो, उस सरकार के प्रति आप क्या कहेंगे कि वह मूल्यों का मापदण्ड ऊंचा कर रही है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं बोलूं तो आप यहीं पर रहें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बिलकुल आप जवाब दें, मैं मानता हूं ।

तो यह हालत है । मान्यवर, यह दृष्टिकोण है, विधान सभा, विधान सभा की परंपराओं के प्रति विधान सभा के अध्यक्ष के प्रतिअश्रद्धा है, फिर भी सरकार मूल्यों वाली है । मैं मना नहीं करता । आप निश्चित रूप से विवेक से तोल कर तय कीजिये । मैं नहीं कहता । मैं मिसेज गांधी का समर्थक नहीं । मिसेज गांधी ने सेंसरशिप लगाई, इमर्जेंसी लगाई । मैं इतना जरूर कहूंगा कि वे जो कुछ भी करती थीं खुले आम कह करके । इमर्जेंसी लगाई तो खुले आम लगा दी । सूर्यनारायण जी को, भैरोंसिह जी को गिरफ्तार किया तो खुले आम यह कह करके कि ये इमर्जेंसी में बाधा डाल रहे थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई तो सभी पर समान रूप से । इसलिए नहीं कि राजस्थान के छोटे अखबार भैरोंसिहजी के खिलाफ लिखते हैं । जो अर्जुन को पीड़ा युद्ध के समय हुई थी वह मुझे आज हो रही है । सूर्यनारायण जी इस धरती पर मेरे अजीज दोस्तों में से हैं, लेकिन वेल्यूज का प्रश्न आता है । मनुष्य के जीवन में कोई सार्थक चीज है तो वह है वेल्यूज । अगर विक्टरी हासिल करनी है तो वेल्यूज के साथ करते तो कोई मायने रखती लेकिन बिना वेल्यूज अगर हासिल करते हैं तो वह कुछ नहीं है। तो मान्यवर अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आप उन छोटे पत्रों को बन्द कर रहे हैं। विज्ञापन देना बन्द कर दिया और यही नहीं उनके खिलाफ मुकदमे दायर किये सरकारी खर्चे पर । मैं इस बात की चर्चा विस्तार से नहीं करूंगा क्योंकि कुछ और बातें भी मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार, जिसने 30 साल पहले एक पत्रकार कालोनी बसाई थी कालोनी का निर्माण किया था, ने पत्रकारों को प्लाट्स दिये थे....

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

(व्यवधान)

उनको खर्चा दिया और सुविधायें दी। लेकिन जनता सरकार के आने के बाद सिर्फ एक पत्रकार को मकान लेने की सुविधा प्रदान की गई। राजस्थान पत्रिका को केसरगढ़ दिया वह दास्तान भी एक घिनौना नाटक है, अपने आप में अलग है। मेरे पास वह एग्रीमेंट डीड भी है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी सब पत्रकारों को प्लाट देना तो दूर, रोडवेज के जो पासेज दिये जाते हैं उन पर भी पैसेन्जर टैक्स लिया जाता है। जिन पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं उनको भारत सरकार देती है ढाई रुपये पर सेंटीमीटर, जब कि राजस्थान सरकार देती है 50 पैसे पर सेंटीमीटर। वही पुरानी रेट राजस्थान सरकार की अभी तक चली आ रही है। इसके बाद तो मजदूरों की आमदनी बढ़ गई, हर चीज के भाव बढ़ गए लेकिन राजस्थान सरकार समग्र क्रान्ति के बाद भी इस पर कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं क्योंकि छोटे अखबार इनके खिलाफ हैं। उनको रेल यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी, प्लाट नहीं दिये जायेंगे, विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे. कुछ भी सुविधा नहीं दी जायेगी। प्रेस लोकतंत्र की भावनाओं को उजागर करने का एक प्रमुख तन्त्र माना गया है। क्या ठाकुर साहब की यही सरकार है जो इस तरह से मूल्यों को साबित करना चाहती है ! इस तरह से प्रेस का गला घोंट कर आज तक कोई आगे बढ़ नहीं सका है और न आगे बढ़ सकेगा। इस लिये, मान्यवर, जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है, प्रेस का प्रश्न है, लोक सेवा आयोग का प्रश्न है—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी बातों कोदृष्टिगत रखे हुए हूं। मुख्य मन्त्रीजी बहुत ध्यानपूर्वक सारी बात सुन रहे हैं। जन सम्पर्क मन्त्री महोदय ने अभी पिछले दिनों दाढ़ी बढ़ाई है। राजस्थान में उर्दू का एक ही अखबार है। उसको विज्ञापन नही मिलेगा क्योंकि वह हिंदी में नहीं छाप सकता। वही सरकार. जो यह कहते थकती नहीं थी कि प्रेस का जितना भला भला हमने किया उतना किसी ने नहीं किया, के द्वारा उर्दू भाषा पत्र को मजबूर इस बात पर किया जाता है कि तुम हिंदी में छापो। क्या उर्दू में पढ़ने वाले लोग नहीं है? टेण्डर्स देने वाले ठेकेदार नहीं है - क्या हर ठेकेदार के लिये केवल हिंदी ही जानना जरूरी है? मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जन सम्पर्क विभाग अल्प समुदाय का उत्थान करना चाहता है। अपने ही आदमी से अपने का गला कटवाना है साहब, रोशन किरदार को मरवाना है तो महबूब साहब को लो और हरिजनों के ऊपर अत्याचार करवाने हैं तो माननीय सम्पतराम जी के द्वारा....

श्री एच. एन. शर्मा : देखना हैं गुरु कौन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गुरु तो वहीं हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : धन्यवाद, लेकिन मैं आपको गुरु मानता हूं।

तो, मान्यवर, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इस तरह के मूल्यों वाली सरकार जब तक रहेगी, निश्चित रूप से मूल्यों का अवमूल्यन होगा और मूल्यों को दफना दिया जाएगा, जैसे बादशाह औरंगजेब ने संगीत को दफना दिया।

मान्यवर, जनता दल की ओर से शायद मैं दूसरा ही वक्ता हूं। पहले महारावल साहब बोले और अब मैं बोल रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मान्यवर, आप पायेंगे कि यह सरकार एक महान् हस्ती है इस जैसी कहीं मुल्क में मिलेगी नहीं। एक भागीरथ हुए थे जो गंगा लाये थे हमारे मुल्क में जो भागीरथी कहलाती है लेकिन यहां तो तीन-तीन भागीरथी गंगा है जो त्रिवेणी कहलाती है—नौकरशाही, निकरशाही और सामन्तशाही की त्रिवेणी। लेकिन, मान्यवर इस त्रिवेणी में न गंगा, न यमुना और न सरस्वती का पवित्र जल है। इसमें यदि जल है तो गटर का पानी है जिससे जन-जीवन दूषित हो रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस सरकार को जल्दी जाना चाहिये ताकि जनता इस गटर की त्रिवेणी से मुक्ति पा सके, इस तीन शाखाओं वाली भागीरथी से मुक्ति पा सके।

मान्यवर, माननीय भैरोंसिंह जी को सलाह दूंगा कि जहां आप फाइलों में दस्तख्त करते हैं भैरोंसिंह शेखावत, वहीं साथ ही यह और लिख दें कि जिम्मेवारी मीठालाल मेहता की। यह हंसने की बात नहीं है गम्भीर बात कह रहा हूं। मान्यवर, जिस दिन, मान्यवर, मुख्यमन्त्री महोदय अपने आसन पर नहीं होंगे, जब कमीशन उनके खिलाफ होगा तो डिफेंस उनको करनी पड़ेगी इसलिये मैं इन्तजाम कर रहा हूं पहले से ताकि वे कह सकें कि दस्तखत हमारे, जिम्मेवारी मीठालाल मेहता की। मान्यवर, नौकरशाही की यह हालत है। वे मीठालाल जी, जिनके बारे में पहले मैंने चर्चा उठाई थी, विरोधी साथियों ने चर्चा उठाई, फिर सारे सदन में चर्चा उठी, फिर छोटे अखबारों ने छापा, फिर बड़ों ने छापा अब ब्लिट्ज भी छाप रहा है और आज राष्ट्रपति जी के पास भी आरोप मौजूद है। जहां तक मुझे जानकारी है, इन आरोपों की जांच होने वाली है। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी इनका जवाब दें। वह जवाब दे नहीं सकते हैं। एक मीठालाल ने जो अकेले किया। उसकी एक छोटी सी मिसाल है। जिसका बाप पटवारी का काम करने वाला है। जिसकी माली हालत खराब थी? जिसके पास एनसेस्टरल प्रापर्टी नहीं थी। मीठालाल आज चाहे जो कर दें। मुख्य-मन्त्रीजी एक पटवारी का बेटा मीठालाल जिसकी आमदनी कुछ नहीं है, किस तरह से प्रापर्टी इकट्ठी की है? सुखाड़िया साहब का भ्रष्टाचार प्रिय विषय रहा है। मुख्य मंत्रीजी, 22 जून, 1977 को 9.32 पर आपने शपथ ली भ्रष्टाचार समाप्त करने की, लेकिन भ्रष्टाचार सीमा रेखा को पार कर गया। 4 मार्च, 1978 को, मुख्य मंत्री जी, आपने सदन को जवाब दिया था।

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

जवाब देते हुये मुझे कहा था, ठीक है मैं मीठालाल से सीखता हूं। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन यह ट्रेनिंग पीरियड कब तक चलेगा ? ऐसा लगता है कि 5 साल तक चलेगा। मीठालाल ने बंगला बनाया है, 5 लाख का, जिसका 5 हजार रु. किराया आता है। मीठालाल ने 100 बीघा जमीन अपने पिता के नाम से ली है, 100 बीघा पत्नी के नाम से जमीन खरीदी, गांव में मकान बनाया। नये और पुराने का सम्बन्ध रखना है इसलिए एक पुराने ठिकाने से महल भी खरीदा है। गांव में 8 लाख की प्रापर्टी खरीदी है। अपने भाई मनोहरलाल मेहता को भीलवाड़ा में जब वह एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिन्धी कालोनी में जमीन दी जिस पर दो लाख का बंगला है। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो शिकायत आगे नहीं बढ़ने दी। सेम आर्डर थे। पैरेलल आर्डर थे। उन्होंने काशीपुरा कालोनी में एक बेनामी मकान बनाया। उसकी एक लाख कीमत है। इसके अलावा चित्तौड़ में बिरला सीमेन्ट वर्क्स है। वहां भी एजेन्सी अपने पिता को दिला दी। इस तरह से मुख्य मंत्रीजी की नाक के नीचे बैठकर लूट रहे हैं। सम्पत्ति इकट्ठी कर रहे है। फिर भी मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि ऐसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। मीठालाल ने गलत तरीके से सड़क निकलवाई। डरा धमका कर उनको मुआवजा दे दिया। यह मीठालाल के पिता मोतीलाल जी चित्तौड़गढ में कर रहे हैं। वहां के सारे लोग गवाही देंगे। अशोका क्लब में ललितसिंह जी ने मुझे चिट्ठी दिखाई। उन्होंने मुझे कहा, बजरंग भाई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं यह चिट्ठी तुम्हारे को दे दूंगा। वहां पर डा0 हरिसिंह मौजूद थे। कल्याण सिंह कालवी मौजूद थे। यह कहा कि रुपया दो और चट्ठी ले लो। यह हालत हो रही है। मीठालाल के पिता मोतीलाल यह कर रहे हैं। अगर उनके हित की बात अधिकारियों ने नहीं मानी तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है। वह ज्यादा काबिल है तो ज्यादा विभाग दे दीजिए। हो सकता है, गृह मन्त्रालय दे दिया जाये। अगर मन्त्रालय नहीं रहेगा तो मोतीलालजी की क्या हुकूमत चलेगी ? इस प्रकार से तानाशाही की बात की जा रही है। छोटी-छोटी गलियों और मुहल्लों में मस्त हाथी खड़े कर दिये हैं। हाथी की तरह से वह मस्त होते जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह कल्याणसिंह जी कालवी के सुपुर्द कर सकते हैं मगर इनके हाथी भी हो सकते हैं, न्यायाधीश कानसिंह, जिनका उच्च न्यायालय में महान सम्मान रहा है। जब फिशरीज के बारे में झगड़ा पड़ा। जयसमन्द झील के बारे में, उजला अरोड़ा के नेतृत्व में वेरी कमीशन के बारे में वाक आउट किया तो कानसिंह को जांच का काम सौंपा गया था। विश्व विश्वद्यालय बन्द हैं। होस्टल बन्द हैं। जोधपुर में शिक्षा बन्द हो गई है। कानसिंह को भेजा गया। मुख्य मन्त्री ने कहा दिया कि आप परसराम मदेरणा से बात

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
कर लीजिए। कालवी साहब से और परसराम मदेरणा से बात कर लो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे पास दस्तख्त शुदा नोट हैं। उसका कुछ पार्ट माननीय सदस्यों के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शर्मा जी, अपना भाषण जरा जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : जितना समय आप मुझे देंगे।....

श्री अध्यक्ष : आपका समय....

एक माननीय सदस्य : जनता 'एस' से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या बाकी और कोई नहीं बोलना चाहते हैं? 4 बजे सरकार जवाब देना शुरू करेगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता यह कहे कि अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, ऐसा टाइम टेबल निकाल कर आये कि विरोधी पक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन सत्ता पक्ष के मुख्य मंत्री को तीन घण्टे बोलने को मौका मिला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन घण्टे की बात नहीं है। व्यवधान की वजह से समय बहुत ज्यादा लगा। बोलने का समय तो कम रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : व्यवधान इतना नहीं था।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह किसी छोटे-मोटे अखबार का लेख नहीं है। यह, मान्यवर, माननीय जस्टिस कानसिंह जी के विचार हैं जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहे हैं उसके कुछ हिस्से पढ़ कर सुनाता हूं। जब उन पर हमला हो रहा था और मुख्य मन्त्री जी की पुत्री पर भी हमला हुआ, उन्होंने कहा कि "The District administratiou was doing their best, but the most unfortunate part of it was that a Cabinet Minister, who was supposed to give moral support to the authcrities of law and order was having open sympathies towards the agitators."

यह हल्की फुल्की शर्म की बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है—

"He was hobnobbing with the boys and talking loosely about the appointment of new Vice Chancellor and the functioning of the University. Another Minister sent me a message from Beawar

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

through his Private Secretary that no action be taken against Dr. L.S. Rathore, who had accused the Vice Chancellor in writing of deceitful behaviour and in the meeting of the Academic Council adopted an attitude unbecoming of a teacher."

अब आ रहा है, मान्यवर, वह पार्ट, वह एस्टोनिशिंग पार्ट।

"What is most astonishing to me is that valuable things in the University had been burnt, University property had been damaged and destroyed in parts, teachers were beaten and even I was attacked, yet no responsible minister of the Government, including the Chief Minister, ever condemned it in public."

यह वह पवित्र भूमि है, मान्यवर, जहां नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय रहे हैं, उसके प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन होता है। वहां पर वाइस चांसलर को दुख के साथ और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है—

The most astonishing part is that none from the Cabinet Ministers, including the Chief Minister, ever condemned it in public.

मान्यवर, not only this के आगे ले कर चलता हूं, घाव सिर्फ इतना ही गहरा नहीं है—

"Not only this. These very boys against whom cases relating to serious offences like arson were pending were freely being given audience both by the C M. and the Agriculture Minister."

जिन लोगों के खिलाफ हत्याओं के, आगजनी के, लूटपाट के और यूनिवर्सिटी प्रोपर्टी को नष्ट करने और दूसरे-दूसरे मामले पेंडिंग हैं वे लोग मुख्य मन्त्री जी से और कृषि मन्त्री जी से पनाह ही नहीं ले पाये बल्कि उन्होंने उनसे प्रोटेक्शन भी पाया। यह सब कहना पड़ रहा है वाइस चांसलर को जनता पार्टी के विरुद्ध। उन लोगों की ज्यादतियों की जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति ने एक यह भी सर्टिफिकेट दिया। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, इसको भी आप ध्यान में रखें। सिर्फ इतना ही नहीं वह कुछ और भी कहते हैं।

"For my part, I wish to know whether all these acts of arson, violence were isolated events or part of a grand design...."

ये सारे कृत्य जो यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं—

"....... part of a grand design abetted by some top functionaries in the State."

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

Part of a grand design which has been deliberated upon, which has been deoided upon at the highest quarters of the State.

तो, मान्यवर, इस तरह का शायद ही आज की तारीख में, इस धरती के किसी मुल्क में, जहां डेमोक्रेसी है, जहां रेस्पान्सिबल गवर्नमेन्ट है, जहां रिप्रेजेण्टेटिव गवर्नमेंट है, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण वाइस चांसलर है, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को वाइस चांसलर बनाकर भेज दिया, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सारा सदन श्रद्धा रखता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कितने सदस्यों का टाइम लेकर बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

कितना समय आप बोल चुके हैं? आपको सवा घण्टा हो चुका है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : 1 बज कर 20 मिनट पर माननीय माथुर साहब ने खतम किया था।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट में खतम कीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सिर्फ न्यायपालिका क्षेत्र में ही नहीं, विधायिका क्षेत्र में ही नहीं, जहां हमारे स्कूली लड़के हायर सैकण्डरी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां अध्यक्ष महोदय, एस.पी. सिंह भण्डारी को तीन साल का एक्सटेन्शन दिया है, भण्डारी को और ओंकारसिंह को दिया है। उन पर जो आरोप थे उनको जांच के लिये भेज दिया गया लेकिन उनको हटाया नहीं गया। इस लिए उनको रखा गया कि सारे प्रदेश में जन-जन की आवाज थी, सामन्तवाद का आरोप था, इसलिए कोई भी क्षेत्र हो, न्यायपालिका का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। माननीय भटनागर साहब जिनके लिए आप कह रहे हैं उन मूल्यों का यह हाल हो रहा है, और भी बातें हैं जिनमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है और आरोप ज्यादा हैं। 27–28 महीने शेखावत सरकार को हुए हैं, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक हजार से अधिक किस्से सुना सकता हूं। लाल कोठी का दृष्टान्त देता हूं, 17 प्लाट खाचरियावास के लोगों को दिये गये। पुरानी सरकार ने इसको नहीं माना, इन्होंने कहा नई मार्केट रेट से देंगे, लेकिन स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हुक्म दिया कि इनको कन्सेशनल रेट पर प्लाट्स दिये जायें। किस किस को प्लाट दिए गए, कौन कौन से प्लाट दिये गए, मुख्य मन्त्री जी के कजन श्री धरमवीरसिंह खाचरियावास रह रहे हैं, मैं इस पत्र की फोटोस्टट कापी पेश कर रहा हूं। इस पत्र को मैं सदन की मेज पर रखता हूं, यह उन्होंने अपने हाथ से लिखा है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से और सदस्य नहीं बोलेंगे जो बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्वयं धरमवीर सिंह जी के हाथ का लिखा हुआ, 17 व्यक्तियों के नाम दिखा रहा हूं। 17 प्लाट कम कीमत में देने के लिए इसलिए मन्जूर किया गया कि उन परिवारों में स्वार्थ निहित था इस सदन के माननीय नेता का। रात को साढ़े ग्यारह बजे हाउसिंग बोर्ड की लाटरी खुलवाकर माननीय भैरोंसिंह जी के नाम प्लाट अलाट किया गया। लोगों ने शिकायत की, हल्ला मचा, लेकिन जांच नहीं की गई। लोग मेरे पास आते हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि सारे तथ्य मुझको बता कर जाते हैं। पहले भैरोंसिंह जी यह काम किया करते थे। मेरा दुर्भाग्य है मैं उनकी भूमिका निभा रहा हूं। मुझको उनकी भूमका निभानी पड़ रही है। कर्म वे करते हैं और कर्मों का बोझ हमें उठाना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यहां सी स्कीम है, वहां एक गंदा नाला बहता है जिसमें सारे शहर की गंदगी आती है। जनता पार्टी, जिसका मैं सदस्य था के लिए मुझे बड़ा गर्व था। उसके पापों का वजन मेरे सीने पर कैसा है, इसका उदाहरण देता हूं, जोधपुर हिज हाईनेस श्री गजसिंह, जो ट्रिनीडाड में चार्ज-डीग्राफेयर्स थे, को 50 बीघा जमीन बहुत सस्ते दाम में दे दी। इतना ही नहीं बिरला का ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का इरादा था, भारत सरकार ने कह दिया कि पानी कम है, पानी नहीं है, 15 मिनट भी पानी नहीं मिलता इसलिए वहां फैक्ट्री नहीं लगेगी। फैक्ट्री नहीं लगी लेकिन बांगड़ ने सरकार पर जोर लगाया तो भारत सरकार ने कह दिया कि यदि राज्य सरकार एग्री करे तो फैक्ट्री लगेगी। पिछले 18 सितम्बर को मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री ब्यावर पहुंचे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका लंच रखा, फिर आ गया सेठ का न्यौता। न्यौते मे क्या हुआ? स्वदेशी मिल्स, चोरड़ियाज जिसके पार्टनर हैं पर 1979 में एक छापा मारा कामर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने 10 लाख का टैक्स इवेजन मिला। रातों रात रघुलालजी बम्ब के यहां दावत हुई। लाइटवेट मुख्य मंत्री और हैवी वेट कृषि मंत्री पहुंचे। कार्यकर्त्ताओं का लंच। बांगड़ साहब के लंच में तय हुआ कि अगर इस इवेजन के मामले में हमको बचा देंगे तो चुनाव का खर्चा हम देंगे। तो इवेजन के मामले में बचाने का सरकार का निर्णय हुआ है।

इसी लंच पर एक और बात तय हुई बांगड़ के लिए, दिग्विजय सीमेंट फैक्ट्री उनकी है, भारत सरकार को राज्य सरकार गारंटी करेगी कि वह पानी देगी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये और इसके एवज में नागौर, पाली व अजमेर तीनों जिलों के लोक सभा चुनाव का खर्चा बांगड़ देंगे। उसके बाद 23 तारीख को यहां मुख्य मंत्री से फिर मिल गए हैं श्री भंडारी वहां के जनरल मैनेजर। बातें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(82)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

किसी भी सरकार के लिए यह जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : दूसरे दलों के भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, माननीय गुप्ता और दूसरे, उनको भी बोलना है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह कहने में मुझे कोई आनन्द नहीं आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नहीं कहता कि आप गलत या सही बोल रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे माननीय सदस्यों को आपसे भी अच्छी बात कहनी हो, वे रह जायं। खास मुद्दों की बातें आप शुरू शुरू में कह चुके हैं।

श्री गोपालसिंह (खडेला) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल की तरफ से श्री बजरंगलाल जी दूसरे व्यक्ति हैं, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि इन को समय जरूर दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अभी तो बताना है कि मन्त्रिमंडल के सदस्य व मुख्य मंत्री कैसे टैक्स इवेजन करते हैं, उनके नोटिस आए हैं।

श्री अध्यक्ष : बाकी दूसरे सदस्यों के लिए छोड़िए क्योंकि 4 बजे सरकार का जवाब है।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : माननीय सदस्य को समय दिया जाए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उस मीटिंग में सौदा तय हो गया चुनाव के लिए, पानी तो मैंने मंगाया है, सौदा तय हो गया चुनाव के लिए, नागौर, पाली व अजमेर तीनों जिलों के लोक सभा चुनाव का खर्चा जनता पार्टी का मुख्य मत्री को बांगड़ देंगे। इससे आगे चलें। स्मग्लर्स के बादशाह शिवशंकर गुप्ता। सारे संसार में स्मग्लर्स का दिग्गज। 4 बीघा जमीन पर मकान बनाया कृषि भूमि पर। माननीय रामनारायण चौधरी, स्वायत्त शासन मन्त्री पर दबाव पड़ा उन्होंने कहा मेरी ताकत नहीं। लेकिन जनता सरकार आई और इतवार के दिन आफिस में जाकर फाइल पर आर्डर कर दिया गया कि सब नियमों से मुक्ति दी जाती है। भटनागर साहब, यह जयप्रकाश नारायण की कोठी नहीं थी, यह जसलोक अस्पताल का मकान नहीं बना था, यह मकान उनके लिए नहीं था जो अन्त्योदयी हों, बेसहारा हों लेकिन जो ससार का सबसे बड़ा स्मग्लर और पैसे वाला है, समझदार आदमी समझ सकता है, जब तक लाखों रुपए की लेन देन नहीं होगी तब तक यह काम नहीं हुआ होगा, पचासों दास्तान ऐसी बता दूंगा। जिस समय हमने जनता पार्टी के अध्यक्ष को मेमोरेंडम दिया व तत्कालीन प्रधान मन्त्री को दिया तो पता लगा कि सारी फाइलें मुख्य मंत्री की लोक व की में हैं। यह कैसे उनको मालूम हुआ? क्योंकि हाईकोर्ट की रिट में जवाब आया कि हम जाकर टाउन प्लानिंग विभाग में दे आए हैं पता नहीं कहां हैं? क्योंकि टाउन प्लानिंग वाले अनिय-

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

भिज्ञता जाहिर करते हैं, यह सब मुख्य मंत्री की लाकव की में है। भ्रष्टाचार आपके एक एक टिशु, फैब्रिक, एक एक अणु में है।

सुनीता राठौड़, कमला कुमारी राठौड़. चौमू हाउस। सीलिंग से ज्यादा भूमि। भूस्वामी को हार्डशिप काज हो रही है। भूस्वामी को बड़ी कठिनाई हो रही है। क्यों इजाजत दी गई? ताकि होटल का निर्माण हो। भूस्वामी को कठिनाई महसूस हो रही है इसलिये होटल निर्माण के लिए जमीन दी गई। यह उन मूल्यों वाली सरकार का काम है जिनका वजन आज भी भटनागर अपने सर पर उठाये हुए हैं। यही नहीं, होटल की जमीन 25-30 लाख की है। महावीर मार्ग पर सिनेमा, सूचना केंद्र के पास होटल बनाना, हवा महल के सामने रेस्टोरेन्ट। अस्पताल में कमजोर बीमार लोग होते हैं, वहां सामने सिनेमा हाल की मंजूरी हुई। तो, अध्यक्ष महोदय, होटल और सिनेमाओं से क्या गड़बड़ी नहीं होगी? जहां एक ओर हास्पिटल्स के आसपास शांति होनी चाहिए। वहां अशांति होगी और हल्ला होगा। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस राज्य सरकार के मन्त्रियों के बारे में कहना चाहूंगा कि इस सरकार को शर्म और हया तो बिल्कुल है ही नहीं। आज इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट से लगातार इनके खिलाफ में नोटिसेज इश्यू हो रहे हैं और यह इन्कम टैक्स नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनके नेता जगजीवनराम जी ने भी तो दस साल तक इन्कम टैक्स नहीं दिया था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हां यह सही है कि इनके नेता जगजीवनराम जी ने दस साल तक इन्कम टैक्स नहीं दिया तो यह साल दो साल का टैक्स के बकाया के बारे में तो सोचेंगे ही क्या। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हरिजनों के बारे में बहुत कुछ कहती है कि हम हरिजनों का बहुत भला कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आज मैं विधान सभा आ रहा था तो इनके ही मुख पत्र राजस्थान पत्रिका पढ़ने को मिली उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि उदयपुर में हरिजन महिला को पुलिस थाने में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया। इसलिए गृहमन्त्री जी, जो कि हरिजन हैं, राज्य में अगर इस तरह से एक हरिजन महिला को नंगा करके पीटा जाये, तो जब जगजीवनराम जी प्रधान मन्त्री हो जायेंगे तो हरिजनों का क्या हाल होगा?

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर वगैरह में यू.आई. टीज का गठन हुआ। मान्यवर, कांग्रेस के राज में जब इमर्जेन्सी थी आपात स्थिति तो

(व्यवधान)

आप बैठिये। आपको भी मौका मिलेगा।

तो, अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी में जहां जहां पर यू.आई. टीज थे वहां वहां पर जो विधान सभा सदस्य थे उनको वहां पर उन यू.आई. टीज का सदस्य बनाया गया

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

था। पर जोधपुर में जो यू. आई. टी है वहां के एम. एल. ए. को उसका सदस्य नहीं बनाया गया है। आज हरिजनों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और वह नरपतसिंह हरिजन सदस्य हैं तो वहां पर इनको सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? इसके साथ साथ में आपको यह निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे राजस्थान में एक चूरू जिला है वहां तारानगर की तहसील है उसमें एक भालेरी नाम का गांव है। उस गांव का एक व्यक्ति विदेश से धन कमा कर लाया और वहां पर अपना मकान बनाया। उस गांव के ठाकुर एक नाहरसिंह जी हैं जो कि पहले आर.ए.एस. आफिसर थे और अब रिटायर हो गये हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने मकान बनाया है उसका बयाना हमको देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि बयाना किस बात का? क्या पहले वाला जमाना वापस आ गया है? तो नाहरसिंह जी ने फर्माया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वापस राजपूतों का राज्य आ गया है। भैरोंसिंह जी का राज्य आ गया। जब उसने बयाना देने को मना किया तो वह 25–30 सरदारों को लेकर वहां पर मय लाठियों के पहुंच गये मदमस्त हाथियों की तरह और वहां पर जाकर पिटाई करने लगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन पहले ही कर दिया कि अब मदमस्त हाथी हैं। इनके आगे चाहे कोई आये, चाहे नारायण चतुर्वेदी आयें चाहे कोई व्यक्ति आये यह तो मदमस्त हाथी हैं यह तो लोगों पर टूट पड़ते हैं। तो यहां भी लोग 25-30 जो थ वह उस पर टूट पड़े। खैर, मारपीट कर सरदार लोग भाग गये। उस व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट की. कलेक्टर को अर्जी दी। कलेक्टर ने एस.पी. को इन्क्वायरी करने को कहा। उसने थानेदार से कहा। थानेदार ने जो तहकीकात की उसमें 207-449 का केस बनाया था। एस.पी. साहब वहां पर जब आये तो उन्होंने कहा कि यह 307 और 449 की धाराओं को काट दो और 323 की धारा के अन्तर्गत चालान कर दो। इसके बाद में शिकायत की गयी राज्य सरकार के पास। उन्होंने डी आई. जी को दी डी. आई. जी. ने एस पी रामसिंह को इंक्वायरी दी। अध्यक्ष महोदय यह आज भी थानेदार की डायरी में मौजूद है कि मुकदमा 307-449 का है पर एस पी. साहब ने उसे काट दिया। उसके बाद में नाहरसिंह साहब गंगानगर गये और गुन्डों को लेकर आये। उस व्यक्ति को अपनी जान-माल का खतरा हो गया तो एस.पी. साहब ने उस व्यक्ति के पास दो गार्ड को उसकी हिफाजत के लिए लगा दिये। अब वह व्यक्ति उन दो लोगों की तनख्वाह, उनका खाना खर्चा दें। जहां जहां भी वह जावे उनको साथ ले जावें तो इस प्रकार पांच हजार रुपया उस व्यक्ति पर खर्चा पड़ गया। उस नाहरसिंह को आज तक पुलिस नहीं पकड़ सकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें और भी सदस्यों को बोलना है। आपने तो सिर्फ पांच मिनिट ही मांगे थे। काफी समय हो गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : नो. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उस

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नाहरसिंह को पुलिस नहीं पकड़ सकी और हालांकि उस नाहरसिंह ने अपनी जमानत कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी भी दे दी थी पर वह खारिज हो गयी । आज 6 महीने हो गये हैं उस घटना को लेकिन नाहरसिंह को नहीं पकड़ा जा सका । इसका कारण यह है कि अगर नाहरसिंह को पकड़ते हैं तो कालवी ठाकुर साहब बीच में आ जाते हैं । जब कालवी ठाकुर साहब बीच में आ जाते हैं तो और दूसरी बातें खड़ी हो जाती हैं ।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मन्त्री) मैं तो हर काम आपको पूछ कर करता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ठीक है, बोले तो सही आप ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल विधान सभा में उठाया । मुख्य मन्त्रीजी चूंकि दिल्ली गये हुए थे इसलिये गृह मन्त्रीजी से बात नहीं हुई ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें । और भी सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह टालमटोल है जो पिछले 27 महीनों से देख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, केरल सुन्दरी की हत्या कांड के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं ।

(व्यवधान)

आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । रेलमगरा में हत्या हुई और उसकी खबर जयपुर तक आई ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं या घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं । आप विराजें ।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें पूरी घटना की कहानी सुननी है । यह वैसे राजस्थान के प्रमुख समाचारों में आ चुकी है, केरल के अखबारों में चर्चा हुई । केरल विधान सभा में इस हत्या कांड की चर्चा हुई । इन्हें अवसर दें ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे नर्सिंग स्टाफ में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चर्चा खुलासा रूप से होनी चाहिये कि यह घटना क्या है और कैसे हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहे। माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर खड़ा है, माननीय सदस्य। अगर माननीय सदस्य एक एक घटना का यहां सदन में बयान करेंगे तो मेरे ख्याल से दस घण्टे लग सकते हैं। यह सभी घटनायें आपको जनरल डिस्कशन में बयान करना चाहिये अभी सरकार के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी हत्या हुई केरल की किसी नर्स की। हमारा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आखिर यह क्या हो रहा है। इस प्रकार आये दिन जो हत्यायें हो रही है यह हमारी सरकार पर ब्लाट है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की आज कई घटनायें राजस्थान में हो रही हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में टेप रिकार्डर को सुनाने की अनुमति

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आन-ए-पाइन्ट आफ आर्डर। क्या सदन में कोई व्यक्ति टेप रिकार्डर लेकर आ सकता है?

कुछ माननीय सदस्य : आ सकते हैं। आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सिर्फ एक मिनट बोलेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह टेपरिकार्डर मैं लेकर आया हूं। टेप की दास्तान की एक बात कहना चाहता हूं ताकि सदन में वह घिनौना इतिहास उजला हो जाये। मान्यवर, मैं सही कह रहा हूं कि माननीय सदस्य डूंगरराम जी के साथ क्या हुआ, वह बताऊंगा ...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अगर टेप रिकार्डर आ सकता है तो मेरा डंडा भी आ सकता है

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेप रिकार्डर लेकर इस सदन में नहीं आ सकते।

श्री मदनसिंह दांता : यह पंजाब हाई-कोर्ट का जजमेंट है कि टेप रिकार्डर आ सकता है।

मन्त्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री बजरंगलाल शर्मा : मान्यवर, एक निवेदन है। जो कहानी है इस कहानी की

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

शुरुआत । रेलमगरा से है, चित्तौड़ जिले के रेलमगरा से। कहां श्री बंसीलाल जी व्यास मौजूद और हमारे सहकारिता मन्त्री मौजूद। मैं हमारे सहकारिता मन्त्री जी से सारी बातों में मतैक्य हूं सिवाय एक बात को छोड़ कर। वह बंसीलाल यू. डी. सी. था और इन दोनों के वहां अमनी के साथ संबंध हैं। यह कहा जाता है और यह लोक चर्चा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मान्यवर, बन्शी लाल व्यास विवाहित हैं इनके चार बच्चे हैं। इनके सम्बन्ध थे और लोकचर्चा है, सत्य कथा है यह भी बहुत जोरों से लोकचर्चा है कि जब हमारे सहकारिता मन्त्री वकालत करते थे तो यह हमेशा उनके यहां जाते थे। भाग्य ने करवट ली और जनता सरकार बन गयी। और श्री मेघवाल जी मन्त्री बन गये, श्री बन्सी लाल जी व्यास उनके पी. ए बन गये और असनी भी रेलमगरा से ज़यपुर तबादला होकर आ गयी। 'सी' स्कीम में सुरेश मार्ग है, यह नाम जरूर गड़बड़ है क्योंकि दिल्ली में भी सुरेश और यहां भी सुरेश मार्ग। तो सी स्कीम में व सुरेश मार्ग पर 49 नम्बर में रहने लगी, श्री बन्सीलाल व्यास वहां जाते थे और कभी कभी उसको उनके बंगले पर भी ले आते थे। यह कार्यक्रम, श्रीमान चलता, रहा और 20 सितम्बर आ गयी....

श्री अध्यक्ष : बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्रीमतीसुमित्रासिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं सदन के ध्यान में बात लाना चाहूंगी कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होती है तो मन्त्री के खिलाफ कोई स्पेसि-फिक चार्ज होता है। तो बात जब तक पूरी नहीं हो तब तक उसको आप सुनें।

श्री दिग्विजयसिंह : नोटिस का प्रोवी-जन भी है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपको पूरी बात कहने की इजाजत देनी पड़ेगी। पूरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय शर्मा साहब दूसरी बातें कहते रहे और जब टाइम समाप्त होने आया तब मन्त्री महोदय की बात उठा दी। मैं यह चाहता हूं कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : स्पेसिफिक चार्ज है वह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यह अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं संक्षेप में कहूंगा। जिन्दगी समाप्त हो रही है और मैं भी समाप्त कर रहा हूं। 20 सितम्बर की रात 11 बजे बन्सीलाल व्यास उसके पास

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पहुंचे और 11 ॥ बजे बाहर कोई आवाजें आई। उनके सामने एक श्री एल. ए.न. शर्मा रहते थे, वह उठे और उन्होने जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही आवाज बन्द हो गयी। उसके बाद फिर दरवाजा खटखटाया गया। और फिर आवाज बन्द हो गयी। ऊपर से मकान मालिक का बड़ा भाई गुलाब चन्द आया उसने कहा कि दरवाजा खोलो। तो अन्दर से उन्होंने कहा कि ताला लगा है। दरवाजा खोलने में टाइम लगेगा....

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय शर्मा साहब,

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी अगर यही आज्ञा है कि इस तरह के घिनोने चरित्र जिसमें खून हो, कामुकता हो, वासना हो और जो राजस्थान में मेहनत करके यहां के लोगों की सेवा करने के लिए आई उसके लिए कुछ नहीं कहा जाये तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री अध्यक्ष : माननीय शर्मा साहब आप एक ही बात बता दें। हर बार दो दो मिनट की बात कह कर आगे बढ़ते जाते हैं, माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप कितना समय लेना चाहते हैं? आप कितनी देर और बोलना चाहेंगे?

श्री बजरंगलाल शर्मा : 10 मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आप दो मिनट और ले लें। दो मिनट से काफी ज्यादा बोल चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कहां बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, काफी बोल चुके हैं। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि सैक्स स्केन्डल का पहला किस्सा मैंने शुरू किया है, ऐसे सैकड़ों किस्से हम आपके सामने रखना चाहते हैं वह रखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के नेता कितने लंगोट के सच्चे हैं। इस राजस्थान में महिलाओं का सदा मान रहा है और इसी के लिए मशहूर हैं। जहां नारी का सदा सम्मान किया गया है वहां बात कहने का मौका नहीं दिया जायेगा तो नारी को इस सदन के भी बाहर सम्मान नहीं दे पायेंगे, यदि यहां नहीं दिया तो। तो, मान्यवर, 20 तारीख की रात को जब कमरे से आवाजें आई तो किवाड़ को धक्का लगाया और कहा कि किवाड़ को खोल दो नहीं तो तोड़ देंगे। इतना कहने पर अन्दर से कहा गया कि ताल

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

लग रहा है । खोलने में समय लगेगा। ताला खुला तो सारा कमरा धुएं से भरा हुआ था। बन्सीलाल और श्रीमान दोनो कमरे में थे। उस समय तीन आदमी कमरे में घुसे तो अमनी ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ और अस्पताल ले चलो। उसने उस समय गाउन पहना हुआ था, चुड्डी थीं और बोडी थी। वह गाउन बहुत जल चुका था। वह चिल्लायी कि मुझे पानी पिलाओ और अस्पताल ले चलो। इसी बीच में बन्सीलाल भागने की कोशिश करने लगा लेकिन उसको रोक लिया गया। पड़ोस के सेठ साहब की गाड़ी मांगी और अमनी को अस्पताल ले जाया गया। अमनी ने वहां लिखाया कि बन्सीलाल की वह पत्नी है। लेकिन बाद में बन्सीलाल ने कहा कि मैं पड़ोसी हूं। वह जल गयी इसलिए मैं वहां पहुंचा। मान्यवर, डा. ड्यूटी पर था, जब उसने देखा 90 पर्सेन्ट बर्न का केस है तो उसने पुलिस कन्ट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस आ कर चली गई। स्टोव जल रहा था। न खाना बन्स रहा था, न चाय बन रही थी, न सब्जी बन रही थी। मान्यवर, जब हमको मालूम पड़ा, मैंने थानेदार को टेलीफोन किया तो कहा, इस समय आई. ओ. नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : तथ्यों को हटा दिया गया है मन्त्री की खाल को बचाने के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी बोल चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पूरी बात तो कहने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : जो घटना हुई है पूरी तरह सुन लीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको पूरा सुन लीजिये

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मेरा निवेदन है। तीसरी बार माननीय सदस्यों का सहयोग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन है कृपया दूसरे वक्ताओं को बोलने के लिये मौका दें। कई ऐसी पार्टीज भी हैं जिनके वक्ताओं में से एक भी वक्ता नहीं बोल पाया है। आप उन लोगों के साथ कोआपरेट करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : यदि आप उचित समझें, माननीय सदस्य को 5 मिनट का समय और प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता के अनुरोध पर 5 मिनट और बोल लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब मैंने 23 की रात्रि को पुलिस से पूछा तो आई. ओ. ने कहा कि मेरे पास आज फाईल आई है। मैंने मेडिकल जूरिस्ट से बात की। डा. गोयल ने कहा, बन्स का केस है लेकिन पुलिस ने बयान लेने से मना कर दिया। 90 पर्सेन्ट बर्न्स का केस है था लेकिन बयान रिकार्ड नहीं करवाया गया। 3 दिन का समय दे दिया ताकि सारी एवीडेन्सेज को डेस्ट्राय कर सकें। आज

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इण्डियन एक्सप्रेस में कहानी छपी है। वह निश्चित तौर से गवर्नमेंट के द्वारा प्लान्ड कहानी है। उस कहानी पर भी भरोसा करें। चाबी बन्सीलाल को प्राप्त हो। हत्या के जो कुछ एवीडेन्स हटाने थे वह हटा दें। मन्त्री के आदमी को बचाने के लिये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किस्सा आप पूरा कर चुके।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी मेहरबानी से 5 मिनट में से 4 मिनट मेरे पास हैं। "मान्यवर, तो यह किस्सा है दूसरी तरफ डूंगररांम जी उस समुदाय के हैं जिसके नेता हैं बाबू जगजीवनराम जी। सम्पतराम जी जो गृहमन्त्री हैं उनका गृह विभाग किस प्रकार से काम करता है। एक औरत जिसका चरित्र ठीक नहीं, से रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे से नाजायज ताल्कात थे। इस तरह की घिनौनी हरकतें विरोधियों को दबाने के लिए की जाती हैं। मान्यवर, राज्य में सत्ता का दुरुपयोग किस तरह कर सकते हैं, दुरुपयोग कब किया जाता है उसकी कोई सीमा नहीं। नारायण चतुर्वेदी का क्या हुआ ? आपने सुना। जन सम्पर्क विभाग ने विज्ञप्ति भेजी। कहीं कोई इन्स्टांस मोजूद नहीं। जन सम्पर्क विभाग विज्ञप्ति निकालता है। पुलिस इन्वेस्टीगेशन शुरू कर रही है। जन सम्पर्क विभाग दूसरे दिन विज्ञप्ति निकालता है इस हत्याकाण्ड में आर. एस. एस. का कोई हाथ नहीं। पुलिस को इन्वेस्टीगेशन करना चाहिये। जन सम्पर्क विभाग के निदेशक श्री कोचर को दिव्य दृष्टि से मालूम हो जाता है, जिसे भैरोंसिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आर. ए. एस. का कोई हाथ नहीं है। पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री कानसिंह जी की यही शिकायत थी। यह सब जनता पार्टी की तस्वीर है। मुझे यह बात कहने में कोई शक नहीं है—

मरना तेरी गली में

जीना तेरी गली में

इस चीज को देखिये। आपने कहा था जार्ज फर्नांडीज पार्टी छोड़ने के बाद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : 5 मिनट मिले हैं।

झुंझुनू भीलवाड़ा रूट पर परमिट मिले हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : परमिट ही वह दस्तावेज है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आज जार्ज फर्नांडीज....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आज नौकर-शाही....

(व्यवधान)

जुडिशियरी, लेजिस्लेचर हरएक के प्रति अवहेलना और नारी का सम्मान। मैं कहना चाहता हूं यदि आप नारी का असम्मान करेंगे तो आपको इस शासन में रहने का अधिकार भी नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्षत्रीय के राज्य में यदि यह होता है तो वह कितने दिन चलेगा इतना ही कहते हुये मेरा निवेदन है कि आप तुरन्त पद त्याग कर दीजिये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

व्यवस्था

सदन में टेप रिकार्डर को सुनाने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय सुरेश कुमार ने उठाया था, उसके लिये मैं यह व्यवस्था देता हूं, सदन में टेप रिकार्डर को बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

सदन के अभिलेख

विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक मामले, जयपुर को राजकीय प्रवास भवन के किराये की बकाया की सूचियां भेजने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की एक अनुमति लेनी है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामले, जयपुर ने सरकार बनाम राजसिंह (मु. नं. 12/75) के सिलसिले में विधान सभा सदस्यों के राजकीय प्रवास भवन के किराये की बकाया की सूचियां (सन् 1970-71) न्यायालय में उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब किसी न्यायालय को विधान सभा

62

(व्यवस्था)

(श्री अध्यक्ष)

अथवा उसकी किसी समिति या विधान सभा सचिवालय के किसी अभिलेख, दस्तावेज, पत्रादि की किसी मामले में आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित न्यायालय द्वारा एक अनुरोध पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय को भेजा जाता है। यदि विधान सभा सत्र में न हो तो माननीय अध्यक्ष, अत्यन्त ही अत्यावश्यक मामलों में और इस दृष्टि से कि न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब न हो, वांछित प्रलेखों को न्यायालय में भेजने की अनुमति प्रदान कर देते हैं किन्तु यदि विधान सभा सत्र में हो तो ऐसा अभिलेख आदि केवल सदन की अनुमति से ही न्यायालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।

विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार मामले, जयपुर ने वांछित सूचियां 11 अक्टूबर, 1979 तक न्यायालय में भेजने के लिये अनुरोध किया है। क्या सदन की अनुमति है कि वांछित सामग्री के सम्बन्ध में जो कागजात विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध हैं वह विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामले, जयपुर को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा उपलब्ध करा दिये जाय?

कई माननीय सदस्य : भेज दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : पहले यह बताया जाय कि वह सामग्री क्या है?

श्री अध्यक्ष : राजकीय प्रवास भवन के किराये की सूची—सन् 70-71 की।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : दे दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर: हमारा गोस्वामी (उप सचिव, प्रथम) ही इस मामले को देख लेगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं सन् 70-71 में विधायकों से गवर्नमेन्ट होस्टल के जो अकाउन्टेन्ट थे उन्होंने पैसे ले लिये थे और हमें रसीदें डुप्लिकेट में दी थीं। उस सम्बन्ध में हमने कम्पलेन्ट भी की थी कि हमारी तरफ जो 700-800 रुपये बकाया निकाले हैं, वह सही नहीं हैं। डुप्लिकेट रसीदों में तो 300) रु लिख दिये और नीचे की रसीदों में 30) रु. ही लिखे थे। हमने मांग की थी कि एन्टी-करप्शन में उसकी जांच होनी चाहिये।

मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री नूरा: माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से एक मन्त्री तो ढाई-ढाई घंटे बोल लें और सदस्यों को समय नहीं दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं नहीं लूंगा।

(63)

श्री नूरा : आपने नहीं तो आपकी पार्टी ने तो लिया है। मैं इसके विरोध में वाकआउट करूंगा। ढाई-ढाई घण्टे बोल लें सरकारी उत्तर देने के लिये। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे। यह नहीं होना चाहिये कि ढाई-ढाई घण्टे तक मंत्री महोदय ही बोलें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय कितना टाइम लेंगे, पहले यह बता दें क्योंकि हमें भी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप जितना टाइम लगायेंगे उतनी ही देरी से आपकी बारी आयेगी।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। अभी एक मंत्री महोदय पर आरोप लगाया, वे बोलते तो ठीक था पर आप पर तो कोई आरोप नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभी सोशलिस्टों से भाषण दिलवायेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने संयुक्त रूप से अविश्वास का प्रस्ताव जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। उसमें विरोधी पक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय के विचारों को सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई है। उन्होंने कोई उत्साहप्रद बात नहीं कही। मुझे इस मायने में निराशा हुई। हमारे कुछ माननीय सदस्य इस तरफ से जाकर उधर बैठ गये तो माननीय विरोधी दल के जो नेता महारावल साहब हैं उनके भाषण में कोई ऐसी बात आती जिसके आधार पर नये नेतृत्व का पता लगता। जनता एस. जो अब लोकदल के रूप में है, वह जनता पार्टी के कार्यक्रम से इसलिये नाराज है कि उनके जो विचार हैं उनकी क्रियान्विति जनता पार्टी में नहीं कर सकते थे। लेकिन यह बात विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने नहीं रखी। वे ऐसी बातें इस सदन के सामने रख भी नहीं सकते थे क्योंकि भारतीय समाज का जो विशेष अंग हैं, उस विशेष अंग में महारावल साहब राजा जनक तो बन सकते हैं लेकिन प्रिन्स क्रोपाटकिन नहीं। मेरी निश्चित मान्यता है, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा यह दार्शनिक पक्ष जो चला आया है यह पांच हजार साल पहले एक बार यूरोप में भी चला था। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का दार्शनिक भाव जगत में न बने। आज रोम के पादरी मैक्सिको में जाकर विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और कहते हैं कि कालों को प्रोत्साहन दें। आज महारावल साहब जाते हैं विरोधी दल के नेता बन कर तो उन्हें भी यही कहना चाहिये था लेकिन वे दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। प्रताड़ित मजलूम लोगों के लिये क्या कार्यक्रम जनता पार्टी की सरकार रखती है, जिनकी वजह से वे नाराज होकर चले गये यह सदन में नहीं रखा है इसीलिये मैंने कहा निराशाजनक भाषण है। वह किसी प्रकार भी उत्साहवर्द्धक नहीं था। जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में हमारे विरोधी दल के नेता ने बड़ा मजाक बनाया है और

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

वहां किस किस ढंग से कीर्तिमान किये। मैं दो-तीन बातें रखना चाहता हूं, एक बात तो यह रखना चाहता हूं किसी भी प्रदेश का या देश का पुर्ननिर्माण इस मायने में होता है कि माडर्न स्टेट बने, आधुनिक राज्य बने। वह जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का कोई पुनर्गठन नहीं किया जाय।

कांग्रेस को बड़ा भारी स्वर्ण अवसर मिला। उनका एक लम्बा प्रशासन चला उसमें वे ग्रामीण संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते थे। जागीरदारी खतम हुई, सीलिंग का कानून लागू हुआ, जमींदारी और बिस्वेदारी खतम हुई उसके साथ ही नये सिरे से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को पुनर्गठित कर सकते थे लेकिन नहीं की। जो आज विरोधी दल के नेता यहां विराजे हुए हैं क्या किया आपने? आपने सीलिंग का कानून लागू किया, आपने विज्ञप्ति निकाली कि 1 अप्रेल, 1966 से जो सीलिंग से अधिक जमीन है वह सरकार में निहित मानी जायगी। धारा 33 बढ़ा दी उसमें यह लिख दिया कि 31 दिसम्बर, 79 तक जो जमीन के ट्रान्सफर हैं उनको वैध माना जायगा।

इससे बड़ा जघन्य पाप ये नेता नहीं कर सके। यह जघण्य पाप है कि 1 अप्रेल, 66 को सारी अतिरिक्त भूमि सरकारी हो गई और उस सरकारी भूमि का प्राइवेट आदमी को यह अधिकार दे दिया कानून बना कर कि आप बेच सकते हो, आप दान कर सकते हो और हर तरह से उसका स्थानान्तरण कर सकते हो। आज नैतिक मूल्यों की बात करते हैं हमारे विरोधी दल के लोग कि हमारी जनता सरकार के नैतिक मूल्य नहीं हैं। जनता सरकार सामन्ती सरकार है। सामंती सरकार तो आपकी थी जिसने यह कानून बनाया। और फिर क्या? ये महारावल साहब भी उसी पाप के भागीदार हैं। माननीय सी. पी. एम. के नेता हैं वे भी उस पाप के भागीदार हैं जो उस समय विरोधी दल के सदस्य थे, जो उस समय सदस्य थे ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी भी भागी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन कर रहा था, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं, सिद्धान्त की बात कह रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सारे जो आज बैठे है पाप के भागी हैं। सरकारी सम्पत्ति को लुटाने की इजाजत दे दी इन नेताओं ने। मैं आज कहता हूं, माननीय परसराम जी, आपके राजस्व मंत्री काल में यह हुआ है। आपके मंत्री काल में यह बात हुई है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्यों इनका निराशाजनक भाषण हुआ। आज ग्रामीण बेरोजगारी की बात कहते हैं, शहरी बेरोजगारी की बात की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि मौलिक

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

मंत्र है आधुनिक राज्य का, जब जापान में मैक आर्थर कमाण्डर इन चीफ बना था सबसे पहले कमाण्डिङ्ग करके जमीन का बंटवारा कर दिया, उसके बाद उसका विकास हुआ। जापान आज उन चार राष्ट्रों में है जो दुनिया की करंसी को फेल कर देता है। बड़े बड़े राष्ट्रों का दिवाला निकाल देता है। हमारे जो समाजवादी सदस्य हैं उन सदस्यों ने भी हामी भरी कि दिसम्बर, 1969 की तारीख तक वैलिड मान लो। इसी तरह से ग्रामीण बेरोजगारों की बात माननीय माथुर साहब ने कही, औरों ने भी कही, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है? जनता सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ किया है उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोले। 55 करोड़ के काम जनता सरकार ने गए साल में कराए और उससे साढ़े चार करोड़ जो श्रमिक दिवस है उनका निर्माण कराया। जिस वक्त सन् 71 में जनगणना हुई थी उस वक्त ग्रामीण बेरोजगारों की जो संख्या थी, वह संख्या थी, जो लिखी हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह थी एग्रीकल्चरल लेबरर्स की 2,25,334 फीमेल और 5,27,517 मेल। इस तरह से थी और दूसरे जो मजदूर थे उनकी संख्या थी 195018 और स्त्रियों की थी 358621 जो मर्दुमशुमारी की, जनगणना के आंकड़े थे उसमें ग्रोथ रेट पापुलेशन की 27 पर्सेंट मानी है जिसमें से 11 पर्सेंट के करीब ग्रोस ग्राथ मानी है। 11 पर्सेंट। अगर इस संख्या में 2 प्रतिशत भी वृद्धि हो जावे तो उसके हिसाब से जनता सरकार ने यहां पर 4 करोड़ 50 लाख नए श्रमिक दिवसों का निर्माण किया है, 55 करोड़ से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत। इसके साथ साथ आज राजस्थान नहर के अन्दर लगभग 46 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा 195189 परिवारों को दो वर्षों में जमीन बांटी है। 5,94,884 एकड़ जमीन बांटी गई है इन दो वर्षों में इन दो राजस्व अभियानों में और अभी जो सीलिंग की जमीन ली लगभग 25 हजार एकड़ अगस्त सन् 79 तक, वह जमीन और है। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर नई आर्थिक संरचना का काम जनता सरकार ने किया है। मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से पुनर्गठन होना चाहिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वह पुनर्गठन जनता सरकार अभी नहीं कर सकी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं लेकिन एक कदम है। यह ग्रामीण संरचना का काम अधिक तेजी से हो सकता था, अगर माननीय हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मन्त्री थे, अप्रैल, 77 में यह आदेश मंत्रिमण्डल का नहीं दिलवा देते कि जब तक सीलिंग का प्रकरण पूरा नहीं हो जावे। उसके बाद जिलाधीशों को भी हिदायत कर दी कि जो जमीन मिली है उस जमीन को भूमिहीनों में नहीं बांटा जावे। मैंने कई जिलाधीशों से कहा कि आपके पास इतनी अतिरिक्त भूमि है उनको बांटते क्यों नहीं। वे कहते हैं कि मुख्य मंत्री के सचिवालय से हमें आदेश मिला कि यह जमीन नहीं बांटी जावे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक आदमी की नियुक्ति कर दी, दो आदमियों की नियुक्ति कर दी,

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

राजपूत को नियुक्त कर दिया इससे सामन्ती सरकार कही जाएगी ? अरे भाई, आपके जमाने में भी आपके रिश्तेदारों की नियुक्तियां हुई, आपकी जाति वालों की नियुक्तियां हुई हैं। जब ये परसरामजी मदेरणा और....

श्री हरिदेव जोशी : मेरे एक रिश्तेदार की नियुक्ति का उदाहरण तो बता दें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मानव में कमजोरी है मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन सामन्ती सरकार का यह चरित्र होता है कि वह सामन्ती प्रवृत्ति को जारी रखे। सामन्ती प्रवृत्ति अर्थ नीति में हो, सामन्ती प्रवृत्ति राजनीति में हो और सामाजिक रीति नीति में सामन्ती प्रवृत्ति हो तब तो आप कह सकते हैं कि सामन्ती सरकार है। आपकी तो तीस वर्षों की सरकार हर तरह से सामन्ती रही है। आर्थिक रीति में सामन्ती व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था में सामन्ती व्यवस्था, सामाजिक रीति में सामंती व्यवहार करते थे। इसलिए यह कहना कि सामन्ती सरकार इन लोगों की है, सामन्ती सरकार तो उन लोगों की है जिनकी विचार-धारा सामन्ती रही है जो उधर बैठे हैं विरोधी दल के अन्दर माननीय सदस्य, उन लोगों की सामन्ती विचारधारा रही है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री श्योपतसिंह मकासर : जमीन उसकी जो जमीन काश्त करे, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय श्योपत-सिंह जी....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जमीन उसकी जो काश्त करे, इस नारे का क्या हुआ ? 136 बीघा महाराजा कोटा के भाई को अलाट की है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न करें कृपया।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय श्योपत-सिंह जी, 1976 में आपके सीलिंग के प्रकरण में 36 बीघा जमीन आपकी सरप्लस थी जिसका आपने तीन साल तक कब्जा नहीं दिया। अभी तक कब्जा किए बैठे हैं, कभी कहते हैं कि तहसीलदार नहीं रहे कभी कहते हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं चैलेंज करता हूं इस स्टेटमेंट को। आप जांच करवा लें, आप किसी न्यायाधीश को सौंप दीजिए पता लग जावेगा कि क्या मैंने काश्त की ? आपने किस को अलाट की यह बताइये।

(श्री श्योपतसिह मकासर)

(व्यवधान)

आपने उसको रोके रखा और उस जमीन को किसी को अलाट नहीं किया। मैंने उस 36 बीघा जमीन के खिलाफ अपील नहीं की। मेरे से 36 बीघा जमीन ली नहीं गई, हमने सरेंडर की है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते। पहले पूरी बात सुननी चाहिए। पहले मन्त्री जी को सुन लीजिए।....

श्री श्योपतसिह मकासर : मेरे खिलाफ आक्षेप है इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री नूरा : क्यों चमचागिरी करते हो यार।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : बेनामी जमीन है....

श्री नूरा : मुझे शुरू होने दो मैं कहूंगा तुम्हारी बात।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। कोई भी मेम्बर हो, चाहे जो भी मन्त्री बोलें बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय वर्माजी आप बिराजें। माननीय वर्माजी।

श्री श्योपतसिह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् 74 में रिटर्न भरा सीलिंग में और 36 बीघा जमीन सरेंडर की। मैंने जमीन के खिलाफ अपील नहीं की....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अब किस के कब्जे में है ?

श्री श्योपतसिह मकासर : वह जमीन सरकार के कब्जे में है, मेरे कब्जे में नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : आज भी नहीं है ?

श्री श्योपतसिह मकासर : यह 36 बीघा मेरे कब्जे में नहीं है। मैं इसको साबित कर दूंगा। अगर साबित नहीं कर सकूं तो मैं इस्तीफा दूंगा या आप इस्तीफा दें। क्या बात करते हो ? मैंने अपील नहीं की। मैंने सरेंडर की है जमीन। आपने नहीं दी भूमिहीनों को। आप फैसला नहीं कर पाए। मैंने सरेंडर की है। एक बात और भी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिह जी,

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने रिक्वेस्ट की है आपके मुख्य मन्त्री महोदय को कि मेरे से सीलिंग की जमीन ली है उसको भूमिहीन किसानों को बंटवायें। पूछ लो मुख्य मन्त्री से कि यह बात नहीं कही। जमीन सरकार के पास पड़ी है, क्यों नहीं सरकार जमीन बांटती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने कोटा के महाराजा को जमीन अलाट की है....

(व्यवधान)

कोटा के महाराजा को आपने जमीन अलाट की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप सबूत दें। मैंने कहा है मुख्य मन्त्री महोदय को, रेवेन्यू मिनिस्टर को और मेरे कहने के बाद आपने आदेश जारी किये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह बन्धुआ मजदूरों का नारा लगाते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरी जमीन सरकार के कब्जे में है।

श्री गुल मोहम्मद : आप माननीय सदस्य का चैलेंज स्वीकार कीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे चैलेंज को स्वीकार कर लीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्री महोदय ने एक माननीय सदस्य पर यह आरोप लगाया है और माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी ने उसका प्रतिवाद तत्काल किया है। यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि 36 बीघा जो जमीन लेण्ड सीलिंग कानून के तहत अधिक थी वह किस के पास है ? 36 बीघा जमीन आज उस इलाके में दो लाख की होती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 36 बीघा जमीन क्या श्योपतसिंहजी के कब्जे में है या राज्य सरकार के कब्जे में है ? वह जमीन किसके कब्जे में है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सरकार के कब्जे में है। मेरे कब्जे में नहीं है। मैंने कोई अपील नहीं की है उस जमीन के लिये। मुझे यह जमीन रखनी होती तो मैं हाईकोर्ट में जाता, दूसरी अदालत में जाता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या यह जमीन राज्य सरकार के पास है ? इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे पास तो पचास करोड़ की जमीन है, सम्पत्ति है, आप काटिये । आप का हौसला चाहिये। क्या क्या करते हो ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। पांच महीने पहले माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी आये और यह कहने लगे कि मैंने 1976 में सीलिंग कानून के तहत 36 बीघा जमीन को अतिरिक्त घोषित किया था । उसका कब्जा आज तक तहसीलदार ने नहीं लिया है, उसका कब्जा ले लें । यह उन्होंने स्वयं ने कहा है । परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कब्जा देना आपका कर्तव्य था तहसीलदार ने नहीं लिया तो आपको देना चाहिये था । जो बात हुई है वह मैं निवेदन कर रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने यह नहीं कहा था । मैंने यह कहा था, यह जमीन अन्त्योदय परिवारों को बांट दी जाये, भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी जाये । कोई ऐसा कहने वाला है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये । मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं, उसको पहले सुन लीजिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान : मन्त्री महोदय ने आरोप लगाया है....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है । जो बात हुई है वही कही है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 136 बीघा जमीन आपने क्षेत्र में किसको अलाट की है ? यह बताइये ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : वह भी बता देता हूं । आप सुनिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह जनता सरकार बनी है और सीलिंग के प्रकरण को फिर से खोलने के लिए आदेश दिये गये तब से बहुत से माननीय सदस्य, जो आज उधर बैठे हैं, कहने लगे कि यह क्या कर रहे हो । यह बड़ी भारी बात है । कई वर्षों तक हम अदालत में लड़े हैं, हजारों रुपया हमारा खर्च हो गया है । परन्तु यह मन्त्रि मण्डल का सदस्य है । वे इस पर नाराज हो गए । तो इसमें कई माननीय सदस्य हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, की जा रही है ...

एक माननीय सदस्य : प्रोफेसर केदार का बताइये ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उनके पास जमीन ही नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं है । एक दिन आकर एक माननीय सदस्य ने कहा ...

(व्यवधान)

हनुमानगढ़ के बारे में बता रहा हूं, आप सुनिये । तो एक माननीय सदस्य से

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

कहने लगे, हमारे केस गलत खोल दिये गये हैं। तो मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की....

(व्यवधान)

यह एक चौधरी घन्नाराम है ग्राम चौनी बीड़ उन्होंने जमीन को खुर्द बुर्द किया है खसरा नम्बर 379, 523, 805, 809, 836, यह सारी जमीन 91 बीघा है। यह जमीन एक मुसलमान की थी। बंटवारे के समय वह पाकिस्तान चला गया। यह घन्नाराम पटवारी था उसने वह जमीन कागजों में अपने नाम दर्ज कर ली।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह घन्ना राम कौन है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उसने जो पटवारी था अपने नाम कर ली। जब सैटलमेंट हुआ तो अपने नाम दर्ज कर ली। यह 91 बीघा जमीन इवेक्यू प्रोपर्टी है और अब इसका खसरा नम्बर भी बदल लिया है। अब खसरा नम्बर है 192, 183, 180, मुरब्बा 26, 37, 34, 35, 36 ये घन्नाराम हमारे माननीय सदस्य श्री लाल चन्द जी के पिताजी हैं। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट शांत रहें। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कोई भी स्पष्टीकरण देना चाहें वे अपना स्पष्टीकरण कृपया वक्ता महोदय के भाषण में व्यवधान डाल कर न दें, भाषण समाप्त होने पर ही दें तो उचित होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री महोदय चार्ज लगाएंगे तो परसनल एक्सप्लेनेशन देना होगा, देंगे। हम इतना इन्तजार नहीं कर सकते। उसका जवाब उसी वक्त मिलेगा। इसका भी आप पहले जवाब दें कि 136 बीघा जमीन किस जागीरदार को दी है। वह जमीन किसानों की जमीन थी, उस जमीन पर हरिजनों का कब्जा था, उनको आपने हटा दिया और जागीरदार को दे दी। इसके बारे में भी बता दें।

श्री कौशल कुमार जैन : पहले सुन लीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम्हारी तरह कायर नहीं हैं। माफी नहीं मांगी है।

श्री लालचन्द : यह झूठ है। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने मेरे पिताजी के बारे में जो आरोप लगाया है, मेरे नाम जो लगाया है, वह गलत है....

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त होने के बाद ही सफाई दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह ऐलीगेशन होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा।

श्री कोशल किशोर जैन : माननीय सदस्य पहले मंत्री महोदय को भाषण पूरा करने दें।

श्री लालचन्द : माननीय अध्यक्ष जो आरोप मंत्री महोदय ने लगाया है, उसके बारे में मुझे एक शब्द कहना है। यह जो सारी घटना इसलिए हुई कि पिछले सत्र में मैंने कलेक्टर गुमानसिंह के खिलाफ इस हाउस में भ्रष्टाचार और अनियमितता के बारे में आरोप लगाये थे। कलेक्टर ने झूठे कागज चला कर यह मंत्री महोदय को गलत रिपोर्टिंग की है। इस केस पर दिल्ली में जो कस्टोडियन आथोरिटी है, उसका फैसला हो गया है। हाई कोर्ट से भी इसका फैसला हो गया है। मेरा चैलेन्ज है मुख्य को अगर इस जमीन के अन्दर एक रत्ती भी ....

(3.10 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर इस जमीन में एक रत्ती का फर्क हो तो आप ले लीजिये, आपकी सरकार को रोकता कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर सीलिंग के किसी प्रकरण में इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट के नियम 3 की धारा 15 के अन्तर्गत कोई मामला सबजुडिस है या रीअोपनिंग के लिये सरकार के पास विचाराधीन है तो सरकार री-अोपन करे, वापस कांपीटेंट अथोरिटी करे। क्या इस मामले को आपने री-अोपन किया है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सीलिंग का नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : री-ओपन नहीं किया है तो माननीय सदस्य का कहना है कि इवेक्यू प्रोपर्टी होने की वजह से कस्टोडियन जनरल ने अवार्ड दिया है। दूसरे आप चार्ज लगाना चाहते हैं जब चैप्टर 3 में अमेंडमेंड हुआ उस समय क्या राजस्व मन्त्री था ? यह तो 1968 या 69 में किया हुआ है। मैं तो सबसे पहले राजस्व मन्त्री बना था जुलाई 1971 में....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : I am sorry, 73 से ही कानून में यह प्रावधान रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नोखा से आगे वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर गंगानगर को इसलिये बदला गया क्योंकि उसने शिकायत की थी। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं गंगानगर कलेक्टर ने चार मुरब्बा जमीन, गलत तौर से ली है। यह झुंझनू कलेक्टर की रिपोर्ट रही, इसका स्टेटमेंट कहें तो मैं पढ़ दूं, रेवन्यू मन्त्री महोदय, आपकी रिपोर्ट के आधार पर इन चार मुरब्बा वालों को जो जमीन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गुमानसिंह जी ने जो ली उस पर आपके रेवन्यू सैकेटरी ने गुमानसिंह का हक जस्टिफाई किया है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया बिराजे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 9-2-79 को

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में भाषण शुरू कर देंगे....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इन्होंने यह ब्यूह बना लिया है बोलने नहीं देने का ...

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो इस प्रकार जमीन इवेक्यू प्रापर्टी दर्ज हो गई उसका केस गंगानगर जिलाधीश के यहां चल रहा है और 26 सितम्बर को तारीख मुकर्रर थी । मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं । दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं परसरामजी मदेरणा ने कहा पटवारी की तरक्की हुई उसके ट्रांसफर का आर्डर मेरे अधिकारों से गया । मुझे अधिकार है किसी का भी ट्रांसफर कर सकता हूं, कहीं भी कर सकता हूं । मुझे अधिकार है। सरकार कर सकती है । बात क्या हुई ? घासीराम जी, डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर, थे सुखाड़िया जी की सरकार में, वे मेरे पास दस दफा आये कि यह ट्रांसफर कैंसिल कर दीजिये । मैंने उन्हें बहुत नम्र शब्दों में कहा कि मैं सोचूंगा । मैंने समझा सरकार के डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं रेवेन्यू के, समझ गये होंगे । फिर भी 8–10 दफा आये तो मैंने उनसे साफ माफी मांग ली तो जैसा कि मुझे बाद में पता चला, भीलवाड़ा के एक साथी आये उन्होंने मुझ से कहा कि वे नाराज होकर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी, आप बीच में व्यवधान मत कीजिये ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : तो यह बात सही है । प्रशासनिक दृष्टि से मैंने यह सब काम किया और रेवेन्यू बोर्ड में आदेश भिजवा कर कि ये आदेश भिजवा दीजिये । इस पर मैंने कोई गलती नहीं की है ।

श्री मदनसिंह दांता : On a point of clarification क्या आप दांता रामगढ़ के तहसीलदार को अभी भी नहीं रख रहे हैं, सच बताना ? श्री माथुर को जिताने के लिये कलेक्टर से लेकर एक छोटे से छोटे राज्य कर्मचारी को बदल दिया आप लोगों ने....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : कौन तहसीलदार कहां रहना चाहिये यह मेरे देखने की बात है....

श्री मदनसिंह दांता : फिर आपने 10 रोज में ही आर्डर कैंसिल क्यों किये ? यही तो मैं कह रहा हूं, यह तानाशाही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये कहते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादले करने का....

श्री मदनसिंह दांता : नहीं कर सकते। रूल्स बने हुए हैं रूल्स में अधिकार है। हाई कोर्ट में अभी जीत कर आये हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सिरोही में कानूनगो की जगह खाली थी, जहां जूनियर आदमी को अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपने लगाया है, यह भी आपको हाउस में मानना चाहिये, उनके खिलाफ कोई शिकायत थी आपके पास, जिसको प्रशासनिक दृष्टिकोण कहते हैं। यह सब राजनैतिक दृष्टिकोण है और राजनैतिक दृष्टिकोण से मालूम हो जायेगा यह जो आपके पास बैठे है मोटे मोटे मुस्टण्डे, उनको मालूम हो जायेगा चुनाव में जनता के सामने....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन कर रहा था दांता रामगढ़ के तहसीलदार ...

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बार बार कहते है कि मुझे यह अधिकार है, वह अधिकार है। लेकिन इनको अधिकार है नियमों के अन्दर। स्वेच्छिक अधिकार नहीं हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है ? हजारों केस सीलिंग के अोपन करते हैं। मनमाने तौर पर तबादले करते हैं, अगर नियमों की अवहेलना करते हैं तो मेरे ख्याल से जनतन्त्र में यह स्वेच्छारिता है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : दांता रामगढ़ के तहसीलदार का तबादला मैंने नहीं रेवेन्यू बोर्ड ने किया। दांता साहब मेरे पास आये यह ठीक है, तहसीलदार की मैंने शक्ल ही नहीं देखी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अगर माननीय सदस्यों के इन्टरविशन पर आप जवाब देते रहे तो आप शायद और इन्टरवीनशन इन्वाइट करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बहुत अच्छा। अब एक बात मैं निवेदन कर रहा था कि क्या कारण है जो माननीय सदस्य इधर बैठे थे, उधर चले गये....

श्री नत्थीसिंह : आपको दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई संरचना जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है उससे यह साबित है....

(श्री पुरूषोत्तम मन्त्री)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था आपकी इजाजत से, इस जनता शासन के आने के बाद अवैध रूप से जमीनों के स्थानान्तरण हुए उसके बारे में एक बेरी कमीशन बैठाया गया उसके सामने पूरी संख्या तो मुझे याद नहीं है लेकिन लगभग दो सौ, ढाई सौ मुकदमें भ ये, हमेशा यह कोशिश करते रहे हैं कि बेरी कमीशन का मामला खतम कर दें। जो जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी के मेम्बर हैं, उन्होंने भी कहा कि किसी तरह से यह कर दो कि बेरी कमीशन की कार्यवाही बन्द हो जाये। इस दूसरे कारण से मैंने कहा है कि विरोधी दल के माननीय नेताओं के भाषण महान निराशाजनक थे। उत्साहप्रद नहीं थे। यह बेरी कमीशन की प्रोसीडिंग सारी की सारी खुली अदालत में होती है। इनकैमरा प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। वहां की कार्यवाही का सारे अखबारों में प्रकाशन किया गया है। इसलिए मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : अब आप बैठ जायें। हाउस का बहुत समय हो गया है। आपको तो झूंठ बोलना है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सेवा सदन के नाम से यहां जयपुर से 4 मील की दूरी पर सुखाड़िया जी के जमाने में कल्याण विद्यार्थी के नाम से चार आदमियों को वह जमीन दी गई।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया है?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उसके बाद जो राजस्थान के एक मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं। उन्होंने उस पर अपना मकान बना लिया है। उसके बारे में जांच हो रही है।

एक माननीय सदस्य : आप छीन लो उसको।

श्री पुरषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, ये दो जबर्दस्त कारण थे, जिनकी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय राजस्व मन्त्री धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं। उनका मतलब यही है कि माननीय सदस्य सुनने से रह जायें। मैं समाजवादी मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी भूमि अवाप्त कर ली है? जो भूमिहीन नहीं हैं, उनको वह बांट दी है? आप यह बता दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह बात पहले ही कह दी है। जनता सरकार के खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि ये हरिजनों के दुश्मन हैं। विरोधी दल के नेता यह कहते हैं। बगैर किसी कारण के यह कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। निवाई के पास में एक सूरजखेड़ा गांव है। 1962 में वहां पर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी। 5-9-62 को उसका रजिस्ट्रेशन किया गया। उस कोआपरेटिव को 297.17 बीघा भूमि आवण्टन किया गया। उसमें 11 मेम्बर थे। पन्ना गूजर, भीखा गूजर, जगदीश, नारायण बैरवा, लादू बैरवा, रामचन्द्र, लादू पुत्र केसर, घासी बैरवा, गोवरधन बैरवा, मूल्या पुत्र छोटू बैरवा। 5-9-62 को यह सोसाइटी पंजीकृत हुई। पता नहीं कैसे एक सूरजमल ब्राह्मण उसका सदस्य हो गया। उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों को सदस्य बना लिया। उसमें एक हरिजन रह गया। बाकी सभी को हटा दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मेरे क्षेत्र का मामला है। आपको क्या मालूम है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। मैं बाद में अनुमति दे दूंगा। आप अपनी जानकारी के आधार पर बाद में बोल लें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलत बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयनारायण जी, आप चाहे जो कहें। आपका भाषण नोट नहीं किया जावे।

श्री जयनारायण सालोदिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयनारायण जी ने जो कुछ भी कहा है, मैंने उसे अंकित नहीं करने को कहा है। आपने जो भाषण दिया है, वह अंकित नहीं हुआ है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन कर रहा था, सूरजमल ब्राह्मण नाम का आदमी सदस्य हो गया। उसने अपने बेटे, भाई, भतीजों और रिश्तेदारों को सदस्य बना दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप उनसे 500-500 रुपया लेकर अलाट करना चाहते थे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उसके 15 सदस्य हो गये। उसमें 6 ब्राह्मण, 2 माली, 3 गूजर, 2 बैरवा है। जब इस प्रकार की स्थिति हुई तो असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार ने उसको डिजोल्व कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री जी, यह ऐसा मामला तो नहीं है, जो इन्कम्प्लीटेड हों या सब्जूडिस हो ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जयनारायण सलोदिया)

महोदय, हाईकोर्ट में इसका स्टे चल रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को इस बात का एतिहात बरतना चाहिए कि जो मामला सबजुडिस है, उसकी चर्चा नहीं उठाये। सच्ची बात कहें।

श्री मदनसिंह दांता : यह सबजुडिस इसलिए नहीं है कि उनके 5 हैं, इनके 4 हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : पहले की सरकार क्या सरकार नहीं थी? सात 8 हजार सीलिंग के केसेज उठा दिये। मैंने उस वक्त कहा था कि आप हमारी बिसुआ बिसुआ जमीन छीन लीजिए। माननीय परसराम जी मदेरणा जो उधर बैठते थे। मैं यहां बैठता था। मैंने यह कहा था कि आप हमारी जमीन ले लो लेकिन उचित तरीके से ले लो। अन्याय के तरीके से लेना डेमोक्रेसी नहीं है। आप बार बार खड़े होकर यही बात कहते हैं। हम तो आपको बहुत कर्मठ और योग्य मानते हैं। आप अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार की बेबुनियाद बातें उठाकर।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था जब यह निगरानी मेरे सामने पेश हुई, माननीय जयनारायण जी सालोदिया मेरे पास आए कि इसको डिजोल्व मत करो, मैंने कहा यह हरिजनों का मामला है, मैं इसमें किसी की सिफारिश नहीं मानता—

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : पांच-पांच सौ रुपये बीघा के लेकर आप जमीन दूसरों को देना चाहते थे, हरिजनों से छीनकर, जो सन् 1962 से काबिज हैं, पांच-पांच सौ रुपये बीघा को लेकर आप दूसरों को अलाट करना चाहते थे....

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जबसे माननीय राजस्व मन्त्रीजी अपनी स्पीच देने लगे हैं तब से लेकर अभी तक यही महसूस हुआ है कि वे माननीय सदस्यों को शायद ब्लेक मेल करना चाहते हैं इस प्रकार के आरोप लगाकर जिसमें विरोधी दल के माननीय सदस्य कोई बात नहीं कहें और आरोप बिना तथ्यों के लगाए जाय....

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं इन पर सीधा आरोप लगाता हूं कि पैसे खाकर हरिजनों को बेदखल किया गया....

(व्यवधान)

हाई कोर्ट में फैसला होने वाला है

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष, जो भी हमारे

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

राजस्व मन्त्रीजी बोल रहे हैं, नीतियों पर नहीं बोल रहे हैं, हम तो अचीवमेन्ट्स सुनना चाहते हैं, ये तो सारे मुकदमों की बात, श्योपतसिंह की जमीन थी या दूसरे किसी की जमीन थी, या फलां की जमीन हमारे पास आ गई और वो जमीन नहीं आई, हम तो नीति की बात पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

बेहतर यही होगा कि 136 बीघा भूमि जो जागीरदार को अलाट की आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में, वह बता दीजिये....

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : यह सरकारी भोंपू नहीं बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह से लेकर, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के माननीय नेता से और जो ग्रुप के नेता हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष की ओर से कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि हमने उनको शान्ति से सुना है, उनको तुरन्त रिब्यूटल करने की आवश्यकता थी, वह भी हमने नहीं किया, उनका हमने उस समय खण्डन नहीं किया, केवल यहां संकेत किया कि उत्तर देंगे। अगर आप यही समझते है, विरोधी दल के नेता या बाकी नेता, इन्ट्रप्शन से हाउस को कब्जा कर सकते हैं तो वे भूल में है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतन्त्र कि परम्परा को देख कर सत्ता पक्ष का मुंह बन्द करना चाहें तो वे सफल नहीं होंगे। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विरोधी पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य बोलें, हमारी ओर से किसी ने भी इण्ट्रप्शन नहीं किया और विरोधी पक्ष की ओर से जो सुबह से मैं देख रहा हूं इन्ट्रप्शन हो रहा है और लोकतन्त्र को जो व्यवस्था है, मैं अपनी तरफ से तो इण्ट्रप्शन की शुरुआत नहीं करूंगा लेकिन यह आप सोच सकते हैं कि हमारे मेम्बरों को भी किस सीमा तक मैं काबू कर सकता हूं। यह एक सोचने की बात है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं यह अविश्वास का प्रस्ताव है क्वेश्चन और आन्सर का मामला नहीं है। आप ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन ला सकते हैं। मैं विरोधी दल के माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा, आप ऐसी व्यवस्था नहीं करें कि इधर की बात भी नहीं सुनी जाय। अभी माननीय बजरंग लालजी ने न मालूम क्या क्या बातें कहीं मेरे सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा उन सारी बातों का जवाब देने में समय लगेगा। हमने उनको शान्ति और धैर्य के साथ सुना इसी प्रकार से जो भी मानस बने आपको भी बनाना चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं आपसे सहयोग नहीं चाहता, विरोधी दल के माननीय नेता और अन्य दलों के नेताओं से सहयोग चाहता हूं कि हाउस की प्रोसीडिंग ठीक प्रकार से चले। क्या वे ऐसा समझते हैं कि हमने इन्ट्रप्शन किया और बोलने नहीं देंगे? माननीय बजरंग लाल जी बोले हैं, दूसरे भी माननीय सदस्य बोले हैं, माननीय माथुर साहब बोले है, माननीय परसराम जी बोले हैं, माननीय शर्माजी बोले हैं, हमने कोई इन्ट्रप्शन नहीं किया। आप चार्ज लगाए, आखिर यह अविश्वास का प्रस्ताव, है कोई यहां मिठाई तो मिल नहीं रही है, चार्जेज लगायेंगे तो आदान-प्रदान तो होगा ही, जो भी कहा जाय उसको सुनने की शक्ति होनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो बात कही, यह सही है कि हाउस केवल ट्रेजरी बैन्चेज के सहयोग के आधार पर ही नहीं चलता, विरोधी पक्ष का भी सहयोग होना चाहिए। मैं पहले तो यहां नहीं था लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूं कि जबसे राजस्व मन्त्रीजी खड़े हुए हैं, उन्होंने स्वयं ने ही कुछ चीज ऐसी कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय जोशी जी आप पहले नहीं थे।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने कह दिया पहले मैं नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुबह से ही यह हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : वो तो ठीक है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय बजरंगलाल जी बोल रहे थे उस समय आप यहां होते तो हमारी सहनशक्ति को दाद दिए बिना नहीं रहते।

श्री हरिदेव जोशी : जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां बिना सहनशक्ति के कोई रह नहीं सकता, उस पद की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं तभी आप सफल होंगे, नहीं तो असफल होंगे। अब आपको यह सुनना है कि सफल होना है या असफल होना है। रहा सवाल इसका, आपकी ओर से बोलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी ओर से भी बोलेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह निवेदन कर रहा था, दो कारण बताए गए हैं, डेरी कमीशन और सीलिंग। यहां पर राजस्थान में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 करोड 37 लाख 93 खातेदारी कृषक हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतनी तो जनसंख्या भी नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पढ़ने में गलती हो गई, माफी मांगता हूं 53 लाख 70 हजार 93।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये इनके पाप बोल रहे हैं, इनके मुख पर कालिख पोती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आंकड़े पढ़ने में गलती हो गई, 53 लाख 70 हजार 93 खातेदार कृषक है जिनमें से 6000 सीलिंग के केसेज खोले गए हैं। .001 प्रतिशत केसेज भी नहीं खोले गए। यह कहना कि किसान विरोधी यह सरकार है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी कि कितने लोग प्रभावित हुए ? .001 प्रतिशत। लेकिन चूंकि यह वाचाल वर्ग है, ज्यादा बोलते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई सरकार ने अन्याय नहीं किया है। सरकार का अंदाजा है कि यह करीब दो लाख बीघा जमीन तो बांटी जाएगी। एक बार श्री श्योपत सिंह ने कहा कि 126 बीघा जमीन कोटा में महाराव के भाई को दी गई। कांग्रेस के जमाने से ही जो जागीर एबालिशन एक्ट बना हुआ है उसके अन्दर जिनकी जागीरें जब्त हुई, उन्हें खुदकाश्त के लिए जमीन देने का प्रावधान है। नेहरू अवार्ड व पंत अवार्ड हुआ।

श्री मदनसिंह दाता: Except Danta thakur.

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उस प्रावधान के अन्दर जो जागीरदार थे उनको जमीन कांग्रेस के जमाने में राजस्थान केनाल में दी गई। उन्होंने लिखकर दिया कि मैं राजस्थान केनाल में जाकर खेती नहीं कर सकता तो फिर वहां पर जमीन दी गई लेकिन जब यह मालूम हुआ नोटिस आया कि वहां पर किसका कब्जा था, मालूम किया कि कब्जा अब ट्रेसपासर्स का था, कोई हरिजनों का कब्जा नहीं था। फिर भी वह जमीन उनके कब्जे में रखी जाए, अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, उसकी जांच चल रही है। कोटा महाराव भीमसिंह के किसी रिश्तेदार या भाई को जमीन नहीं दी गई है ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने हुक्म दिया और हो गया। बहुत अच्छी बात है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यही निवेदन करना चाहता हू कि विरोधी दल के माननीय नेता का भाषण अत्यंत निराशाजनक था, उत्साहप्रद नहीं था। चूंकि वह विरोध में गए हैं, जीवन के मूल्यों को लेकर भाषण हो, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात, विरोधी दल के ग्रुप के जो माननीय नेता हैं उनके पाप मैंने सदन के सामने रखे कि किस प्रकार से जमीन के मामले में पाप किए है। बेरी कमीशन के कारण यह सारे का सारा अविश्वास प्रस्ताव है, जो इस जनता सरकार के खिलाफ रखा है। वे स्वयं सामंती हैं दूसरों को सामंत बताते हैं। यही कहते हुए मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नूरा जी बिराजिए। मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि सरकार की इच्छा है कि वह 4 बजे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर दें।

(श्री उपाध्यक्ष)

केवल 15 मिनट और बचे हैं। माननीय नूरा 15 मिनट तो लेंगे, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया है....

कई माननीय सदस्य : टाइम बढ़ायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : नहीं बढ़ेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सदन में अपने अधिकारों के बारे में आपकी सहायता मांग सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अधिकारों के बारे में मैं स्वयं सचेत हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज सुबह मैं अध्यक्षजी के चेम्बर में उनसे मिला और निवेदन किया कि मैं अपनी पार्टी का एक ही सदस्य हूं और मुझे अवसर दिया जाये कि मैं जनता पार्टी से अलग होकर जनता का दृष्टिकोण इस सदन में रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि मुझे बोलने का मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव पर विचार करेंगे। श्री नूरा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता :

श्री नूरा : हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर काफी चर्चा सदन में हुई है और वैसे झगड़ा वहां होता है, धन और धरती के बंटवारे को, जहां सवाल पैदा होता है कि कौन सी सरकार उसका बंटवारा ठीक कर सकती है। उसका सवाल यहां पैदा होता है तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो किया है वह हमने किया। जिन्होंने किया उन पर अविश्वास हो गया और जो करने जा रहे हैं विचाराधीन अविश्वास प्रस्ताव उनके अविश्वास का जनता ने फैसला कर लिया। लेकिन जनता सरकार में बैठे हुए मंत्रिमंडल के सदस्य यह कहें एक व्यक्ति विशेष के लिए कि उनके पास इतनी जमीन थी उसे ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। सरकार को किसी जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार है, ले लेनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता लेकिन यह बात कहकर सरकार अपनी गलतियों से बचना चाहती है। सारे राजस्थान में असंतोष है, बेकारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मां-बाप आशा करते हैं कि ये हमें कमाकर देंगे। लेकिन इसी 25 तारीख को हजारों लोग विधान सभा के सामने यह कह कर गए कि हम बेकार हैं, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। राजस्थान में बड़ा असंतोष है। केरल सरकार ने बेकारी भत्ता देना तय किया है, बंगाल सरकार ने बेकारी भत्ता तय किया है लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। न नौकरी दी न जिंदा रहने का अधिकार दिया। इस बात का नौजवानों ने प्रदर्शन कर दिखाया उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एक दो नहीं हजारों लोग प्रदर्शन करने आए थे।

(श्री नूरा)

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल आता है, भ्रष्टाचार कहां नहीं है? भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता। अस्पताल में जायं तो मरीज बांटते हैं कि यह मरीज उनका है, वह उनका है। चाहे रेवेन्यू में जमीन के झगड़े में चले जायं, काश्तकारों को परेशानी है, पुलिस में चले जायं न्याय नहीं मिलता है। ऐसे ही 16 तारीख को जब मैं ब्यावर डीवाई. एस. पी. के पास बैठा था, विजयनगर में जो मूंगफली के तेल पर नकली तेल का लेबल लगाकर असली करके बेचने का मामला था वहां के लोगों ने तार किया, गृह मन्त्री ने फोन किया कि कार्यवाही करो, पुलिस तीन बजे पहुंचती है। विजयनगर पुलिस छूट देती है कि इस मामले को सभाल लो और इस मामले में मूंगफली का लेबल लगाने की जो बात कर रहे थे, वे बचना चाहते हैं। समय पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और उस मामले को पकड़ नहीं सकी।

आज खाने के मसालों में मिलावट होती है, तेल में मिलावट होती है, आटे में मिलावट होती है। आदमी को जिन्दा रखने की दवाइयों में मिलावट होती है। इस तरह से जो मिलावट की सरकार है जिसमें से कुछ लोग इधर आए, सिद्धांत के आधार पर यह सरकार से बाहर आये हैं, यह सरकार किसी कुर्बानी की पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसी पार्टी जो जल्दी में आ गई जो जल्दी वापस टूट गई, जैसे समय से पहले जो बच्चा पैदा होता है वह जिन्दा नहीं रहता है उसी तरह से इस पार्टी ने कुर्बानी नहीं की, इसलिये यह पार्टी जिंदा नहीं रह सकती। इसलिये अभी भी आप कुर्सी नहीं छोड़ते तो जनता आप को रवाना कर देगी। यह आर. एस. एस. और जागीरदारों की सरकार है। आर. एस. एस. ने ऐसे गोदाम बनाये जहां झगड़े के शस्त्र हैं, वह पैसा कहां से आया, ये शस्त्र किसलिये बनाये गये? ऐसा जोधपुर में भी हुआ और आर. एस. एस. वालों ने जगह-जगह पर झगड़ा किया, चित्तौड़गढ़, गंगापुर आदि स्थानों पर हुआ। देश में जो कुछ हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि आर. एस. एस. के आधार पर इस पार्टी की हार हुई और और केन्द्र में यह पार्टी खतम हो गई। उसे अपने कर्मों को दोष देना चाहिये। जो जनता पार्टी रह गई है वह दो प्रकार की है या तो जनसंघ या आर. एस. एस. या पुराने भूतपूर्व जागीरदार यह महसूस करते हैं कि हमारा राज आ गया या जनसंघ देखता है कि जितना विस्तार हो सकता है कर लें क्योंकि शहरों में कालाबाजारी है उस पर हावी है। आर. एस. एस. या जनसंघ सरकार कुछ नहीं करती क्योंकि चुनाव सिर पर हैं इसलिये जितना चाहें भाव बढ़ा दें। सरकार को उनके मुकाबले में बाजार में आना चाहिये। गांवों और शहरों के गरीब वर्ग को अपनी आवश्यक वस्तुयें खरीदने लिए उनके पास न पैसा है न ऐसी महंगी चीजें वे खरीद सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में, सारे राजस्थान में हर वर्ग में असन्तोष फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज

(श्री नूरा)

नहीं रह गई है।

मैं आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय अभी उदयपुर में कुछ समय पहले एक नाथू मीणा के घर में जाकर हत्या कर दी, लेकिन कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ में नहीं हुई जिन्होंने उसकी हत्या की थी। आज उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गरीब हरिजनों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कहीं भी संरक्षण नहीं है। मैं तो कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, न केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों लिये ही बल्कि हर गरीब चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह महाजन हो चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, गरीब की आज खैर नहीं है उसको कहीं भी न्याय मिलने की इस जनता पार्टी के राज में गुन्जाइश नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जमीन के लिये जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं जो हत्याकाण्ड यहां जनता पार्टी के राज आने के बाद हुए उनका उल्लेख करके मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने विचार दूसरे मुद्दों पर रखूंगा। क्योंकि इनके लिये मेरे पूर्व वक्ता पहले ही काफी इस सदन में जिक्र कर चुके हैं। मैं उन्हें फिर दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय आज जब से जनता पार्टी का राज आया है तब से दो वर्ग राजस्थान की जनता पर हावी हो गये हैं। इसमें एक तो भूतपूर्व राजस्थान के जागीरदार हैं दूसरे हैं राजस्थान के आर. एस. एस. वर्ग के लोग। आज जो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग के लोग हैं वह भी आर. एस. एस. के खिलाफ में और जनसंघ व भूतपूर्व जागीरदारों के ऊपर हाथ उठाते डरते हैं। वह जानते हैं कि अगर हमने जागीरदारों के खिलाफ में या आर. एस. एस. के खिलाफ में कोई कार्यवाही की तो हम इधर उधर फेंक दिये जायेंगे या अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन यहां मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी अधिकारी हैं वह गरीब लोगों के पीछे पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही अपने इलाके के बारे में निवेदन करना चाहूंगा वहां पर अभी अकाल में जो लोगों को नुकसान हुआ उसमें विकास अधिकारी मसूदा ने कुछ आदेश दिये थे, उन आदेशों की पालना में वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि पहले पैसे जमा करावो तो तुम्हें पानी मिलेगा, पहले पैसा जमा कराओ तो बाद में तुम्हें जानवरों के लिये घास मिलेगी। तो इस प्रकार आज जनता इस जनता पार्टी के राज में परेशान है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अन्त्योदय के बारे में काफी कहा जाता है। मैं आपसे मेरे इलाके की बात कहना चाहूंगा कि मसूदा में सन् 77–78 में करीब 1132 लोगों ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत फार्म भरे थे जिसमें सिर्फ 50 से लेकर 100 लोगों को ही पैसा मिला बाकी किसी व्यक्ति को नहीं मिला। इसी प्रकार जवाजा पंचायत समिति के अन्तर्गत करीब 613 फार्म लोगों ने अन्त्योदयी परिवार होने के भरे थे लेकिन उन लोगों को किसी को एक भी पैसा नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों और मजदूरों के तो पीछे ही पड़ी हुई है। अभी मजदूरों के मामले का ही मैं आपको उदाहरण दूं। जोधपुर विद्युत मण्डल के

(श्री नूरा)

मजदूरों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं। राज्य सरकार को सैंकड़ों की तादाद में चिट्ठियां लिखीं पर राज्य सरकार ने उनका एक का भी उत्तर नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने राज्य सरकार को जो चिट्ठियां दीं उसकी एक एक कापी मुझे भी भेजी थी और आज उन लोगों का एक तार भी मुझे मिला है वह लोग एक दिन नहीं दो दिन नहीं, आज 80 दिन से हड़ताल पर हैं लेकिन विद्युत विभाग उनके लिये कुछ भी नहीं कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, न तो विद्युत मन्त्री जी ने ही उनकी समस्याओं का निपटारा किया है, न ही उनके बारे में कुछ कहने को तैयार हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जनता पार्टी के राज में गरीब मजदूर पिस रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी कुछ समय पहले राजस्व मन्त्री जी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने कुछ लोगों की जमीनों के बारे में चर्चा की। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं सीलिंग कानून को छोटा करके उन लोगों से चाहे वह जनता पार्टी के लोग हों चाहे वह विपक्ष के लोग हों जमीन लेकर उन गरीब लोगों को जमीन दे दो जिनके पास जमीन नहीं है। पर मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपकी सरकार के अन्दर बड़े बड़े जागीरदार बैठे हैं जो कि जमीन चोर हैं आपके घर में ही जब जमीन चोर बैठे हैं तो आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो। आप तो मात्र विधान सभा में लोगों को बिठाने के वास्ते और अपना पिण्ड छुड़ाने के वास्ते ऐसी बातें करते हैं। पर हम जानते हैं कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जिससे आप इन जमीन चोर बड़े जागीरदारों से जमीन वापस ले कर गरीबों में बांट सको। अभी यहां पर सदन में माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने ठीक कहा था कि यह सरकार पूंजीपतियों की और जागीरदारों की है और जब तक पूंजीपतियों और जागीरदारों की सरकार रहेगी तब तक किसान और मजदूर वर्ग इसी तरह मरता रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब तक किसानों और मजदूरों का राज नहीं आयेगा तब तक यही हाल रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान में असन्तोष है, नौकरी के लिये बेकार नौजवानों में असन्तोष है, मजदूरों में असन्तोष है, सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष है। आज शहर में रहने वाले लोगों को अपनी इज्जत बचा कर रहना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी सरकार जिसमें कि राज्य में सभी वर्गों में असन्तोष है, ऐसी सरकार जो कि अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं सम्भाल सके उस सरकार को जिसने कि राजस्थान की हालत दो साल में बुरी तरह से खराब कर दी उसको एक मिनट भी सरकार में नहीं रहना चाहिये। मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा और साथ में उन सभी समाजवादी विचारधारा वाले माननीय सदस्यों को कि वे इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें।

(श्री नूरा)

समाजवादी विचारधारा वाले कुछ लोग जो कि कुर्सी के भूखे हैं जो कि सत्ता में बैठें हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह ग्रार. एस. एस. के जाल में नहीं फंसें ग्रौर जनसंघ तथा जागीरदारों के फन्दे से निकल कर विपक्ष के साथ मिलकर इस ग्रविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें जिससे कि ग्रविश्वास प्रस्ताव पास हो जाये ग्रौर यह सरकार चली जाये। यहां पर मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह ग्रविश्वास प्रस्ताव तो, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज नहीं पहले कभी का ग्रा जाना चाहिये था क्योंकि जब दिल्ली में जनता पार्टी के टुकड़े हो गये ग्रौर वहां पर इनके घर में ही फूट पड़ गयी ग्रौर यहां भी फूट पड़ी तो यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिये इस सरकार को जो कि ग्रपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकी जो जनसंघ की हो, जो जागीरदारों की हिमायती हो, गरीब ग्रौर किसान मजदूर वर्ग के खिलाफ हो, जिस राज में सिर्फ पैसे वाले लोग ही ग्राराम से रह सकें ऐसी सरकार को सदन के विपक्ष के ग्रौर पक्ष के सदस्यों को चाहिए कि जो ग्रविश्वास का प्रस्ताव सदन में सरकार के खिलाफ में ग्राया है उसको पारित करके इस सरकार को हटा दें। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का ग्रवसर दिया जाय। मैं लगातार तीन दिन से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापका शुक्रगुजार हूं कि ग्रापने मुझे ग्रविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोलने का ग्रवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में वह बात कहना चाहूंगा जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ग्रध्यक्ष श्री बाला साहब देवरस ने कही थी। जब जनता पार्टी का शासन ग्राया तब उन्होंने कहा था कि फोरगेट एण्ड फोरगिव की नीति हमें ग्रपनानी चाहिये उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां भी जनसंघ की सरकारें बनीं वहां वहां पर ग्रापातकाल में जो ज्यादतियां हुईं उसके लिये उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापातकाल में इतनी एट्रोसिटीज हुईं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ग्राज वापस समय ऐसा ग्रा रहा है मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में महारावल का मन्त्रीमण्डल बने या भैरोंसिंह शेखावत की सरकार जाये पर ग्राज यह लोगों में धारणा होनी चाहिये कि इन्दिरा गांधी के प्रभाव को किस प्रकार रोका जाय। वह इन्दिरा गांधी जिसने कि मजदूरों को कुचल डाला, वह इन्दिरा गांधी जिसने मजदूरों का बोनस बन्द किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस इन्दिरा गांधी ने मजदूरों का हक छीना, सी. पी. ग्राई. वाले लो [illegible]

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

मजदूरों के हिमायती बनते हैं वही इन्दिरा गांधी का साथ दे रहे हैं।

श्री नूरा : हमने विरोध किया है। हमने न तो उसका समर्थन बोनस नहीं देने में पहले किया है और न आज करेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने आपातकाल में ज्यादतियां कीं उन्हीं लोगों को जिसने जयप्रकाशनारायण को जेल में रखा उसी कांग्रेस सरकार के फूलचन्द जैन को अपनी जनता पार्टी का जनरल सैक्रेटरी बनाया जो कुम्भाराम कांग्रेस का था उसी को जनता पार्टी में पद दिया प्रोफेसर जैसे आपातकाल में कष्ट उठाने वाले को फूलचंद जैन के नीचे काम करने को राजी होना पड़ा। मैंने जनता पार्टी छोड़ी उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो लोग आपातकाल में ज्यादती करने वाले थे उन्हीं को जनता पार्टी में रख लिया गया और आज स्थिति ऐसी है कि जनता पार्टी वाले लोग भी अपने आपको इन्दिरा गांधी के आगे सत्ता पाने के लिये गिरवी रखने को तैयार हुए थे। जो राजनारायण कभी चरणसिंह को चेयरसिंह कहा करता था और जिस चरणसिंह ने 19 लाख मजदूरों को बोनस देने की खिलाफत की थी। जब वह वित्त मन्त्री बना हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त जब आपातस्थिति लागू हुई थी और लोगों को जेलों में ठूंसा गया था। उस वक्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी थे उसने कहा जो अखबारों में आया जिसमें यह था कि हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। जे. पी. को जेल में रखा पर कोई कुत्ता भी उनके लिये नहीं भौंका। उपाध्यक्ष महोदय, आज माथुर साहब और सी. पी. आई. के नूरा यह वही हैं जो मजदूरों को बोनस नहीं दिलाने वाली पार्टी के लोग हैं।

श्री नूरा : हम आपकी तरह गोला नहीं हैं जो आज इधर और कल उधर।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप जाइये।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मेरा दिल मजबूर होकर रो रहा है कि मुझे जनता पार्टी के पक्ष में बोलना पड़ रहा है। मुझे अफसोस है कि आज जनता (एस) को भी इन्दिरा गांधी का समर्थन लेने में आपत्ति नहीं और बाबू जगजीवनराम जी को भी इन्दिरा गांधी का समर्थन लेने में आपत्ति नहीं। जनता पार्टी भी इन्दिरा गांधी का समर्थन लेने को तैयार है और जनता (एस) भी समर्थन लेने को तैयार है। इन्दिरा गांधी वास्तव में आज देवी हो गयी है कि उसका प्रसाद लेने के लिए किसी भी हद तक यह

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जाने को तैयार हैं। मैं बधाई दूंगा प्रोफेसर केदार को कि एम. पी. के चुनावों के बाद और जनता सरकार बनने के बाद जब विधान सभा का सैशन हो रहा था उसमें एक व्यक्ति था जिसने खुलेआम कहा कि अच्छा होता कि देश का प्रधान मन्त्री श्री मुरारजी देसाई न बनकर श्री जगजीवनराम जी बनते जिससे लाखों करोड़ों हरिजन हैं और पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सकता। परन्तु

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज प्रोफेसर केदार भी उस इन्दिरा गांधी के कदमों में हैं। मैं आज उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं और मैं उनको बीकानेर डिवीजन का नेता भी मानता हूं लेकिन अगर मैं उनकी बात मान लूं तो क्या इन्दिरा गांधी के कदमों में जाकर गिर जाऊं जिसने सारे लोगों को धोखा दिया। गलती हम लोगों की है, गलती हम विधायकों की है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊंचे उठकर राष्ट्र हित में नहीं सोचा। याद कीजिए उस लड़के को जिसको कि रोलर के नीचे रौंद दिया गया। वह दुशासन था। केरल में सी. पी. आई. और सी. पी. एम. मुस्लिम लीग का साथ देती है तो मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक नहीं है? यह आपका नजरिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारे साथी नूरा ने कहा.....

(व्यवधान)

मुझे शिकायत श्योपतसिंह जी से है जिन्होंने इन्दिरा गांधी के साथ पूरा भाग लिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और मेरी पार्टी की सरकार जहां है वहां न तानाशाही ताकतें आयेंगी और न साम्प्रदायिक ताकतें आयेंगी। दोनों ही नहीं आयेंगी। इन दोनों को साफ कर देंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस सदन में मुझे सुनने को मिला और माननीय श्री बजरंगलाल जी ने कहा कि आपातकाल में सैंसरशिप अखबारों पर लगा दी गई। इसी राजस्थान मे भूतपूर्व सरकार ने चार पत्रकारों को जेलों में ठूंसा। इसलिये कह रहा हूं कि हम भुगतभोगी हैं। आपको पीड़ा नहीं है। पीड़ा हम लोगों को है।

(व्यवधान)

जनता पार्टी डूबे, जनता पार्टी जहन्नुम में जाये मगर। इन्दिरागांधी को सामने लाना 60 करोड़ भारतीयों की पीठ में छुरा घोंपना है।

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मेरी नजर में आर. एस. एस. शत्रु है। मैं इसको शत्रु मानता हूं परन्तु जनता पार्टी के कथन में, क्योंकि यह उन दिनों हमारे साथ जेल में थे, इन्दिरा गांधी हमारी पहली शत्रु है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्ण जी चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज इस मामले पर जनता पार्टी का विरोध करने के लिये बाध्य कर दिया गया है। इसके लिये आप लोग पापी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त करें। कृपया विराजें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय नहीं दूंगा कृपया विराजें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं इन्दिरा गांधी का पहला शत्रु हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी विराजें। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को नहीं मानता। कृपया विराजें।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ने निवेदन कर दिया है कि आपको समय नहीं दे सकता। कृपया विराजें।

श्री गुलमोहम्मद : मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय नहीं दे सकता और बाध्य करते हैं और इसी में सन्तोष है तो कह दीजिए।

श्रीगुल मोहम्मद : जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर माइनोरिटी का एक भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत जी पालीवाल बोल चुके हैं।

श्री गुल मोहम्मद : मैं माइनोरिटी की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नूरा जी बोल चुके हैं। माननीय गुल मोहम्मद जी कृपया विराजें। मैं समय नहीं दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : राजस्थान में माइनोरिटीज के हकों पर कुठाराघात हो रहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें आप अब। माननीय मुख्य मन्त्री जी को सुन लें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे एक बात की आज्ञा चाहूंगा कि कल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शायद मुझे बीच में बैठकर बोलने की अनुमति मांगनी पड़े। आशा है कि आप इसकी मुझे अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विरोधी दल के नेता के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे एक साथी सदस्य श्री हरीश शर्मा के शब्दों में जनता पार्टी में जोश पैदा किया है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव

(4.10 म. प.)

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

यदि प्रस्तुत नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से जिस जोश की कमी कई वर्षों से अनुभव करते थे उसका अभाव ही रहता। इसके लिए तो मैं उनका बड़ा आभारी हूं और उनसे यह जानकारी करना चाहता था कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही कम से कम विरोधी दल के नेता और बाकी के नेता एक बात तो बताते इस अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के परिणाम क्या निकलेंगे? अगर इस गम्भीरता से इस प्रस्ताव पर विचार किया होता और थोड़ी बहुत चर्चा की होती तो मेरा विश्वास है कि कई माननीय सदस्य जो बड़े जोश से बोले थे वे अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ पुनर्विचार करते। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम क्या निकलेगा? एक परिणाम तो अविश्वास का यह होगा कि सत्ता जनता पार्टी के हाथ से निकल जाती। यह निकलकर जायेगी कहां? क्या महारावल साहब के हाथ में चली जायेगी? क्या परसराम मदेरणा के हाथ में चली जायेगी, क्या मथुरादास माथुर के हाथ में चली जायेगी और क्या यह निकलकर नई जनता (निष्पक्ष) पार्टी के नेता श्री नवनीत पालीवाल के हाथ में चली जायेगी या मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य और सी. पी. आई. के सदस्य के हाथों में चली जायेगी? मैं ऐसा समझता हूं कोई भी विरोधी पक्ष में बैठा हुआ माननीय सदस्य आज के लिए नहीं कह सकता, सत्ता किस के हाथ में चली जायेगी।

दूसरा प्रश्न आता है क्या सब ये मिल जायेंगे उनके हाथ में चली जायेगी मेरा विश्वास है विरोधी दल के नेता महोदय को इन्दिरा कांग्रेस के लोग साथ देने वाले नहीं हैं। इस समय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। लोकसभा के प्रश्न पर जब चौधरी चरण-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सिंह को नेता बनने के लिए समर्थन दिया लेकिन जब लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने का प्रश्न आया उस समय उन्होंने मना कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज लोकसभा का मिड टर्म पोल हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं आप बताते तो सही। सत्ता जनतापार्टी के हाथ से निकल जाती है तो मिड टर्म पोल का परिणाम भी हो सकता है। यह कहने का उत्साह होता तो........

श्री मदन सिंह दांता : मैं चाहता हूं यह हो। मैंने कहा है।

श्री वृद्धि चन्द जैन : हम भी यही चाहते है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहता हूं कि इन्दिरा गांधी के सदस्य चाहते हैं कि मिड टर्म पोल हो लेकिन जनता एस के लोग नहीं चाहते। कांग्रेस एस के लोग नहीं चाहते ...

(व्यवधान)

गवर्नमेंट फार्म हो नहीं सकती। परिणाम यह निकलेगा इस समय विधान के चुनाव हों। सी. पी. आई, सी. पी. एम. स्पष्ट है और कांग्रेस एस स्पष्ट है लेकिन कांग्रेस आई ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात नहीं है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस (आई) की पालिसी अलग अलग रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य : अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब उधर से माननीय सदस्य बोले, किसी को इन्ट्रप्ट नहीं किया। मैं चाहूंगा मुझे भी इंट्रप्ट न करें। मेरा निवेदन है कि जनता एस वह तो मिड टर्म पोल के पक्ष में है या नहीं इस समय अपना गठबन्धन कांग्रेस आई से किया है, कांग्रेस मिड टर्म पोल के पक्ष में है। इसलिये अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का परिणाम यह निकलेगा कि राजस्थान की असेम्बली भंग और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपकी थीसिस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर नौकरशाही की बड़ी चर्चा हुई, लाल फीताशाही की चर्चा हुई। मथुरादास जी भी जब नौकरशाही पर बोल रहे थे। महारावल साहब भी भी नौकरशाही के खिलाफ बोल रहे थे। बजरंग लाल जी शर्मा भी नौकरशाही के खिलाफ बोल रहे थे। सभी जानी दुश्मन हो रहे थे लेकिन अन्दाजा लगाईये यदि आज राजस्थान विधान सभा भंग होती है तो यह शासन किसके हाथ में जायेगा। यह नौकरशाही के हाथ में जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राजस्थान में अकाल की स्थिति पैदा हो रही हो, जिस राजस्थान में अकाल लोगों की जिन्दगी में चुनौती के रूप में सामने खड़ा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, क्या आप यह चाहते हैं कि उस राजस्थान की जनता को नौकरशाही के हाथ में दे दिया जाये। मैं ऐसा समझता हूं यह सोचने का ढंग है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, महारावल साहब को बता देना चाहूंगा कि जनता पार्टी में रहकर जो सामंजस्य नहीं बैठा सके, 2।। वर्ष तक हमारे पास रहे, जिनकी वजह से विधान सभा में जीत कर आए, जिस इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज लगाकर उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों को हिन्दुस्तान में चुनौती देकर, जनता को उसका विरोध करने का विश्वास दिला कर इस विधान सभा में आयें हैं, आज वे जनता एस के माननीय सदस्य आज हमसे सामंजस्य न बैठा कर कांग्रेस आई से सामंजस्य बैठ गया जैसे चोली और दामन का साथ उनका आपस में साथ हों। इस बात को स्थिति के लिए मैं महारावल साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा आप जनता एस में जाते जाते कांग्रेस एस और कांग्रेस आई में न चले जावें क्योंकि जब एक बार आदमी सत्ता के पीछे पड़ता है तो कहां जाकर खड़ा होता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दल बदलू के लिए कहा गया जो सत्ता के लिये दल बदलता है वह दल बदलू हैं लेकिन जो सत्ता के लिए नहीं बदलते हैं वे दल बदलू नहीं प्रगतिशील है। विरोधी दल के नेता ने प्रधान मन्त्री को तो दल बदलू बता दिया लेकिन अपने आपको दल बदलू नहीं बताया। उनसे निवेदन करना चाहूंगा अगर सत्ता के लिये दल बदल नहीं किया तो किन पदों के लिये दल बदल किया ? मैं ऐसा समझता हूं आपके भाषण में और नये सदस्यों के भाषण में कोई नीति सम्बन्धी विवाद नहीं था। कोई कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद नहीं था जो बुनियादी विवाद हो जिसको लेकर जनता पार्टी को छोड़कर जनता एस बनाकर चले गये। अब आप यह कहें कि इस तरह सत्ता के लिए नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के 40 माननीय सदस्यों की मन्त्रिमण्डल की लिस्ट बन गई थी कई लोगों ने शेरवानियां सिलवाईं। आज दर्जी की दुकान पर टंगी हुई हैं। फिर कहते हैं हम सत्ता के लिए नहीं बदले हैं। आज भी कहते हैं हमने सत्ता के लिए नहीं किया। मैं ऐसा समझता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस समय वह विवाद चला....

(व्यवधान)

मैं अध्यक्ष महोदय, ऐसा समझता हू कि माननीय सदस्य जिनको आपत्ति हो रही है वह शायद यह है कि उनकी शेरवानी दर्जी के यहां टंगी हुई खराब लगती है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी भी लिस्ट है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी इस सारी स्थिति में फिर ऊपर से यह कहना कि हमने दल-बदल नहीं किया है-यह दल-बदल नहीं है, विभाजन है। आप जानते हैं कि पिछले तीन-चार मास से जनता(एस) के वर्तमान नेता लगातार यह कह रहे हैं कि राजस्थान में हुकूमत बदली जाय और विरोधी दल के नेता भी कहते हैं कि यदि भैरोंसिंह हट जाता है तो दावेदार मैं हूं, दावेदार हैं, इसमें संदेह नहीं है लेकिन भैरोंसिंह को हटाने के लिए महारावल साहब इतनी खिलाफत क्यों करते हैं? नीतियों का कोई विरोध नहीं लेकिन मुझे सामन्ती बताने वालों से निवेदन करना चाहता हूं आपसे विरोध मेरा केवल एक है और वह यह है कि मैंने साधारण राजपूत के घर में जन्म लिया है और जो विधान सभा में राजा बैठा है उसके होते हुए क्या एक गरीब घर का मुख्य मन्त्री नहीं बन सकता है?

मैं देख रहा हूं तीन दिन में केवल एक ही चर्चा है कि यहां सामन्तवाद फैल रहा है, आर. एस. एस. फैल रहा है, जाट और राजपूतवाद फैल रहा है। सारे भाषण का जो ट्रेन्ड है वह यही है कि सामन्तवाद फैल रहा है, जाट और राजपूतवाद के झगड़े फैल रहे हैं और मेरे समय में आर. एस.एस. का प्रभाव बढ़ रहा है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आर. एस. एस, को धन्यवाद दें कि इस विश्वासघात की वैतरनी पार करने वाला ही आर. एस. एस. है जिसकी पूंछ पकड़ कर यह पार की है। आर. एस. एस. के नाम से विश्वासघात चला कर चलें तो दुनियां यही समझती है कि आज आर. एस. एस. का प्रभाव बढ़ रहा है लेकिन आर. एस. एस. का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है, मन में कुछ और बातें हैं।

आज के 15-20 दिन पहले आपके नेताओं का यह भाषण कि भैरोंसिंह को हटाया जाय और किसी भी कीमत पर हटाया जाय और उनका समर्थन करने के लिए विधान सभा में जायें तो उनको घुसने मत दो और यदि घुस गये तो उनको बाहर निकलने मत दो। मैं जानना चाहता हूं नेता का कहना मानेंगे तो मेरे विधायकों का क्या होगा—उनको निकालने की अनुमति मिलेगी या नहीं। आपने इस तरह का भाषण दिया और आज आप लोकमन्त्र की बात कहते हैं। मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि समाचार-पत्रों के एडवर्टाइजमेंट बन्द कर दिये, किसी को गिरफ्तार कर लिया तो किसी की बिजली बन्द कर दी। आज आपके नेता देवीलाल और राजनारायण ने 15 दिन पहले क्या कहा कि इनके अखबार बन्द कर दिये जायेंगे।

कई माननीय सदस्य : नाथूराम जी ने कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाथूराम जी सही।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों के विवाद में न पड़कर असलियत पर यदि अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कहते हैं जनता में ज्यादा पापूलर नहीं हैं, जनता हमारे पीछे भागेगी और इसलिये डर कर केदार जी छोड़कर चले गये और कह दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

श्योपतसिंह जी बच जायेंगे तो हम भी बच जायेंगे क्योंकि वे आपस में पक्के मित्र हैं। केदार जी बच गये तो हम भी बच जायेंगे लेकिन यह वहम कैसे हो गया—जनता इतनी नाराज कैसे हो गई ? मैं कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान में किसी पार्टी ने इस प्रकार के चार चुनाव नहीं जीते....

एक माननीय सदस्य : दिसम्बर-जनवरी में चुनाव आ रहे हैं, तब देख लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिसम्बर—जनवरी में चुनाव आ रहे हैं तो उसमें भी आपको पता लग जायगा कि जनता किसके पीछे है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्दिरा के साथ भी लाखों लोग आया करते थे। संजय गांधी के भाषण में लाखों की तादाद थी, उससे क्या होता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब एक प्रश्न और रह जाता है विधान सभा में पिछले दो सालों में जब चर्चा हुई और जब लोक सभा और विधान सभा चुनाव लड़े तो हम लोग तो सब जेलों से आये थे और दुनियां की ज्यादा जानकारी नहीं थी, एक ही जानकारी थी कि पिछले दो सालों में लोकतन्त्र की हत्या हुई है। लाखों लोगों की जबरन नसबन्दी की गई, लाखों लोगों पर नाहक गोलियां चलाई गईं, लोगों के कच्चे-पक्के मकान तोड़े गये, समाचार पत्रों का मुंह बन्द किया गया, लोगों की कलम पर रोक लगाई गयी और इन सबके लिए हमने एक ही भाषण दिया और उन भाषणों के माध्यम से ही जीतकर आये। पिछले तीन दिन से देख रहा हूं जिस इंदिरा की खिलाफत पर जीतकर आये, किसी ने इंदिरा की आलोचना नहीं की, कांग्रेस की आलोचना नहीं की, इमर्जेन्सी की आलोचना नहीं की, गरीबों की नसबन्दी को भूल गये, जिन लोगों के मकान तोड़े गये, उनको भूल गये, जिन लोगों को जेलों में गिरफ्तार करके रखा गया, उनको भूल गये, उन शहीदों को भूल गये—याद ही नहीं आये किसी को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर ये इसी तरह डिस्टर्ब करते रहे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा लेकिन बाकी के दूसरे बोल पायेंगे या नहीं, इसको भी सोच लेना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : बैठ जावो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये तो रोक नहीं सकेंगे, पुलिस को हुक्म दे दो—पुलिस को भेज दो यहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इमर्जेन्सी के कारनामों और ज्यादतियों को भूल गये और ऐसे भूल गये जैसे खेत सिंहजी, जोशीजी, परसरामजी अभी कांग्रेस (आई.) के सदस्य हैं और इनका परम्परागत सम्बन्ध है।

श्री हरिदेव जोशी : आपके जगजीवन रामजी ने ही कहा है कि इमर्जेन्सी की बात नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा लग रहा है कि दो वर्ष तक रास्ता भूल गये थे और चुपचाप बैठे थे अब वापस चले गये।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : हरियाणा और बिहार में जाने के बाद ऐसा लगा है—दोनों में ऐसी स्थिति हो गई।

श्री मदन सिंह दांता : जगजीवन राम से आपका क्या परम्परागत सम्बन्ध है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था अब विधान सभा में यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर महारावल साहब ने जनता पार्टी की इतनी सेवा की है कि मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट किये बिना नहीं रहूंगा। इस राजस्थान की सारी जनता को मालूम हो गया, जो इमर्जेन्सी के शिकार थे उनको और प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो गया कि सत्ता के लिये कांग्रेस (आई0) के साथ विरोध पक्ष में बैठे हैं। मैं समझता हूं यह काफी है....

(व्यवधान)

आप सुनते जायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मैं सदन के सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के नेता महोदय सदन में पानी पीना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है ?

श्री मथुरादास माथुर : और कुछ भी पीये तो पिलावें....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : पानी पी पी कर गाली निकालो।

श्री बजरंग लाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय सदन ने क्या यह तय कर लिया है कि विधान सभा में उनको पानी पिला दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके लिए मैं महारावल साहब का बड़ा आभारी हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगले चुनावों में हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता जान गई है कि जनता एस और कांग्रेस आई की संस्थायें एक हैं, अलग नहीं हैं।—

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बातचीत नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां एक चर्चा की गई—

श्री नवरंगसिंह : बंशीलाल के खिलाफ केसेज विथड्रा किए हैं आपकी पार्टी ने। उसका क्या जवाब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस बात का जिक्र किया विरोधी दल के नेता महोदय ने कि सीलिंग के केसेज बहुत खोले। कहने का मतलब यह था कि सरकार राजपूतों को नुकसान पहुंचा रही है और इसलिए ज्यादा केस खोल कर सबको हैरान कर रखा है। एक तरफ महारावल साहब यह बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर यह उलाहना दे रहे हैं कि सामन्तों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि दोनों बातों में सही स्थिति क्या है, आप अन्दाजा लगायें। केसेज खोले गए उससे महारावल साहब नाराज और केसेज नहीं खोले इसलिए

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप दोनों की यह साजिश है, यह हमने साफ कर दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्योपतसिंह जी मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जब केसेज खुलेंगे तो आप भी नाराज होंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे अफसोस है इस बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब केस खुलेंगे तब आप भी नाराज होंगे। इसलिए मेरी तो दोनों तरफ की मौत है। श्योपतसिंह जी तो वहां तक कह गए कि बड़े-बड़े आदमी पगड़ी बांध कर निकलते हैं तो सामन्तवाद बाजार में घूमता हुआ नजर आता है। मेरी समझ में इतना राजपूतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए.

श्री श्योपतसिंह मकासर : तमाम के लोग, जाट और राजपूतों की राजनीति तो आप पैदा कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सामन्त शब्द यूज किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ऐसा लगता है कि आपके दल में इसी वजह से राजपूत नहीं प्रवेश कर पाए। आपने घुसने नहीं दिया। आपने शायद फैसला कर लिया कि इस पार्टी में राजपूत प्रवेश नहीं करें, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको यहां ...

(व्यवधान)

राजपूत और जाट इस प्रकार की चर्चा करना बिल्कुल निरर्थक है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह आपने शुरू की है। आप उठाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्योपत सिंह जी, कृपया विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाट भी किसान हैं और राजपूत भी किसान हैं। हम राजनैतिक आधार पर दोनों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि किसानों को नुकसान पहुंचायेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सामन्तों की बात कही है। Don't exploit एक राजपूत की बात नहीं की, सामन्तों की बात कही है और बड़े चौधरियों की बात कही है। Don't exploit it. You cann't exploit it.

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहती हूं, मुख्य मन्त्रीजी के भाषण के बीच में इन्टरप्शन करने के लिए। लेकिन उनको याद दिलाना चाहती हूं कि 1952 से 1951 तक आपने जो जातिवाद के नाम पर इस हाउस को गुंजाया है, हम लोग शायद भूले नहीं हैं। जो लोग 1952 से 1957 तक थे ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि वे 1952 से 1957 तक इस विधान सभा की सदस्या नहीं थीं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं हूं या नहीं हूं लेकिन रिकार्ड इस बात का साक्षी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें.. कृपया शान्ति रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महारावल साहब भी राजपूत हैं, आपका ध्यान दिलाऊं। Don't speak like this.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मार्क्सवादियों ने कभी नहीं कहा कि जाति के आधार पर कोई पार्टी बनाई जावे...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सामन्तों को नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आप महारावल साहब के पक्ष में....

श्री मदनसिंह दांता : आप और आपे दोनों किसान हैं तो चरणसिंह ने आपका क्या बुरा किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज श्योपतसिंह जी महारावल साहब के पक्ष में हो गए....

श्री श्योपतसिंह मकासर : लड़ाई तानाशाही और सम्प्रदायिकता के खिलाफ है, महारावल के खिलाफ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी भी है, अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब सी. पी. एम. की दृष्टि में सामन्त नहीं है और मैं सामन्त हूं। मुझे इस बात की खुशी है....

श्री रणजीत सिंह : आप तो अन्त्योदय समाज के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं अन्त्योदयी परिवार का हूं। इस सारे संदर्भ में आज भले ही बोलें लेकिन मैं समझता हूं कि आज तो नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद पुर्नविचार करने की मजबूरी अवश्य आएगी ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां पर राजनैतिक हत्याओं का जिक्र किया गया और दो हत्याओं का, खास तौर पर नारायण चतुर्वेदी और गुरुदयालसिंह संधु। दोनों का महारावल साहब ने जिक्र किया....

(व्यवधान)

मैं महारावल साहब से पूछना चाहूंगा और माननीय सदस्य जो इन घटनाओं से परिचित हैं, उनसे मैं जानकारी करना चाहूंगा, क्या वे समझते हैं कि ये राजनैतिक हत्यायें थीं ? मैं समझता हूं कि गुरुदयालसिंह संधु के बारे में माननीय श्योपतसिंह जी और केदारजी कह दें कि यह राजनैतिक हत्या है तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा।

श्रीश्योपतसिंह मकासर : मगर मुल्जिम आपके दोस्त हैं। आपके साथ फोटो खींचे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये। माननीय नारायण चतुर्वेदी की हत्या की। उस हत्या को प्रोफेसर केदार कह दें कि यह राजनैतिक हत्या है, गुरुदयाल सिंह संधु की राजनैतिक हत्या नहीं है। यह वातावरण राजनैतिक हत्याओं का बनाकर आप किस की सेवा कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि आज आप इस प्रकार की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हत्याओं को राजनैतिक हत्या कर किस का स्टेटस बढ़ा रहे हैं। आप स्टेटस बढ़ा रहे हैं क्रिमिनल्स का। अब आप यह कहें....

श्री श्योपतसिंह मकासर : राज नेताओं की हत्या है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : राजेन्द्रसिंह का फोटो मेरे साथ आ गया, सुरेन्द्रसिंह के साथ आ गया इसलिए वह क्रिमिनल मेरे साथ हो गया। यह महारावल साहब के साथ खड़े हैं इस फोटो में तो क्या महारावल साहब उनके साथी हो गए क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं। महारावल साहब मुख्य मन्त्री नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक बात और बताता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उसके साथ फोटो तो मेरा भी हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज मेरा लड़का भी अपराध करे, मेरा छोटा भाई भी अपराध करे, मेरा कोई चाचा ताऊ अपराध करे तो क्या आप समझते हैं कि उनके अपराध की जिम्मेदार मैं हूं ?

श्री लालचन्द : उनको पनाह आप दे रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द : इन हत्यारों को बचाने के लिए राजनैतिक प्रश्रय देने के लिए आप जिम्मेदार हैं....

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ी दूरी रखें। मैं समझता हूं कि चाहे मेरी सन्तान हो, मेरे काबू में नहीं है, उसने कोई अपराध कर लिया तो मेरे ऊपर उसका दोष नहीं मंढ़ सकते हैं।

श्री लालचन्द : मुख्य मंत्री जी, कितनी दफा उनका किया हुआ अपराध दबाया है.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि सुरेन्द्रसिंह का फोटो मेरे साथ खिंच गया, सुरेन्द्रसिंहजी ने मर्डर कर दिया इसलिए मैं जिम्मेदार हो गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का तर्क कहां तक उचित है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मर्डरर्स का करेक्टर वताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके, पार्टी के जो सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं उनका कहना यह है कि इन क्रिमिनल्स से इकानोमिक क्रिमिनल्स का ज्यादा महत्व है। आप मानते हैं इस बात को ? आपके जो थ्योरिटिशियन हैं दुनियाँ में, यह प्राटिकल लिखा है कि इन क्रिमिनल्स के, जिनकी नेचर क्राइम करने की है, सब कुछ होते हुए भी जो इकानोमिक क्राइम्स हैं वे किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकते। यह जब वे कहते हैं कि अगर कोई जागीरदार मेरा पिता दोषी हो सकता है, नहीं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह नहीं है। मैं उसके खिलाफ भी लडूंगा। यह कहा है कि अगर मेरा पिता दोषी है तो भी मैं लडूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर हमने कहा हो तो कहिए, आप पढ़िए।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं। अलवर के महाराज कुमार झण्डा लेकर चले गये तो कम्युनिस्ट भाई चिल्लाने लगे परन्तु क्या इन कम्युनिस्टों ने अपने पिताजी की जमीन भी छीनी है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको राइट आफ रिप्लाई नहीं है। यह नहीं कहा था। हमने यह कहा था कि मेरा बाप भी जागीरदार है तो उसके खिलाफ लडूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो एक रेफरेन्स दिया था। कहीं कोई अपराध किसी के बेटे ने कर दिया तो उसका बाप कैसे जिम्मेदार हो जाएगा ? आज किसी बाप का अपने बेटे पर काबू नहीं है। न बेटे का बाप पर काबू है। कोई किसी के काबू में नहीं है। इसलिए बेटे के अपराध के लिए बाप किसी प्रकार से दोषी नहीं है। इसलिए आप किसी के ऊपर यह दोष नहीं लगा सकते, आप किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि सुरेन्द्र सिंह राजपूत है, मेरे साथ फोटो खींची गई और उसने मर्डर कर दिया इसलिये मैं दोषी हूं। आप इसकी नेचर देखें आखिर यह मर्डर हुआ कैसे ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपको रिप्लाई का राइट है। हमारे को रिप्लाई का राइट नहीं है। This is a question of murderers आपने सरकारी गवाह अभी तक नहीं बनाया है। इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं बनाया है ? यह पोजीशन है।

श्री कौशल किशोर जैन : राजेन्द्रसिंह यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन का प्रेसीडेन्ट है इसलिये फोटो खीची गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

99

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी, लूट, डकैती को कोई भी सरकार पसन्द नहीं करती है। कोई भी सरकार इससे खुश नहीं होती है। आज हम चोरी करने वालों को पनाह दें, इसलिये यहां पर नहीं बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : घासी राम कातिल मुख्य मन्त्री के घर पर रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आरोप लगाने वाले भी अपने मन में समझते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति क्रिमिनल्स को किसी तरह से प्रोटेक्शन दे, यह मेरे जीवन में घटना नहीं हो सकती यह मैं मानता हूं कि आज अपराधों की संख्या बढ़ी है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : You are responsible. आपकी पुलिस जिम्मेदार है, राज आपका है। यह जिम्मेदारी आपके सिर पर है

(व्यवधान)

क्या बात करते हो ?

एक माननीय सदस्य : आप दोषी हैं। राज्य में अपराध बढ़े हैं। इसका दोष आप पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है और कोई व्यक्तिशः जिम्मेदार है, इसमें फर्क है। मुख्य मंत्री होने के नाते मैं जिम्मेदार हो सकता हूं। प्रशासन के नाते जिम्मेदार हो सकता हूं....

(व्यवधान)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को मानता हूं और उससे बचने की मैं चेष्टा नहीं करूंगा लेकिन व्यक्तिशः भैरोंसिंह को इन्वाल्व करके इस बात को लेकर चलेंगे तो मुझे यह बात कहनी पड़ेगी....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह किस ने कहा है।

श्री मदनसिंह दांता : कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया कि क्राइम्स हो रहे हैं। एक ट्रेन्ड आप देखेंगे कि इमर्जेन्सी में जो क्राइम्स हुए थे, देश में लोगों की आजादी पर पाबन्दी थी, उसके बावजूद भी क्राइम हुए थे। क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई उसके बावजूद भी क्राइम हुए, रुके नहीं। आज क्राइम्स की टेंडेन्सी डवलप हुई है, इस में कोई सन्देह नहीं है। और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए जितनी व्यवस्था की जा सकती है, वह की जा रही है। आज हालत यह हो गई है कि चोरी करने वाले अब वे नहीं रहे जो आज से दस वर्ष पूर्व थे। पहले किसी ने चोरी कर ली, डाका डाला, मर्डर किया तो पुलिस सीधी उन लोगों के पास पहुंच जाती थी जिन पर इस बात का शक किया जाता परन्तु आज यह पता नहीं है। भरतपुर में डकैती हुई, वे ऐसे नवयुवक

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हैं जो आगे जाकर डाक्टर, इन्जीनियर बन सकते हैं। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे डकैती के अपराध में पकड़े जाएं, आज यह स्थिति है। आज वह पुरानी स्थिति नहीं है। इसलिए आज पुलिस अपने सारे डविवप-मेंट को लेकर कोशिश कर रही है। मैं एक बात यह कह सकता हूं कि क्राइम्स कम हुए हैं, डकैतियां कम हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हुई है। इससे आप यह समझ लें कि हमें सन्तोष है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें सन्तोष नहीं है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में डकैती डालने वाला राजस्थान से भाग कर बच नहीं सकेगा, चोरी करने वाला यहां से भागकर नहीं जा सकेगा। कई चोरियां बरामद हुई है, मर्डर करने वालों को भी हमारी पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की है। माथुर साहब हमारे राज्य के गृह मन्त्री रह चुके हैं। क्या उनके काल में चोरी, डकैती, मर्डर केसेज नहीं हुए हैं ? हरिदेव जोशी हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहे हैं, परसरामजी मदेरणा मन्त्री रहे हैं, क्या उनके प्रशासन में, उनके काल में क्राइम्स नहीं हुए हैं ? क्राइम तो हुए हैं परन्तु कम, ज्यादा हो सकते हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईमान-दारी से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को किस प्रकार से कण्ट्रोल किया जाए,

अध्यक्ष महोदय यहां पर हरिजनों का नाम लिया गया ...

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मन्त्री महोदय हमने आपको एक स्कीम दी थी परन्तु आप उसको हंसी में टाल गये। वह आज भी रिकार्ड में है। पहले आप लोग उसको नहीं माने, आपका गृह मन्त्री नहीं माना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री मदनसिंह दांता : Let me say something. अगर वह स्कीम सरकार मन्जूर कर ले तो 24 घण्टे में मालूम हो जाएगा कि क्राइम किस ने किया है। उस इलाके में गुण्डे क्या काम करते हैं परन्तु खेद है कि आपने यह स्कीम नहीं मानी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय हरिजनों और मुसलमानों का खास तौर से नाम लिया गया। मैं थोड़ी चर्चा तो बाद में करना चाहूंगा परन्तु एक बात यहां पर निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय आपने भी सुना होगा कि दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि को धोया जा रहा है,

(व्यवधान)

हम गये इसलिए उसको धोया जा रहा है, महात्मा गांधी की समाधि को धोया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

(१०१)

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान के मुख्य मन्त्री को ऐसा चीप टाइप का भाषण नहीं देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। भाषण में व्यवधान न करें।

श्री मदनसिंह दांता : जगजीवन राम तो 15/20 वर्षों से वहां जा रहे थे। अपवित्र तो इसलिए हो गई कि आर एस. एस. के लोग वहां चले गये।

श्री डूंगरराम : इसलिए अपवित्र हो गई कि मर्डर करने वाले वहां जाकर फूल चढ़ा आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखें। माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जनता पार्टी ने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी सख्या बतायी और उनका विश्लेषण भी किया। मैं उन सारे कीर्तिमानों को पूरा नहीं सुन सका लेकिन आपके स्वभाव से मैं परिचित हूं कि आप किस प्रकार के कीर्तिमान बना सकते हैं और आपने खुद ने किस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनसे भी परिचित हूं। इस सम्बन्ध में उनका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अध्यक्ष महोदय मैं वह बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का प्रश्न सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्ति से सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महारावल साहब जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि विरोधी दलों के निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि आरोप लगाने से पहले ...

श्री मथुरादास माथुर : मेरे कीर्तिमान का जवाब तो आप बाद में दे देना। कोई जवाब नहीं है आपके पास।

श्री मदनसिंह दांता : तीस साल तक देते रहना।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही का समय सदन का निर्धारित कार्यक्रम पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहे।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्या आज की सदन की कार्यवाही का समय आज के सदन के अजेण्डा समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही समय निर्धारित कार्यक्रम पूरा होने तक के लिए बढ़ाया गया।

मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले तीन वर्षों में 13 नये कालेज खोले, 11 को अप-ग्रेड किया और पाली, बाड़मेर, नागौर और सीकर जहां से विरोधी पार्टी के सदस्य जीत कर आये है, वहां इस वर्ष ला-क्लासेज चलाई। जोधपुर, नीमका-थाना बून्दी में इसी प्रकार से हमने विधि की कक्षायें खोलीं।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा सैकण्डरी स्कूल पिछले 6 वर्ष में 391 खोले गये वहां 3 वर्षों में 788 सैकण्डरी स्कूल खोले गये। प्राइमरी स्कूलों का उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले 6 वर्षों में 2600 की एवज में हमने 3 वर्षों में 2822 खोले और इसी तरह से मिडिल स्कूल 3 वर्षों में 367 की एवज में हमने 3 वर्षों में 826 खोले।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस भ्रम को भी दूर करना चाहूंगा। कहा जाता है कि राजनैतिक आधार पर हमने व्यवस्था की है, मैं समझता हूं माथुर साहब, मदेरणा जी, खेतसिंह जी, ये सभी जोधपुर डिवीजन से आये हैं, इसमें कोई राजनैतिक आधार नहीं है, वहां शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन को देखते हुए स्कूल कालेज खोले गये। पाली में मार्च, 77 तक केवल 35 सैकण्डरी स्कूल थे वहां 3 वर्षों में 30 और खोले गये। नागौर में जहां केवल 40 थे वहां 3 वर्षों में 38 और खोले गये। बाड़मेर में केवल 18 थे जबकि हमने 3 वर्षों में 16 और खोले। जैसलमेर में केवल 15 थे हमने 10 और खोले। जोधपुर में 38 थे, हमने 3 वर्षों में 37 और खोले....

एक माननीय सदस्य : जालोर का बता या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अगर राजनैतिक दृष्टिकोण से स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो राजस्थान की समग्र विकास योजना के तहत राजस्थान के 105 गांवों को गत वर्ष चुना था उनमें एक भी प्राइमरी स्कूल और सैकण्डरी और मिडिल स्कूल नहीं खोला गया। इसका क्या कारण है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बिजली के बारे में क्या कीर्तिमान स्थापित किये हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पावर की पोजीशन मैं ऐसा समझता हूं, काफी संतोषजनक है। बंगाल की स्थिति खराब है, महाराष्ट्र की स्थिति खराब है, उनकी तुलना में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है और इससे आप अन्दाजा लगायेंगे कि मार्च 77 तक 8500 विलेजेज में विद्युतीकरण था। पिछले 100 सालों से, हमने 3 वर्षों में 7 हजार गावों का और इलेक्ट्रिफिकेशन किया। 1.9 लाख कुओं में बिजली थी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको हमने 70 हजार कुंएं में बिजली दी है। आर. ई. सी. की स्कीम 76-77 में 9 86 करोड़ की थी वह दो वर्षों में हमने 37 करोड़ की 99 स्कीमें और मन्जूर कराई थीं। इससे आपको अन्दाजा होगा कि बिजली में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है।

श्री परसराम मदेरणा : जनरेशन आफ पावर भी बढ़ाया गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस राज्य की स्थिति सन्तोषजनक होती है वहां इंडस्ट्री की स्थिति भी अच्छी रहती है। आज देश में जहां जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जहां पावर की पोजीशन अच्छी है वहां इंडस्ट्री लगती है। राजस्थान में दो ढाई वर्षों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्लाइमेट बना है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि जिस राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उसमें एक तो राजनैतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, दूसरे पावर की आवश्यकता होती है तीसरे लेबर रिलेशंस कैसे हैं इस बात की आवश्यकता होती है और फिर राज्य किस प्रकार की सुविधायें दे रहा है। ये चार फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण किसी भी राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मैं समझता हूं भगवान् की कृपा से ये चारों स्थिति राजस्थान में उपयुक्त वातावरण में हैं और इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और पिछले दो वर्षों में 97 करोड़ के लाइसेंस दिये और 133 करोड़ के लैटर आफ इंटेंट दिये। 76-77 में 9 करोड़ के लाइसेंस थे केवल इसी वर्ष में 9 करोड़ के लाइसेंस लिये गये और 10 करोड़ के लेटर आफ इंटेंट थे। इसके कंपेरिजन में 79 करोड़ के लाइसेंस और 133 करोड़ के लैटर आफ इंटेंट। इससे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लाइमेट राजस्थान में बनता जा रहा है और यहां लोग इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आर. एफ. सी. के साधन आज 50 करोड़ के उपलब्ध कराये गये। 25 वर्षों में 35 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया और इस वर्ष 30 करोड़ का प्रावधान हम रख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि 30 करोड़ का लोन दिया जा सकेगा तो महाराष्ट्र के बराबर हम हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 32 करोड़ और गुजरात में 28 करोड़ के ऋण दिये गये और राजस्थान में 30 करोड़ का प्रयत्न कर रहे हैं। 25 और 30 करोड़ के बीच में रेंज करेंगे। तो भी मैं समझता हूं राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये एक बहुत बड़ी स्थिति लोगों को मिलेगी। राजस्थान में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स 69 थी, हमने 3 वर्षों में 52 और बढ़ाई। इस तरह से 151 हुई। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, आज सिन्थेटिक यार्न के लिये लाइसेंस लेने के लिये सबसे ज्यादा दौड़ राजस्थान में लगी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान में कोई न कोई कारखाना लगे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसी तरह से मैं आर0आई0एम0डी0सी0 के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 3 वर्षों में 24-50 करोड़ के अनुबन्ध किये हैं और पहले के 10 वर्षों में 10-78 करोड़ के हुए और 3 वर्षों में 24-50 करोड़। हमने सारा राजस्थान में सब्सिडी यूनिफार्म करने की कोशिश की है।

आपने देखा, आपने केवल 6 जिलों में उनको बैकवर्ड डिक्लेयर किया, वह किस कारण हुआ? जैसे कि बांसवाड़ा में फैक्ट्री खुलादी। महारावल जी हैं। हम तो उनको बहुत गुणमान मानते हैं। डूंगरपुर में सिंथेटिक्स की इण्डस्ट्री लग रही है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता: अब तो अविश्वास का प्रस्ताव विथड्रा कर लो। ये तो आपको बहुत गुणमान मानते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह: भले हो कोई गुणमान माने। मैं तो खरी खरी बातें करने की ही चेष्टा करूंगा। कोई गुणमान मानता है या नहीं मानता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इस प्रकार से इण्डस्ट्रियलाइजेशन में, उनकी शक्ति में, दुगुनी शक्ति में लगाया जा सकता है। राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो, इसकी राजस्थान में क्षमता है। इसी प्रकार से किया गया तो कई वर्षों से जो हम उम्मीद करते आ रहे थे वह पूरी होगी।

एक माननीय सदस्य: शहरों के बजाय गांवों में इण्डस्ट्री लगानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं निवेदन करूंगा, माननीय माथुर साहब, पिछले 8 वर्षों में 26 जिलों में केवल 28 पशु चिकित्सालय थे। 26 जिलों में केवल 28 पशु चिकित्सालय थे। हमने पिछले तीन वर्षों 232 पशु चिकित्सालय खोले हैं।

(व्यवधान)

डिस्पेंसरीज 457

(व्यवधान)

यह बजट भाषण नहीं है। सरकार के अचीवमेण्ट्स हैं। आपको बुरा लग रहा है। आपको सुनने की क्षमता नहीं है। डागा जी, आपका एक घण्टे का निरर्थक भाषण हमने सुना है। मैं आंकड़े दे रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा: यह आप जो आंकड़े दे रहे हैं, सारे गलत दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर: आन ए पाइण्ट आफ क्लेरीफिकेशन।

(व्यवधान)

(श्री रामेश्वर)

मैं मुख्य मन्त्री जी से क्षमा चाहूंगा। आपने राजस्थान में....

कई माननीय सदस्य : बाद में, बाद में....

श्री रामेश्वर : राजस्थान में बिजली के कनेक्शन 70,00 देने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बार-बार डिस्टर्ब करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बीच में इण्ट्रप्शन नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : सारी कुरान की आयतें पढ़नी है, वह पढ़ डालिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिस लेवल पर गये हैं, मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

यह सभी सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, पर कैपिटा इन्वेस्टमेण्ट राज. में आल इण्डिया एवरेज से ऊपर है। ये यूं ही अचीवमेण्ट्स नहीं हैं। आपको मालूम है कि 166 करोड़ का पहला प्लान जो 191 करोड़ का हुआ। दूसरा 235 करोड़ का जो 276 करोड़ हुआ। और, इस साल 62% इन्क्रीज हुआ जितना इन्वेस्टमेट होगा, उतना ही राजस्थान का डवलपमेण्ट होगा। हमने 1750 करोड़ की छठी पंच वर्षीय योजना बनाई। अभी तक 1426 करोड़ की योजना बनी है। उसके अगेंस्ट छठी पंचवर्षीय योजना 1750 करोड़ की बनाई है। इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान का कितना डवलपमेन्ट होगा। यह मानकर चलें। इससे दूसरे राज्यों को मुकाबला करने वाले हैं तो दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहे है। तो हम यह कह कर नहीं चल सकते हैं कि हमारे यहां डेवलपमेण्ट का ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितना ज्यादा खर्चा होगा, राजस्थान का ओवर आल उतना ही डवलपमेण्ट होगा। प्लान जितना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छोटा होगा, उतना ही डवलपमेण्ट कम होगा। हम दूसरे राज्यों से कितने पिछड़े हैं या नहीं, ये आंकड़े देकर मैं सदन का समय खराब नहीं करूंगा। जो पूंजी लगी है, वह एक ही प्लान इन्वेस्टमेण्ट में हुई है। इसलिए 1750 करोड़ का प्लान बनाकर राजस्थान जो सेण्ट्रल इनवेस्टमेण्ट में पीछे है, उसको निकाल कर आगे बढ़ाया।

(व्यवधान)

150 करोड़ पीने के पानी पर खर्च करना। पीने के पानी पर अब तक 105 करोड़ खर्च किया गया है। सिंचाई पर 807 करोड़। अब 969 करोड़ खर्च करना है। 507 करोड़ अगले वर्ष खर्च करना है।

(व्यवधान)

381 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना में टूरिज्म पर 101 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। आज तक राजस्थान के प्लान में 2.8 करोड़ खर्चा हुआ। अगले 5 वर्ष में 7 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। सोशल वर्क में 275 था जो 304 करोड़ खर्च करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

304 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान की डवलपमेण्ट की हालत कितनी ऊपर उठी है। राजस्थान के डवलपमेण्ट के सोर्सेज बनाये हैं। अभी जो अन्त्योदय योजना है, और फूड फार वर्क की आलोचना हुई है। हमारे सी. पी. आई. के माननीय सदस्य को कहीं एक मरे हुए आदमी का पता लग गया तो उसके लिए कहा कि इसमें तो बहुत गड़बड़ है। महारावल साहब ने कहा ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने नहीं कहा है। हमने तो यह कहा है कि आपने कोई कोशिश नहीं की है।

श्री नूरा : मैंने मुख्य मन्त्रीजी यह बताया है कि आदिवासी क्षेत्र में यह ऐसा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करूंगा कि अन्त्योदय योजना के प्रश्न पर कई माननीय सदस्यों ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई प्रकार चर्चाएं की गई हैं। अन्त्योदय योजना हमारे यहां लागू हुई है। अन्त्योदय योजना एक ऐसी व्यवस्था है, जिस वर्ग को आज तक कोई सहायता नहीं दी गई थी, उस वर्ग को सरकार ने फायदा देने में प्राथमिकता दी है। इस कार्य में आप बुराई देख रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : देख नहीं रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है....

(व्यवधान)

(107)

एक माननीय सदस्य : जितनी सहायता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : राजस्थान केनाल में कितने अन्त्योदयी परिवारों को भूमि दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2 लाख 65 हजार परिवारों का चयन किया जायेगा। यह चयन गांव वालों ने किया, उस चयन में से 1 लाख 98 हजार फैमिलीज को अन्त्योदय योजना के तहत लाभ मिला। मैं भी आपको 2 लाख 65 हजार परिवारों को लाभ मिला हो यह बात नहीं कहता। 1 लाख और 98 हजार परियार इससे लाभान्वित हुये हैं। अब इस योजना की बुराई करें, मैं माननीय माथुर साहब से कहना चाहूंगा, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के चेयरमैन भोलावासवान शास्त्री जी आपकी पार्टी के हैं उन्होंने इस योजना की जांच की, और जांच करने के बाद उसकी प्रशंसा की, उस रिपोर्ट को आप देख लें, जो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। उसी आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन ने भी इसकी जांच की, प्लानिंग कमीशन ने इसमें कुछ खामियां भी बताई और कुछ सुझाव भी दिए लेकिन अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन ने कहा कि यह बड़ी सुन्दर योजना है, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन भी किये और संशोधन के करने के बाद यह कहा कि इसको द्रुतगति से लागू किया जाय। इस योजना से आज गरीबों में विश्वास पैदा हुआ है और गरीब को हम सब भूल गये थे, उस गरीब की चिन्ता कोई नहीं करता था, मैं ऐसा समझता हू 45 हजार व्यक्तियों को 40 रुपए माहवार की पेन्शन दी गई है।

(व्यवधान)

गरीब का नाम लेते ही मजाक उड़ेगी, मैं मानता हूं कि गरीब की बात सुनने का साहस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा 45 हजार लोग 40/- माहवार पेन्शन पा रहे हैं, आज वो पेन्शन पाने वाले ही कहेंगे कि उनको कितना और किस प्रकार का लाभ मिला, आज आप चाहते हैं कि उनको वह लाभ नहीं मिले, क्या आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह चाहते हैं कि इस स्थिति में वह अच्छा काम नहीं किया। मैं समझता हूं आप यह शिकायत नहीं करेंगे। जो 59 हजार फैमिलीज को जमीन दी गई और दस हजार लोगों को नौकरी दा गई जिसमें यह सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें यदि आपका यही रुख रहा कि अन्त्योदय योजना का विरोध करें और उसकी खामियां प्रगट करें और गांवों में और गरीबों में जो विश्वास पैदा हुआ है उसको खतम करना है तब तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपका यह कार्यक्रम आपको मुबारक हो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अन्त्योदय कार्यक्रम तो चलेगा, गरीब लोग अपने इस कार्यक्रम को चलायेंगे और गरीबों की फोर्स बन जायेगी वह इस कार्यक्रम को चलायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, काम के बदले अनाज योजना का भी विरोध किया गया और विरोध इस रूप में किया कि मानो हमने कोई चोरी की हो और लूट कर ले गये हों, जैसे कुछ काम ही नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में 65 हजार काम इस काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत किए गए इसमें से 64 हजार काम पूरे हो गए। 5400 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया 537 दवाखाने, 131 पंचायत घर, 7742 नलकूप बने, 8020 तालाब खुदे, 11450 किलोमीटर सड़कें बनी, और 21200 दूसरे प्रकार के कार्य हुये हैं। मैं ऐसा समझता हूं इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इन कामों का विरोध नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है 41 लाख क्विंटल अनाज हमको मिला....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मुख्य मन्त्री जी, इनको दो बातों की जलन है, जहां सरपंच कांग्रेसी हैं वहां अनाज उठाया है।

(व्यवधान)

अगर आपके मन्त्रियों की हिम्मत है सस्पेण्ड करने की तो मैंने लिस्ट दी है। दूसरी जलन है कि एक राजपूत से गांधीजी की चीजें हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 120 क्विण्टल अनाज।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश में 120 लाख टन क्विण्टल का आवंटन किया गया था। फूड फॉर वर्क्स में और राजस्थान को 31 लाख क्विण्टल मिला। राजस्थान की आबादी सारे देश की आबादी का 4 प्रतिशत है। उसके हिसाब से 31 लाख क्विण्टल नहीं मिल सकता। 36 करोड़ का अनाज हम लेकर आए हैं और पंचों और सरपचों को हमने लाकर दिया, मेरा विश्वास है कि 36 करोड़ का अनाज हमने दिया और जो असेट्स बनाए हैं वे 50 करोड़ से कम नहीं है, 14 करोड़ का कण्ट्रीब्यूशन गांवों और पंचायतों का मिला है, और मुझे खुशी है इस बात की अध्यक्ष महोदय, हर सरपच और पंचायत राज ने सारे गांवों के अन्दर एक छाप लगाई है, एक इतिहास का निर्माण किया है, हिन्दुस्तान में पहली बार यह काम हुआ, पंचों और सरपंचों को अधिकार दिए गए। पहले पांच हजार के अधिकार थे और अब सात हजार के अधिकार दिए गए हैं। पांच हजार का काम करवाना है तो खुद करवावें, कौन सा काम करवाना है, नक्शा पास करना है, खुद ही इस काम को करें और हिसाब देखकर कलेक्टर को देवें। अब हमने सात हजार के अधिकार दिए हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में काम होने पर केवल 148 कम्पलेण्ट्स राज्य सरकार के पास आई हैं, इसको लेकर सारे सरपंचों को बदनाम करना और पंचायत राज को बदनाम करना, यह पंचायत राज को एक चुनौती देना है और महारावल साहब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन ईमानदार सरपचों ने मेहनत करके गांवों में काम किया है।

(व्यवधान)

लोग यह जवाब नहीं देंगे, हमको आने वाले सरपंच जवाब देंगे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। पहले चार आना पर व्यक्ति देते थे, हमने बढ़ाकर ढाई रुपया कर दिये और उसका नतीजा यह हुआ कि 5 करोड़ 43 लाख का अनुदान हमने पचायतों को दिया। उन अनुदानों का उन्होंने उपयोग किया, 33 करोड़ का अनाज मिला, 14-15 करोड़ गांवों से इकट्ठे किए, 50 करोड़ के असेट्स बना दिए और विधान सभा में विरोधी पक्ष उनको यह ईनाम दे कि सरपंच चोर और बेईमान हैं ...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : गलत कहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो मुख्य मन्त्री विधान सभा में इस तरह म झूठ बोलते हैं वह बाहर क्या बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आपकी राज्य व्यवस्था ऐसी है कि आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। आपके अधिकारी खा गए।

(110)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगरराम पंवार : हम सरपंचों को बेईमान नहीं बताते।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या क्लेरिफिकेशन है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुमित्रासिंह : मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री ने जिस सदस्य पर यह चार्ज लगाया है सरपंचों पर कि सरपंच खा गए, तथा सब सरपंच बेईमान हैं। कृपया उनका नाम बतायें। वर्ना इतनी गलत बयानी सदन में नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरचन्दसिंह : मुख्य मन्त्री इस सदन में महान झूठ बोलें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुख्य मन्त्री को नाम बताना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विरोधी दल के नेता ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सदन की प्रोसीडिंग्स देखी जायं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री ने सरपंचों को चोर कहा है, हमने नहीं कहा। सदन में झूठ बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : अगर यह कोई कहे कि किसी सरपंच ने गड़बड़ी की है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी सरपंचों को चोर कहते हैं, यह अधिकार हमारा है, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो हम उसके बारे में कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी स्थान ग्रहण करें।

श्री विज्ञान मोदी : मुख्य मन्त्री स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : कम से कम उनको बोलने तो दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दो सब सरपंच ईमानदार हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सब चोर नहीं हैं। जो ईमानदार नहीं हैं उनको ईमानदार नहीं कहेंगे, जो बेईमान हैं उनको बेईमान कहेंगे। आपने सबको बेईमान कहा है। हमने कहा कुछ ने गलतियां की हैं। मुख्य मन्त्री ने सरपंचों को चोर कहा है ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मुख्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि आपके भाषण खतम होने के बाद हमें समय दिया जाएगा? आप क्लेरिफाइ करें। बाद में समय मिलेगा या नहीं।

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब आसन पैरों पर थे उस समय संसदीय कार्य मन्त्री सदन में घूम रहे थे ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री विश्नोई जी का है। विरोधी दल के नेता महोदय राइट आफ रिप्लाई एक्सरसाइज करेंगे और जो वे कहना चाहेंगे उनको अधिकार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हमेशा परम्परा रही है, मुख्य मन्त्री बोल रहे हैं, हम चुप चाप बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : What they are talking? महारावल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अगर राइट आफ रिप्लाई है तो आपका प्रस्ताव वापस ले लिया जाए।

कई माननीय सदस्य : क्यों?

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें। माननीय श्री हरचंद सिंह जी स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय अगर मुख्य मन्त्री जी सदन में गलत बात कहे और हम गलत बात का विरोध नहीं करें। क्या हमको सही बात को कहने का हक नहीं है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया शांत रहें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्री जी सर्वोच्च झूंठ बोले और सदन में गलत बयानी करें। मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान के सारे सरपंचों को चोर कहा। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी पंचायत राज को बदनाम करना चाहते हैं। क्या विरोधी पक्ष को मुख्य मन्त्री जी की गलत बयानी का विरोध करने का भी हक नहीं है। मुख्य मन्त्री जी सारे पंचायत राज के सरपंचों के ऊपर लांछन लगाते रहें पंचायत राज को बदनाम करते रहें और हम उनको रोकें नहीं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले आप अपनी व्यवस्था दीजिये। मुख्य मन्त्री जी पहले अध्यक्ष महोदय को मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था आने दीजिये।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने सरपंच एज ए क्लास को चोर कहा है। अब यह कहते हैं कि मैंने एज ए क्लास को चोर नहीं कहा तो यह तो उस प्रोसिडिंग्स के पार्ट को देखने से पता पड़ सकता है कि चोर कहा है या नहीं। इसके लिये प्रोसीडिंग्स के उस पार्ट को एक्सपन्ज कर दिया।

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री केदार नाथ : या वह कह दें कि वह पंचायत राज में विश्वास नहीं करते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स से किसी भी शब्द को एक्सपन्ज कराने का सवाल नहीं। आप लोगों ने कहा है प्रोसीडिंग्स में, सरपंच चोर हैं।

(व्यवधान)

प्रोसीडिंग्स को देख कर ही माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने गलत बयानी की है यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष इस मूड में है कि वह मेरा भाषण नहीं सुनें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने झूंठ क्यों बोला कि सभी सरपंच चोर हैं? अगर आप झूंठ बोलेंगे तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : आपने सदन में गलत बयान दिया है कि सभी सरपंच चोर हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। आसन पैरों पर खड़ा है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आसन पैरों पर खड़ा है। आसन तो उस वक्त भी खड़ा था माननीय सदस्य जब आपके मन्त्री महोदय इधर उधर डोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। बीच बीच में इन्ट्रप्शन करेंगे तो इससे व्यवधान होता है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, क्लेरिफिकेशन की बात है। हम तो क्लेरिफाई करना चाहते हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने झूठ बोला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी सदन में झूठ बोल रहे हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इनको झूठ बोलने के लिये एक हाउस में प्रस्ताव पास करके तगमा दे दिया जाय।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने प्रण कर रखा है कि यह कभी भी सच नहीं बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजरंगलालजी शर्मा को सच बोलने का बड़ा चाव है। इन्होंने अपने भाषण पर न केवल मेरे ऊपर बल्कि मेरे सेक्रेटरी मीठालाल मेहता के ऊपर भी आरोप लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो क्या आपको परमवीर चक्र प्रदान करें ?

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया सुने।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : तसल्ली रखिये उत्तर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधोसिह जी कछवाह, कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने जो आरोप लगाये उसको सुनकर सदन के सभी माननीय सदस्यों के दिमाग को धो डाला गया है। क्योंकि सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि बजरंगलाल जी जनता एस के बड़े नेता हैं और उन्होंने यह आरोप लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, बजरंगलाल जी की सारी राजनीति मेरे सीक्रेटरी मीठालाल मेहता से शुरू होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप चाहे तो, अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख की प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देख लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी ने जो काम के बदले अनाज योजना के बारे में बोलते हुए यह कहा कि हमने विरोधी पक्ष वालों ने सभी सरपंचों को चोर कहा है सभी सरपंचों को भ्रष्ट कहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि सारे सरपंच चोर नहीं हैं कोई इक्के दुक्के सरपंच भ्रष्ट हो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने यह नहीं कहा कि सारे सरपंच चोर हैं मुख्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर में सारे सरपंचों को चोर बताया है। मेरा निवेदन यह है कि हाथ की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जिससे आपको पता लगेगा। एक प्रार्थना पत्र उदयपुर कलेक्टर को 27-7-79 को दिया गया उसकी एक नकल हमारे पास आई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो सदन में व्यवधान हो रहा है वह इस बिन्दु को लेकर हुआ है कि विपक्ष के दल वालों ने सरपंचों को भ्रष्ट कहा है सभी सरपंचों को चोर कहा है।

मेजर श्री फतहसिंह : हमने यह बात नहीं कही कि सारे सरपंच चोर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने विरोधी पक्ष पर जो आरोप लगाये हैं वह बेबुनियाद और मन गढ़न्त हैं। मुख्य मन्त्री जी ने जो आरोप विरोधी दल पर लगाया उसके स्पष्टीकरण के लिए यह हो रहा है। मैंने भी मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि काम के बदले अनाज में काफी गड़बड़ियां हुई हैं और इसके लिए मैंने भी कम्पलेंट की है। लेकिन यह किसने कहा विरोधी पक्ष में कि सारे सरपंच चोर। किसने कहा कि इस सदन में सरपंच एज ए क्लास चोर हैं?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी पक्ष के नेता ने भी नहीं कहा इसलिये मनगढ़न्त बात बनाकर राजनैतिक कारणों से आपने यह कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी ने जो स्टेटमेंट सदन में दिया उसको पढ़कर सुना दूं। श्री लक्ष्मणसिंह....

(व्यवधान)

श्री नूरा : हम सब पर उनका भाषण लागू नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन लीजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज का नाम तो बहुत बड़ा लेकिन दर्शन उसके खोटे। आप जो कुछ करना चाहते हैं अन्त्योदय योजना में अगर 25 पंचायतों में एक आपकी पंचायत है तो वहां तो 500 क्विण्टल जायेगा और दूसरी पंचायतों को50-50क्विण्टल जायेगा। 500 क्विण्टल जायेगा उसमें 100 क्विण्टल सरपंच हजम कर जायेगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपका सरपंच बेईमान सरपंच जो आपकी पार्टी का सरपंच है। इसका मतलब यह है ....

(व्यवधान)

तुम्हारे सरपंच बेईमान हो सकते हैं ...

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता महोदय ने अपना भाषण समाप्त कर दिया क्या मैं यह समझूं तो....

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : जो स्पष्टीकरण के रूप में पंचायतों के सरपचों के सम्बन्ध में जो मैंने आरोप लगाये उसके ऊपर मैं बिल्कुल पाबन्द हूं। एक एक शब्द मेरा पढ़ा जाये।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे पास मेरी स्पीच अभी नहीं आई और उसको मैंने पढ़ा भी नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको राइट आफ रिप्लाई है । आप जवाब देंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप झूंठा बयान दे रहे हैं । आप सारे सरपंचों को चोर बताते हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री श्योपत सिंह जी ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा वह एक एक शब्द स्पष्ट है । मैंने कहा कि एक पचायत के सरपंच को 500 क्विण्टल और दूसरी पंचायतों के सरपंचों को 50-50 क्विण्टल और जहां पर 500 क्विण्टल मिला है वहां पर 100 क्विण्टल सरपच खा गया है । जहां 50 क्विण्टल ही मिला वहां 100 क्विण्टल था ही नहीं तो कहां से आ जायगा । तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय 12 हाथ काकड़ी और 13 हाथ बीजा और इस तरह के आरोप लगायें और उससे लाभ लेना चाहें तो उनको अधिकार है । लेकिन इसका मैं खण्डन करता हूं और संसदीय प्रणाली के अनुसार अगर माननीय मुख्य मन्त्री अपनी गलती अनुभव करते हैं तो सदन के समक्ष गलत बयान देने के उपलक्ष में क्षमा याचना करें । क्षमा याचना से कतराते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के हिसाब से हम रोष प्रकट करके एक मिनट के लिए वाक आउट करेंगे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी क्षमा याचना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री नवरंग सिंह : लोकतन्त्र का हत्यारा भैरोंसिंह ।

श्री एच. एन. शर्मा : चोर मचाये शोर.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : लोकतन्त्र का हत्यारा भैरोंसिंह ।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा एवं अन्य सदस्य : कुर्सी का भूखा.

एक माननीय सदस्य : दल बदलू ।

श्री अध्यक्ष : दल के माननीय नेता ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विरोधी पक्ष के नेता का हवाला देते हुए और विरोधी पक्ष का हवाला देते हुए यह शब्द कहे थे कि विरोधी पक्ष ने सरपंचों को चोर और भ्रष्टाचारी कहा है। अब उसको सरपंच देख लेंगे। अब जब विरोधी पक्ष के नेता का बयान पढ़ा मुख्य मन्त्री जी ने हम कहते हैं कि इसके बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो मुख्य मन्त्री जी ने बोला है वह झूठ बोला है और उसको कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाये। यह व्यवस्था दें ...

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री ने झूठ कहा है, इसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक्सपंज किया जाये और क्षमा भी मांगें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है ...

(व्यवधान)

यह कहा है कि 500 बोरी जो सरपंच को मिलती है वह 100 बोरी चोरी करता है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह : तुम चोर हो तुम्हारे सरपंच चोर....यह डाइरेक्ट लांछन है।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता महोदय ने ...

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : पंचायत माड़ा जिला डूंगरपुर। मैं वहां का विधायक हूं। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। अगर झूठ हो तो माफी मांगने का साहस और हिम्मत भी रखता हूं। अगर गलत साबित हो तो कोई आपत्ति नहीं। माफी मांगने की हिम्मत रखता हूं। सदन सक्षम है। सब गलती करते हैं। यह सदन सुप्रीम है। इसका निर्णय सर्वमान्य है। सबसे पहले मैं मांगूंगा।

श्री एच. एन. शर्मा : बड़ी खुशी की बात है। विरोधी दल के नेता महारावल ने यह आरोप लगाया है कि जिस ग्राम पंचायत....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महारावल लक्ष्मणसिंह के बिल्कुल नजदीक संग्राम सिंह सरपंच है, मैंने खुद ने आरोप लगाया है कि 100 बोरी उसने खाई है। जनता उस का सरपंच है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर सदन के माननीय नेता महोदय ने कोई गलत बयानी की है तो प्रिविलेज मोशन के रूप में या किसी और रूप में नियमों के अन्तर्गत उठा सकते हैं। यहां पर इस वक्त पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : यह वाक आउट भी कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ...

(व्यवधान)

आपके भाषण की तरफ दिलाना चाहता हूं....

(व्यवधान)

आपके स्वयं का भाषण है। पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी कि संसदीय शिष्टाचार और सदन के नेता होने के नाते अपने पद की गरिमा के अनुरूप इस बात के लिये क्षमा मांगने के लिये तैयार है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : आप तो वाक आउट कर चुके हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय आलम अली खां जी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन के माननीय नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डी.पी.ए.पी. में अप्रैल, 74 से लेकर मार्च, 77 तक केवल 13 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। 78-79 में 19 53 और....

श्री मन्जूर अली : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आधा मिनट लूंगा। अभी आपने यह फर्माया...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मन्जूर अली : मैं यह अर्ज करना चाहता था कि अभी विपक्ष की ओर से मतालबा किया गया कि सदन के नेता महोदय ने कोई गलत बयानी की है इसकी वे माफी मांगे। यह व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मन्जूर अली : मेरा जुमला अभी खतम नहीं हुआ। आधे मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। आप इस बात की व्यवस्था दें कि जो अलफाज नेता महोदय ने कहे थे वह अन-पार्लियामेन्ट्री थे या नहीं इसके बाद देखेंगे कि मुख्य मन्त्री जी अफसोस जाहिर करें या नहीं।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता ने झूठ बोला है या नहीं। इसका फैसला भी अगर बहुमत से देने लगे तो कोई जस्टिस नहीं है। वर्ना यह होगा कि जहां मेजोरिटी है खुलकर हमारे नेताओं को गाली देंगे ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सारे सरपंचों को झूठा नहीं बताया है।

श्री मन्जूर अली : कौन सी बात एक्सपज की जाये और कौनसी नहीं। अगर मेजोरिटी से देखेंगे तो यह जम्हूरियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ होगा।

(व्यवधान)

आप व्यवस्था दीजिये....

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता के सामने ऐसा काम नहीं चलेगा....

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : भौं-भौं-भौं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सम्बन्धित नियम पढ़ देता हूं—"Expunction of words from debates. If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion order that such words be expunged from the proceedings of the House."

इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इस तरह के अन-पार्लियामेन्ट्री शब्द कहे गये हैं तो वह बेसिक फन्डामेन्टल के खिलाफ हैं। आप उसे एक्सपंज करने के आदेश दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र है, आपने प्रोसीडिंग देख ली हैं और प्रोसीडिंग देखकर यह कहते हैं कि फलां सरपच चोर है तब तो ठीक है. लेकिन मैं कई दफा आपके पास आया हूं और आपने कहा था ये तो सारे ही चोर हैं खायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर महारावल साहब किसी सरपंच....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । सदन के माननीय नेता महोदय का और विपक्ष के नेता महोदय दोनों के स्टेटमेन्ट्स रिकार्डेड हैं । इन दोनों को पढ़ लिया जायगा और अगर सदन वाजिब समझें तो उसको एक्सपंज कर दिया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : रिक्वेस्ट की है आपसे कि एक्सपंज किया जाय । सदन की सहमति नहीं चाही है ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को प्रेस नहीं करना चाहता हूं और न ही बात का बतगड़ करना चाहता हूं । लेकिन प्रोसीडिंग देखकर यदि उचित समझें तो कल तक व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में...

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उनका तबसरा क्या है ?

(व्यवधान)

इन्ट्रप्ट अब जरूरी है । आप प्रेस को इन्स्ट्रक्शन दे दें कि वह छापे नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : No. No. यह नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस को राय के लिये कहना असंसदीय है ।

श्री मन्जूर अली : नेता महोदय के लिये भी और विपक्ष के नेता महोदय के लिये भी यह मुनासिब है कि अगर यह व्यवस्था रिजर्व रखनी है तो तब तक प्रेस के लिये इन्स्ट्रक्शन दें कि वे इसको अभी छापे नहीं ।

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये न तो नियमों में कोई प्रावधान है और न कोई ससदीय प्रणाली है। अध्यक्ष महोदय की जो व्यवस्था होगी, उसे अखबार वाले फिर छाप देंगे।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, एतराज के साथ कह सकते हैं। प्रेस वालों को लाइसेन्स देते हैं और उसके अनुसार ही वे यहां आकर बैठते हैं। उनको हिदायत दी जानी, अध्यक्ष महोदय, कार्य क्षेत्र में है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : प्रेस वाले कोई खोमचे वाले नहीं हैं जिनको लाइसेन्स दिया जाता हो।

श्री रतनलाल वर्मा : प्रेस वाले कोई कन्ट्रोल का कपड़ा नहीं बेचते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी शेरवानी टंगी रह गई, यह भी कहा था मुख्य मन्त्री जी ने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोनों नेता महोदयों के स्टेटमेंट्स रिकार्डेड है। जैसा भी इन स्टेटमेंट्स को देखकर निष्कर्ष निकालना चाहें, निकाल लें ....

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह तो आपका अधिकार है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको स्पीकर चुना है इसलिये कि आप रूल्स के अनुसार हाउस को कन्डक्ट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष इसलिये बैठा है कि उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया जाय।

(व्यवधान)

आप तो पूरी सुन लें। यदि माननीय सदस्य, हाउस को इसी मूड में रखना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैंने गलत कहा है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन ले आइये।

(व्यवधान)

और कोई समाधान निकाल लें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता और माननीय मथुरादास जी माथुर, माननीय परसराम जी ने यदि यही तय कर लिया कि मेरा भाषण नहीं सुना जाय तो मैं बैठता हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : इसका मतलब यह नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और महारावल साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने सदस्यों को कन्ट्रोल में रखें।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : व्यवस्था अभी दे दें या प्रेस को रोक दें, यही तो चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं खड़ा हो गया।

When I am standing....

(Pause)

पाइन्ट आफ आर्डर पर मैं बोल रहा हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप निर्णय कर सकते हैं...

(व्यवधान)

आप व्यवस्था दे सकते हैं आप सक्षम हैं लेकिन बहस नहीं होगी। नियमों में उचित नहीं है। प्रेस को किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता है। 298 में स्पष्ट है।

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्व-विवेक से आदेश दे सकेगा कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।" इसलिये आप इस बारे में निर्णय लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मन्जूर अली : आप व्यवस्था तो दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका हल दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस रोज कुर्सी पर आसीन हुए मैंने निवेदन किया था कि ऐसे झगड़े आयेंगे उस वक्त कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं जन जागरण पार्टी का सदस्य होने के नाते निवेदन करता हूं कि यहां देखना यह है कि ये विषय आपस में हुए या इन दोनों में ....

श्री ईश्वर चन्द्र : आप हर बात का समाधान करने के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : आपको चएका क्यों लग रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि हमारे से सहयोग लें। मेरा अर्ज करना यह है कि ये लड़ाई, यह शब्दों की लड़ाई हमारे आपस में थी या इन नेता महोदयों के बीच में। ये दोनों ही माफी मांग लें कि आयन्दा ऐसे नहीं लड़ेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : We will not fight on these questions.

श्री अध्यक्ष : मैं पहले वाले प्रश्न की व्यवस्था दे दूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ऐसा है....

श्री मदनसिंह दांता : इस वक्त जिस हालत में सदन है....

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : जो पाइन्ट आफ आर्डर रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह प्रेस कर रहा हूं कि एक्सपज के आदेश आप अभी दे दें तो उचित होगा। कल के लिए आगे नहीं छोड़ कर आप अभी इस प्रकार के आदेश दें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इसमें जल्दी से जो माफी मांग लेंगे उसका रग है और देर करेंगे उसका दोष है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी स्टेटमेंट हुए हैं या कोई भी डिफेमेटरी या कैसे भी अनपार्लियामेंट्री तरीके का माननीय सदस्य महसूस करें तो प्रिविलेज मोशन के रूप में ला सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दी है उसमें एक बात पर विचार करेंगे और वह यह है कि डेमोक्रेसी के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, आगे और व्यवस्था का प्रश्न नहीं करके आगे बहस चलने दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई भी मेम्बर माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर सकता है कि उस पर पुनर्विचार किया जावे और वह ...

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : पाइन्ट आफ आर्डर। मुख्य मन्त्री जी यों हाथ हिला रहे हैं कि पुनर्विचार का मामला है। आप पुनर्विचार करें।

श्री सुरेश कुमार : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आप पुनर्विचार करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरी बात सुनने के बाद चाहे आप डिसमिस कर दें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि व्यवस्था देने के बाद भी अध्यक्ष पुनर्विचार कर सकते हैं या नहीं? मेरा निवेदन यह है कि यदि स्थिति ऐसी हो, सरकम्सटांसेज ऐसे हों, प्राइमाफेसी ऐसा दिखता हो कि विचार किया जाना चाहिए तो उस पर अध्यक्ष महोदय को पुनर्विचार करने की कृपा करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : पाइन्ट आफ आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर।

On a point of order, Sir Rule 294 (4) says "No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision."

The ruling has been given by you and therefore there should not be any further debate, Sir.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पुनर्विचार कर लिया है और....

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरी बात तो सुन लें पहले। मैंने पुनर्विचार करने के लिए इस आधार पर निवेदन किया था ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बजरंगलाल शर्मा : कृपा करके मुझ को सुन लें उसके बाद विचार करें।

श्री अध्यक्ष : बजरंगलाल जी साहब, मैं आपको सुन चुका हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किस आधार पर रिव्यू करना चाहिये यह मैंने निवेदन नहीं किया है। मैंने अभी निवेदन किया है कि आपको रिव्यू करने का हक है। किस आधार पर करना चाहिये इसके तर्क को आप सुन लें। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि डेमोक्रेसी में....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरंगलाल जी तो स्वयं वकील है और रूल 294 क्लाज 3 पढ़ लीजिये। इसका निर्णय अन्तिम है, इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वे बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं, व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप कर रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपके लीडर बोलना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला अन्तिम है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कितनी ही रूलिंग दे दीजिये अगर हम मन मुटाव करके जायेंगे तो हम दोनों के बीच में यह आपका काम है कि इनका कसूर है या हमारा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ...माननीय सदस्य।

मैंने इसके रूल को देख लिया है। पुनर्विचार करूं और उसको देखूं उसके साथ में यह पुनर्विचार करने के प्रश्न के लिए यह महसूस करता हूं कि जो फैसला, जो व्यवस्था मैंने दी है ...

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले रिव्यू करने का मौका तो दीजिए ...

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : फैसला कहाँ से कर रहे हैं जब तक इनको हियर नहीं करते।

You should kindly first hear the arguments for reconsideration.

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे चुका हूं। इस पर जिस तरह से बहस चल रही है वह बहस होने का प्रावधान नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं जो निवेदन कर रहा हूं उसका आधार निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत संक्षिप्त में निवेदन है और ऐसा निवेदन है कि प्राइमाफेसी आप एप्रिशियेट करेंगे...

श्री अध्यक्ष : कौन से रूल के आधार पर ?

श्री रघुनन्दन व्यास : कोई रूल नहीं है बजरंगलाल जी के पास। कोई रूल नहीं है, मर्जी आए वैसे तो बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सा रूल कोट कर रहे हैं। पहले रूल कोट कर दीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : पुनर्विचार करने का कौन सा रूल है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है सदन के नेता और विरोधी दल के माननीय महारावल साहब ने, जो वर्षों तक सदन में रहे हैं ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता और विरोधी पक्ष के नेता....

श्री अध्यक्ष ; माननीय बजरंगलाल जी, आप किस रूल को कोट कर रहे हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस सदन में कन्वेंशन रहे हैं और कन्वेंशन के आधार पर प्रीसीडेंस हैं, किसी भी रूलिंग के लिए कोई भी माननीय सदस्य पुनर्विचार के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसको स्पष्ट किया है। यदि कोई ऐसा कानूनी आधार हो तो विचार कर सकते हैं...

श्री रघुनन्दन व्यास : न कोई रूल परमिट करता है, न परम्परायें परमिट करती हैं। इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं सिर्फ एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाइंट आफ आर्डर उठाया गया है उसके लिए कोई रूल बताएंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : Sir, I am giving the answer.

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह निवेदन कर रही हूं कि जब नेता महोदय बोलते हैं तो सदन में अव्यवस्था पैदा कर दी जाती है। इसके लिए आप व्यवस्था दें। जो भी कोई बीच में टोका टोकी करे उसके लिए आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें..,

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । माननीय डागा साहब ।

श्री मूलचन्द डागा : Sir, this is new book upto date.

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी व्यवस्था यू0आई0टी0 में हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था । बहुत छोटी सी बात है । हमारे सिर दर्द में हो गया है । दोनों तरफ से थोड़ी अकड़ कम हो तो सारा मामला बैठा हुआ है । मुख्य मंत्री नाराज हो कर जम गये हैं । आप यह कह दें, आप यह महसूस करते हैं, मुझे इसके लिए अफसोस है । इतना सा आप कह दें तो बात खतम हो जाएगी । आपमें भी अकड़ है । इधर भी सिसोदिया है और आपके पास राज आ गया है इसलिए अकड़ आ गई है । इसलिए यह सारा झगड़ा चल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय डागा जी ने जो रूल मुझे दिखाया है, उसमें अध्यक्ष की डिस्क्रिशन है । माननीय बजरंग लाल जी ने जो बात कही उसको भी मैंने सुना है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : कहां सुना है ? मेरी बात आप पहले सुन लें उसके बाद आप डिसीजन दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी काफी देर से आप कह रहे हैं....

श्री टीकमचंद कांत : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न के बारे में आप पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि इस प्रश्न पर यह व्यवस्था अन्तिम है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह महसूस करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । अगर आप यह महसूस करते हैं तो चर्चा आगे बढ़ाई जाए वर्ना खतम की जाए ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पुनर्विचार के लिये आधार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद ही आप अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन नहीं सुना गया है । मेरा सीधा-सा निवेदन है वह मैं दो लाइन में प्रस्तुत करना चाहता हूं । सारे विश्व में जहां कहीं डेमोक्रेसी है उसमें जितना सत्ता पक्ष सम्मानीय है उतना ही विपक्ष सम्मानीय है । समूचे विपक्ष का

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इससे बड़ा अपमान हुआ है। मेरा अर्ज करना यह है कि सारे पंचायती राज के खिलाफ कहा गया है, उस पर आरोप लगाया गया है। समूचा विपक्ष पंचायती राज की आलोचना कर रहा है। उसकी इतनी आलोचना है, किसी भी जम्हूरियत में कोई भी पक्ष आत्म सम्मान के साथ अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि विपक्ष के आत्म सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय बजरंगलाल जी ने जो एक्स-प्लेनेशन दिया है, मेरे ख्याल से आधे घंटे से यही बात हो रही है। उसको सुन कर जो व्यवस्था मैंने दी है, वह रूल के आधार पर व्यवस्था दी है, मैं उस व्यवस्था को ठीक मानता हूं। माननीय बजरंगलाल जी ने कोई नई बात नहीं कही है।

श्री मदनसिंह दांता : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं एक नई बात अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, यह सारा जो हो हल्ला हो रहा है, यहां पर तीन नेता हैं, इन लोगों को चेम्बर में ले जाकर आप बातचीत कर लें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे चुका हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं आसन से निवेदन करता हूं कि जो हमारे चार महान नेता हैं, वे प्रोसिडिंग्स को देख लें। यह चार्ज सब पर लगाया है। किसी के नाम पर चार्ज होता तो बात दूसरी होती। महारावल सदन के नेता हैं उन्होंने ऐसा किया तब तो ठीक है परन्तु ऐसा नहीं कहा गया। गलती आप ने भी की, इन्होंने भी की। आप व्यवस्था देंगे तो सरपंचों को क्या जवाब देंगे?

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी व्यवस्था हमारे माथे पर रहेगी परन्तु टीबों में आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेन्ज करने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आप अध्यक्ष की बात कह रहे हैं लेकिन जो सबसे ऊंचे राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या क्या नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय पालीवाल साहब, कृपया विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूतपूर्व सरकार ने बरीबों और गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था इसकी सबको जानकारी है कि जनता पार्टी का शासन आने से पूर्व....

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है सदन की कार्यवाही को चलने दीजिये।

श्री गुल मोहम्मद : जब सदन में इस तरह के वाकियात हो रहे हैं। मैं बराबर देख रहा हूं।× × ×

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, गुल मोहम्मद जी ने आसन पर आरोप लगाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं काफी देर से विपक्ष की तरफ ही मुखातिब हूं। मैंने सदन के माननीय नेता को अपना भाषण शुरू करने के समय ही देखा। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने किसी तरह का इशारा नहीं किया। अतः माननीय गुल मोहम्मद जी ने जो कुछ कहा है उसको मैं एक्सपन्ज करने के आदेश देता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि...

(व्यवधान)

मगर मुख्य मंत्री जी को इस तरह से इशारे नहीं करने चाहिये और इससे यह भ्रम पैदा करना चाहते हैं सदन के अन्दर कि वे अपने साथियों को इशारा करते हैं। यह इशारेबाजी की इनकी आदत बहुत पुरानी है।

(व्यवधान)

ये पहले भी इशारेबाजियां किया करते थे और इस कारण कई परेशानियां पैदा हुई। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कब कब इशारेबाजियां की हैं। हमने आपको निश्चित रूप से इस सदन में अध्यक्ष चुना है और हम कभी नहीं मानते कि आप उनके इशारों पर चलेंगे इसलिए हमारी कभी यह भावना नहीं है। अलबत्ता हम एक चीज जरूर चाहते हैं कि जहां मुख्य मंत्रीजी ने इस बार स्पीकर के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करा दिया, वो भी नहीं होता अगर ये पहले मिल लेते।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य सदन की गरिमा को नहीं गिराना चाहता। हम आपमें विश्वास रखते हैं मगर इतना जरूर चाहते हैं कि जब इतना अधिक क्रूशियल मूवमेंट है, Let them say. अगर नहीं सुना गया तो, अध्यक्ष महोदय, उनके मन में पीड़ा रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इतनी देर से पेशेन्सली सुन ही रहा हूं, इस तरह से हल्ला हो रहा है इसमें जो कार्यवाही होनी चाहिये, एक माननीय सदस्य बोलता है तो हमेशा सुनने के लिए तैयार हूं मगर 5-5, 10-10 बोलने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तो आपका बोलना भी सार्थक नहीं रहता। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया सदन के नेता का भाषण शांतिपूर्वक सुन कर जो कुछ भी विरोधी दल के माननीय नेता जवाब फरमावें, वह सुनने के पश्चात् ही····

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले घंटे भर से इस बात को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है कि तमाम के तमाम सरपंच····

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें कृपया।

श्री परसराम मदेरणा : हम यह चाहते थे कि विरोधी पक्ष ने कोई पंचायती राज संस्था को लांछित किया हो, ऐसा नहीं है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। मन्त्री जी कह रहे थे कि 148 शिकायतें आई हैं उनमें अधिकारी भ्रष्ट हैं। कलेक्टर ने जाकर बोरियां पकड़ लीं, 200 सीज की हुई बोरियां पड़ी हैं। एक दो पंचायत की बात तो छोड़िये लेकिन पूरी····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It is a question of interpretation.

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी पक्ष पर आरोप लगा कर वे अपनी हठधर्मी पर रहे। इसलिये हमने निवेदन किया। जब आसन के अलावा विरोधी पक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, आपने जो कुछ भी व्यवस्था दी है वह तो आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हमें मान्य है लेकिन इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है इसलिए अपने दल के साथ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति श्रद्धा रखता हूं। किन्तु यह जो कहा गया है, सारे ही पंच बेईमान हैं, यह तो असामान्य बात है। कोई भी सदन में इस प्रकार बिना विचार किये आरोप नहीं लगा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दो मिनट सुनें तो मैं बताऊं आपने कितने आरोप लगाये हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या यह मुख्य मन्त्री जी ने लगाये हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं आपने लगाये हैं। विरोधी पक्ष ने लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : जिसने भी लगाये हैं तो मैं समझता हूं कि बिना सोचे समझे लगाये हैं। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसके प्रति रोष प्रकट करने के लिए मैं अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह सोच रहा था, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी रिप्लाई देंगे तो बात रखेंगे। वे दो बातें हैं, एक तो जाट और राजपूत की इन्होंने यह तोहमत थोपी है। इन्होंने यह कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह सोच रहा हूं कि जाट और राजपूत की लड़ाई हमारे मुख्य मन्त्री जी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

यह जो कहा गया है, गलत है। मैंने सामन्तवाद और सामन्ती शक्तियों की बात कही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री श्योपत सिंह मकासर : इस तरह से आप सबको निकाल देंगे।

(व्यवधान)

यह तो लाटरी में आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि जब माननीय मुख्य मन्त्रीजी भाषण दे रहे हैं, यह कोई अविश्वास प्रस्ताव का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्य मन्त्री महोदय आप मैदान में नहीं बोल रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। यह यहां की तैयारी नहीं है।

(व्यवधान)

इनके पास बहुमत होगा। यह सारी तैयारी बाहर के लिए हो रही है। उसी के लिए सारा नाटक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

(व्यवधान)

यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे पंचों की बात खतम करने दें।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें अपनी बात खतम करने दें।

(व्यवधान)

ये लोग तो लाटरी में आये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रकार....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। यह 294 का नियम है के अन्तर्गत विषय आप लाये। आप अकेले ही बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह झूठी बातें कह रहे हैं। अगर यह साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो ये इस्तीफा दे दें।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुझे अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। रोक रहे हैं। इसलिये मैं एक ही बात कह रहा हूं, मैं सदन से इस बात के विरोध के साथ, कि हमारे मुख्य मन्त्री ने झूठ बोल कर सारे पंचों को चोर और बेईमान कहा है। मैं इसके विरोध में बाहर जा रहा हूं। वाक आउट कर रहा हूं।

(बहिर्गमन)

श्री नूरा : जो अभी माननीय श्योपत सिंह जी ने बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसी गुस्से का इजहार करने के लिए मैं भी वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

(133)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी....

श्री मदनसिंह दांता : आपको मालूम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दांता।

श्री मथुरादास माथुर : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है, कोई यह कहे कि सभी बेईमान हैं तो यह गलत है। कोई यह कहे कि सभी सही हैं तो यह भी गलत है। 148 शिकायतें पहुंची हैं। विरोधी दल के माननीय नेता ने एक पत्र के बारे में कहा था तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने समझा नहीं। अगर चुनाव के मौके पर यह पब्लिटिकली कहा है ...

(व्यवधान)

यह उससे फायदा उठाना चाहते हैं, वहां उनको फायदा नहीं होने वाला है। इस समय उनसे मैं यही आशा रखना चाहता हूं कि वह यह कह दें कि सारे पंचों को मैंने चोर नहीं कहा है। तो यह मामला यहीं खत्म हो जाता। अगर आपने कोई पालि-टिकली....

(व्यवधान)

क्योंकि उन्होंने एक बात पकड़ ली है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो वाक आउट करना है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, ये सदन के नेता मुझे वाक आउट करने के लिए कहते हैं। यह कहते हैं कि वाक आउट कर जाओ। बड़ी मुश्किल से वोट लेकर आये हैं। वाक आउट क्यों कर जायें ?

तो मेरा निवेदन है कि इस बात पर सदन में बड़ा रोष है। यह आपकी हठधर्मी है। आप पालिटिकल फायदा उठाना चाहें तो यह ठीक नहीं है। मैं टोकन वाक आउट करता हूं अपनी पार्टी की ओर से एक सैकेण्ड और यहीं बैठ जाता हूं।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : बड़ा अच्छा है....

(व्यवधान)

टोकन वाक आउट हो गया है। मैं भी वाक आउट करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम ही नहीं पड़ा है। यह क्या है ? वाक आउट कर जाते हैं। जब एक बात पर पहले ही वाक आउट कर जाते हैं तो दुबारा आकर उसी बात को फिर उठाते है। वाक आउट करने के बाद तो वह विषय ही समाप्त हो जाना चाहिए। दुबारा फिर

(श्री मदनसिंह दांता)

कोई आकर कहेगा । तिबारा आकर कहेगा । फिर तो सारा सदन वाक आउट में ही रहेगा । दूसरे महारावल साहब ने तो मानो कसूर किया है । आप सीधे ही कहते कि महारावल जी ने पंचों को चोर बताया। आप उन्हीं का नाम लेते । उनके साथ अगर आपकी कुछ हैं....

(व्यवधान)

इन्हें माफी मंगवाना है ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के आदमी न आंदोलन करते हैं, न भूख हड़ताल करते हैं, हमेशा सत्य का आग्रह किया है । यह झूठा आरोप इन पर लगाते हैं, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए खड़े होकर ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं मांगे ...

श्री मदनसिंह दांता : मांगेंगे ।

(व्यवधान)

यदि आप माफी नहीं मांगोगे तो असेम्बली में हां नहीं, असेम्बली के बाहर भी आओगे, और यह चीज हम लायेंगे । यह प्रोसीडिंग लायेंगे, यह कहकर महारावल साहब से टक्कर होने के कारण, सरपंचों को बदनाम करना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा । मैं यहीं बैठा हूं, माफी यहां नहीं मांगोगे तो बाहर मांगोगे । यह आपकी हठधर्मी है, माफी नहीं मांगोगे, असत्य के लिए ।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ।

श्री लक्ष्मणसिंह : पहले माननीय नेता महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें, उसके बाद में बोल लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गरीब-गरीब में पिछली सरकार ने किस प्रकार डिस्टिन्क्शन किया, एस. एफ. डी. ए. के नाम पर 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर, यहां के स्माल फार्मर्स थे उनको 25 पर्सेन्ट सब्सिडी मिली और मार्जिनल फार्मर्स को 33 पर्सेन्ट सब्सिडी मिलती थी । मेरी समझ में नहीं आता कि फार्मर्स में किस प्रकार का डिस्टिन्क्शन किया गया, उदयपुर के गरीब काश्तकारों को तो सब्सिडी मिल जाय और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ट्राइबल एरिया के काश्तकारों को नहीं मिले । उनको इस प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी गई । जब राजस्थान सरकार जनता पार्टी के हाथों में आई तो पूरे के पूरे 26 जिलों में एस. एफ. डी. ए. के अन्तर्गत जो सब्सिडी मिलती थी, एक साथ पूरे राजस्थान में देने की घोषणा की गई । इसका परिणाम यह निकला कि सन् 1971 से 1977 तक 6 वर्षों में केवल 6 करोड़ की सब्सिडी दी गई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और 78-79 में 8 करोड़ की सब्सिडी एक वर्ष में ही दी गई। इस वर्ष हम 15 करोड़ का एस्टीमेट लगाकर चल रहे हैं। वर्ष के अन्त तक 15 करोड़ की सब्सिडी देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर: बाढ़ में कितने मरे?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत सहानुभूति प्रदर्शित की गई। बहुत हमदर्दी दिखाई गई। मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन कर देना चाहता हूं। पिछले तीस वर्षों में यह हमदर्दी जुबान से निकल कर कागजों पर आई होगी, कागजों से मैदान में क्यों नहीं आई? यह जानने की कोशिश की जाय तो पता लगेगा कि जुबानी हमदर्दी जब भी और जहां भी अवसर मिला दिखाई गई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च, 1977 में छात्रावासों में स्टूडेण्ट्स की संख्या 5900 थी, दो वर्ष में यह बढ़कर 8711 हो गई, आप यह अन्दाज लगायें कि मार्च, 77 तक मैट्रिक पास स्टूडेण्ट्स की छात्रवृत्ति 57 हजार स्टूडेण्ट्स को मिलती थी, अब एक लाख के करीब हम दे रहे हैं। इसी आधार पर पोस्ट मैट्रिक में जहां 7200 छात्रों को दे रहे थे वहां हम 9600 को दे रहे हैं। इससे अन्दाजा लगायें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के सम्बन्ध में पहले किस प्रकार का डिस्टिंक्शन था और किस प्रकार का काम हुआ है।

अब मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि पहले जमीन के विषय में दावा दायर किया जाता था, अब एक एप्लीकेशन दी जाती है, अगर वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो तो अदालत उस पर कार्यवाही करती है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य सरकार की उपलब्धियां सुनना नहीं चाहते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ आरोप-प्रत्यारोप की बात सुनने के लिये यहां बैठे हैं, माननीय बजरंगलाल जी ने मेरे सचिव मीठालाल जी मेहता पर आरोप लगाये। यह दुर्भाग्य है कि इस सदन में जब से वे आए उस समय से उन्होंने तीन आदमियों को चुना, मीठालाल जी मेहता, टीकाराम जी पालीवाल और मास्टर आदित्येन्द्र। इन्होंने तीनों पर आरोप लगाये, मैं ऐसा समझता हूं मास्टर जी और पालीवाल जी

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा: बिल्कुल गलत है, हाउस में नहीं लगाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, श्री बजरंगलाल जी कह रहे हैं मैंने हाउस में नहीं लगाए, अच्छी बात है, हाउस के बाहर लगा ।

श्री वृद्धिचंद जैन : हाउस में कभी चार्ज नहीं लगाये ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में छपा, और एक दिन सदन में हो सकता है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उत्तर दिया या बजट के सामान्य वाद-विवाद का उत्तर दिया उस समय, आपने यह कहा था, मेरे राज में किसी मन्त्री पर चार्ज नहीं है तो आपने कहा था....

श्री बजरंगलाल शर्मा : चार मन्त्रियों पर आरोप लगाये थे, मास्टर आदित्येन्द्र का नाम शामिल था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इनकी आरोप लगाने की प्रवृत्ति है, आपने मीठालाल जी मेहता पर लगाये, मेरे पर आरोप लगाये, मैं उन सब का स्पष्टीकरण करूंगा तो काफी समय लग सकता है, एक ही बात जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने के लिये भारत सरकार को लिखा है, मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, उन्होंने लिखा कि इस प्रकार का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है । इसलिए यह सच नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके आरोपों की जांच देखिये । जिससे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं । मीठालाल जी मेहता पर चार जगह जमीन खरीदने के आरोप लगाए और अखबारों में छपा, उस समय जानकारी दी और आज भी जानकारी देना चाहता हूं ताकि सदन को सत्यता और असत्यता की जानकारी मिल सके ।

यह सही है कि मीठालाल मेहता के पिताजी एक पटवारी थे । इसमें न किसी को आपत्ति होनी चाहिए न किसी को आरोप लगाना चाहिए । यदि एक पटवारी का लड़का आई.ए.एस. में आ जाता है, तो यह प्रशंसा की बात है, गर्व की बात है, बार बार उनके पिता के लिए यह कहकर कि पटवारी का लड़का है ···

(व्यवधान)

मीठालाल मेहता का जन्म 1939 में हुआ है और जिन 4 जमीनों का उल्लेख आप कर रहे हैं, वह जमीनें पहले खरीदी गई । एक तो जनवरी, 1943 में जिस समय वह 4 वर्ष का था ···

श्री बजरंगलाल शर्मा : उनकी पत्नी की जमीन····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सुन तो लीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पत्नी की जमीन। आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही बात सुनने का साहस नहीं हो रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : निश्चित तौर से झूंठ बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके जितने चार्जेज हैं निश्चीविश्रस हैं, एक चार्ज भी सही नहीं है, मेरे पर आरोप लगाए, मीठालाल मेहता पर लगाए। जो सदन की परम्पराओं की बात करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सदन में अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी पहले सूचना देता है

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो वकील हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने रूल्स देखे हैं ? रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था है, मेरे ऊपर आरोप लगाये या सदन के किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगायें तो उन आरोपों की पूर्व में सूचना दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब मैं आरोप लगा रहा था तो उस समय आपको यह कहना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कोई सूचना नहीं दी फिर भी मैंने उन आरोपों को सुना। मैं कम से कम यह उम्मीद करता था कि मेरे जवाब को आप सुनेंगे।

(व्यवधान)

दूसरी जमीन भी 1943 में खरीदी जिस समय वह 4 वर्ष का था। तीसरी जमीन 1945 में खरीदी जिस समय मीठालाल 6 वर्ष का था, चौथी जमीन 1957 में खरीदी जिस समय मीठालाल 18 वर्ष का था। ऐसे झूंठे आरोप आज तक नहीं लगे, सारे आरोप झूंठे हैं····

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अब भी मैं चुनौती देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1964 के अवार्ड में जो फैसला हुआ उस फैसले का आरोप बजरंगलाल जी मुझ पर लगा रहे हैं। वह मुझे चरित्र सिखा रहे हैं, चरित्र सिखाने वाले गए। मैं इन्हें अपना छोटा भाई समझकर चल रहा था। एक बार छोटा भाई कह दिया उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। जितने अनर्गल आरोप लगाने हों, लगा दें। ये जो आज नेताजी बन गए हैं दिन में 50 बार मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे कि चरणसिंह को राजनारायण ने डुबो दिया, मुझे किसी तरह मंत्री बनालो ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि माननीय सदस्य सुनने को तैयार हैं, कोई ऐसा आरोप····

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन । यहां कहा गया है कि मैंने उनके पास जाकर कहा कि मुझे मंत्री बना दो····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा ।

श्री नत्थी सिंह : साबित करो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन की गरिमा के खिलाफ उधर से बात चल रही है ।

श्री नत्थी सिंह : आप झूंठ के आदी हैं, आप अपनी छाती पर हाथ रखकर कह दें कि कितने झूंठे हो, आप क्या करते हो, आप राजपूत हो ? आप राजपूत होकर झूंठी बाते कहते हो ?

श्री अध्यक्षः : कृपया शांत रहें ।

श्री नत्थीसिंह : आप इस तरह से हल्की बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देती ।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी स्थान ग्रहण करें ।

श्रीनत्थीसिंह : झूंठा आदमी मुख्य मंत्री बन गया, सच्चा आदमी मंत्री भी नहीं बन सकता ? यह मेरा हक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मथुरादास माथुर : क्यों मंत्री बनाने की बात करते हैं ? ये सभी मंत्री बनने को तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मन्त्री को एक बात पूरी और कह देनी चाहिये । आपने कितनी बार इनसे कहा कि बना दूंगा बना दूंगा, यह बता दो ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके हैं ..

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन इस बात को जानने में दिलचम्पी रखता है कि कितने और लोगों को मुख्य मन्त्री ने मन्त्री बनाने का आश्वासन दे रखा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य आरोपों का उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं। ये आरोप बेबुनियाद, मनगड़न्त और वैमनस्य से भरे हुए हैं, इन आरोपों में दम नहीं है, बिल्कुल मनगढ़न्त आरोप हैं। फिर भी जिस प्रकार की स्थिति मैंने सदन के सम्मुख रखी है उसके आधार पर सदन से निवेदन करूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें। विरोधी दल के नेता।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है और मैं समझता हूं कि उसका भी अभी करीब करीब अन्त आ रहा है। सदन के माननीय नेता महोदय ने जो बात कही है उसमें मुख्यत: एक बात उन्होंने कही कि अगर सत्ता, विरोधी पक्ष के हाथ में आ जायेगी तो विधान सभा पुन: भंग हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही होगा और क्या होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह एक दम तथ्य हीन बात है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप चाहते ही यही हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुमने बिहार में क्या किया?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के पास सत्ता जाने से आज दिन तक तो विधान सभा भंग नहीं हुई। शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो कि विधान सभा भंग हो जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्य मन्त्री) सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में हुई थी।

श्री मथुरादास माथुर : वह बात दूसरी है मुझे मालूम है।

श्री लक्ष्मणसिंह : सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में विधान सभा भंग हुई थी उसका मूल कारण भैरोंसिंह शेखावत हैं जो कि सुखाड़िया जी के एजेन्ट के रूप में काम करते थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुखाडियाजी ने महारावल साहब को पर्चेज किया और महारावल साहब ने उनको सदन का नेता बना दिया।

श्री मथरादास माथुर : यह बात हम को मालूम है कि किसने किसको पर्चेज किया।

श्री दिग्विजयसिंह : (कृषि मन्त्री) आप उसके दलाल थे क्या जो आपको पता है ?

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह ; अध्यक्ष महोदय श्री समरथलाल को पहले इन्होंने सुखाड़िया जी की तरफ डिफेक्ट कराया और फिर बाद में सुखाड़िया जी ने कहीं की ईंट कहीं का भाटा जोड़ा और भानुमति ने अपना कुनबा जोड़ा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान में वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय मेरे सम्बन्ध में इस सदन में बहुत सारी चर्चाएं हुई और काफी वाद-विवाद भी हो चुका है और होना भी चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे कांग्रेस आई में जाने की बात कही तो यह तो मेरे लिये विचारणीय प्रश्न है कि मैं किधर जाऊं और सदन के लिये हो सकता है यह चाहे आलोचना का विषय।

श्री कौशलकिशोर जैन : अभी तो पार्टी के हत्यारों के पास बैठे हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हरियाणा औरबिहार में तुमने हत्या की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर ; मुकदमे उठा रहे हो हरियाणा में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजिये। विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने कांग्रेस आई के सदस्यों को तोड़कर अपना बहुमत बनाया है। सदन में अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए इसके लिए चाहे कुछ भी हो मैं इसकी आलोचना करता हूं। इसके अलावा आपने प्रगतिशील दल के सदस्यों को भी अपनी तरफ तोड़ा....

श्री कौशलकिशोर जैन : आपने जनता पार्टी को तोड़ दिया उसकी आलोचना करो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम चुप रहो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक भी आदमी आपके साथ नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें कृपया स्थान ग्रहण करें। विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपने उनको तोड़ कर बहुमत सदन में करने की चेष्टा की उसकी आलोचना करना मेरा अधिकार है। उसके लिये संवैधानिक दृष्टिकोण सदन में रखना, जनतांत्रिक पद्धति के अनुसार आलोचना करना मेरा अधिकार है। आप भी जनतांत्रिक पद्धति से मेरी आलोचना करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि न तो आज विश्वास जनता पार्टी में है और न जनता एस में।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा (वित्तमन्त्री) : आपकी जनता एस तो डिजोल्व हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : आन ऐ पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय इन्हीं महारावल साहब ने प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं आदिवासियों को मरवाया गोलियां चलाकर। आपने प्रजा मण्डल के लोगों को पेशाब पिलाया है।

श्री श्योपतसिह मकासर : जब अध्यक्ष बने तब शरबत भी आपको ही पिलाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य नरेन्द्रपाल सिंह जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें।

श्री श्योपतसिह मकासर : जब अध्यक्ष थे तब शरबत पिलाया था ...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : आप जिस बात को कह रहे हैं वह नकारात्मक बातें कहते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नरेन्द्रपाल सिंह जी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ क्लेरिफिकेशन...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

विरोधी दल के माननीय नेता,

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहने तो जा रहा था बात सन् 1977 की ओर आ गयी बात सन् 67 की। उसके बाद माननीय सदस्य मेरे सामने जो बिराजमान हैं उन्होने सन् 47 और 45 की बात कही....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मैं सन् 1939 और 40 की बात कह रहा हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : सन् 77 में हम जेलों में सड़ रहे थे। और महारावल साहब अफ्रीका में शिकार खेल रहे थे....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें कोई नयी बात नहीं है सन् 47,45 और 40 में भी बातें हुई होंगी....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : ऐसे ही गोलियां चली थीं और उनके स्मारक अभी भी मोजूद हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल सारस्वत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ...

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री मदनसिंह दांता : पहले मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, सर। जब भी कभी ऐसे सख्त वर्डस बोले जाते हैं तो विपदा होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों तरफ से बातें नहीं होनी चाहिए। He started first आपको विपदा नहीं डालनी चाहिए। आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं। आप तो अपनी पालिसी के बारे में कहें।

कुछ माननीय सदस्य : यह आसन देख लेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बन्सीलाल सारस्वत।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने पूर्व में अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किये तत्पश्चात सत्ता पक्ष के सदन के नेता ने उनका उत्तर दिया। अब प्रत्युत्तर के रूप में विरोधी पक्ष के नेताजी कुछ कहना चाहते हैं और उनका जो स्कोप होगा वह केवल प्रत्युत्तर के रूप में उतना ही सम्बन्धित होगा जितना कि उत्तर दिया गया है। नये सिरे से ऐसे प्रश्न नहीं उठाये

(श्री बन्शी लाल सारस्वत)

जा सकते और सन् 70 और 77 की बात नहीं आनी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता।

श्री लक्ष्मण सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर के द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं विषयान्तर होऊं। जो मुद्दे उठाये जायें उन्हीं के सम्बन्ध में मैं उत्तर दूं और मेरे विचार व्यक्त करूं लेकिन विषयान्तर माननीय सदस्य अगर मुझे करने के लिए बाध्य करते हैं तो आखिरकार एक विधायक के नाते मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं उनका उत्तर दूं, खण्डन करूं, आलोचना करूं—यह मेरा अधिकार है। माननीय सदस्य जो मावली से पधारे हैं उन्होंने भी आरोप लगाया तो मैंने जो कुछ भी किया होगा सन् 47 या 40 में किया होगा। मैं विशेष समय सदन का नहीं लेना चाहता विषयान्तर होकर। अगर मैं गुनाहगार था तो उस समय मुझे गुनाहगार के रूप में सजा मिलनी चाहिए थी। आज जो मैं कहने वाला हूं पार्टीज में अलाइनमेंट है इधर के उधर और उधर के इधर हो जायें....

श्री माणकचन्द सुराणा : किया तो है। 47 से आप गये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : जनता पार्टी में आपसी फूट के कारण। अगर किसी पार्टी को इससे बल मिला है तो वह कांग्रेस (आई) को मिला है। आप उसको पसन्द करेंगे या नहीं करेंगे इसके ऊपर आप आपत्ति करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपने बल प्रदान किया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : You are the gang of criminals.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह भी कहूंगा कि दल बदल कोई जुर्म नहीं है। अगर माननीय सदस्य जो भीलवाड़ा से पधारे हैं वह भी कहते हैं कि दल बदलू हूं तो मैं आपकी तरफ से दल बदलू हूं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ...

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री लक्ष्मणसिंह : तीन दिन में एक भी सदस्य भूतपूर्व जनसंघ का सदस्य ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री ईश्वरचन्द्र : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। अभी हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने बड़ी अंसफुली यह तो स्वीकार किया कि उन्होंने 40 से 47 तक क्या किया।.....

(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह मकासर : भटनागर साहब जब आप अध्यक्ष थे तब तो पवित्र थे और अब यह गड़बड़ करने वाले हो गए।

(व्यवधान)

आपकी तरह इमर्जेन्सी के गीत गाये वह गीत नहीं गायेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको तो झूंठ बोलने की आदत है। आप हमेशा झूंठ बोलते हैं।

(व्यवधान)

आपको तो झूंठ बोलने की आदत है....

श्री भंवरलाल ऐरन: गीत गाये इन्दिरा गांधी के....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे 29 वर्ष के शासन में अगर गोलियां चलीं, अगर एक आदमी मर गया उसका मुझे दुःख है। मैंने बार बार इस चर्चा पर यही कहा लेकिन जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है वहां पर हड़तालें भी होती हैं, गोलियां भी चलती हैं...

(व्यवधान)

अगर मैं निकम्मा आदमी था, जनता में मैं घृणित होता तो वहां से बार बार चुन-कर भी नहीं आता....

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, आपने अत्याचार किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : लोकसभा के चुनाव के समय आप कहां गये थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय श्री दाऊ दयाल जी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवरंगसिंह : लोकतंत्र के हत्यारे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह : अपना तो यह कर्त्तव्य है कि अविश्वास प्रस्ताव लावें और आज का जो अल्पमत है वह कल का बहुमत हो और आज का जो बहुमत है वह कल का अल्पमत हो....

कई माननीय सदस्य : नहीं होगा।

कई माननीय सदस्य : होगा।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : तीन महीने में पता पड़ जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : अविश्वास प्रस्ताव आया है। स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार, हमारे विरोध के कारण विधायकों की यह पूछ हुई है। उस विरोध के नाते, सदन के माननीय नेता मुख्य मन्त्री हर एक विधायक के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं....

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : भोंपू।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके फलस्वरूप आज विधायकों की पूछ हुई है....

(व्यवधान)

हमारा कर्त्तव्य है, सब सुनें। दिल खोल कर सुनें। विरोधी पक्ष का कर्तव्य है जनतंत्र में शासन पक्ष पर अंकुश लगाना। अंकुश लगाकर शासन पक्ष की कमियों को बताकर उसको सजग करे। शासन पक्ष की गलतियां सामने आयें और कुशासन के स्थान पर सुशासन लावें, अगर नहीं आवे तो उस शासन को अल्पमत में आकर हट जाना चाहिये। यह सदन सक्षम है। बिहार में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हर एक मुख्य मंत्री आता है वह कोई 5 वर्ष का लाइसेन्स लेकर नहीं आता है। अगर उनका अल्पमत होता है तो उनको जाना पड़ता है। विरोधी पक्ष का यह पावन कर्त्तव्य है कि शासन को गिराये और बहुमत प्राप्त करके शासन करे। यह तो जनतंत्र का सिद्धान्त है....

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : भोंपू....

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर व्यवधान करते हैं तो मैं अपना भाषण जारी नहीं रख सकता और आपका प्रोटेक्शन भी सीक करना नहीं चाहता। क्योंकि यह अविश्वास का प्रस्ताव है इस पर उग्रता तो स्वाभाविक है। अगर सदन मेरी बात नहीं सुनना चाहता तो अधिकार है। सदन के माननीय नेता महोदय के भाषण पर आपत्ति का तो विपक्ष को भी अधिकार है....

श्री ईश्वरचन्द्र : आप उत्तर दीजिये न।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत नेता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हाउस के आप नेता हैं। आपकी साइड के सदस्यों को रोकें।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो हम अविश्वास प्रस्ताव को लाये हैं। उसके कारण हैं और उसके कारण जो कुछ थे, मैं कह चुका हूं। अब मेरा यह दृढ़ अभिमत है कि यह सरकार....

श्री खेतसिंह राठोड़ : गिरेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : निकम्मी है। इसने सुशासन नहीं दिया, इसने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसान विरोधी है। अगर इसने भला भी किया हो तो इसकी उपलब्धियां कतई नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता, मैं इन्कार नहीं करता लेकिन हमको प्रोस एण्ड कान्सीक्वेन्स को तोड़ना चाहिये और यह मत-मतान्तर का सदन है। मैं निश्चित रूप में कहना चाहता हूं कि आज किसान परेशान है, मध्यम श्रेणी का गरीब परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, आज मजदूर परेशान है और इस बड़ी परेशानी का मूल कारण बढ़ती हुई महंगाई है....

(व्यवधान)

श्री हरचन्दसिंह : भोंपू ...भोंपू ...

श्री लक्ष्मणसिंह : आप यह नहीं कह सकते कि मैं जनता पार्टी का आभारी नहीं हूं। मैं जनता पार्टी का भी आभारी हूं, जनता पार्टी के टिकट पर चुना गया हूं और मैं सदन का भी आभारी हूं, उसने मुझे अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद निर्दलीय रूप में अध्यक्ष के आसन पर बैठा हूं। अगर सरकार की त्रुटियां हों तो सरकार में रहकर भी कर सकता हूं लेकिन अध्यक्ष जैसे गरिमा के पद पर रह कर नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मुंह पर सवा मन का ताला लगा हुआ था। अगर आप कहें कि मैंने फलां फलां गलती की है तो उसको भी सुनने को तैयार हूं, सुनायें तो आपकी इच्छा और आप सुनें तो भी अच्छा।

मैं कहना चाहता हूं आज डीजल नहीं मिलता, आज सीमेंट नहीं मिलती, आज बिजली नहीं मिलती और आज किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता। जब फसलें पकती हैं तो बाजार में भाव एकदम गिर जाते हैं और खरीददारी करने के बाद फिर बढ़ जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तिली और अफीम की गड़बड़ी है। आपाधापी है और उसमें ठेठ सी. बी. आई. की जांच हुई लेकिन जांच होकर रह गई, परिणाम नहीं निकला। आज गन्ने का उत्पादन बढ़ा लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं, केवल एकमात्र शूगर फैक्ट्री भोपाल सागर में है लेकिन उसके उठाने में भी देर करना, मजदूरों को उनकी उजरत भी नहीं देना, किसान को गन्ने की उचित कीमत नहीं देना। कोई शिकायत भी करें तो सुनवाई नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे यह कहने में कोई पशोपेश नहीं है कि यह सरकार किसान विरोधी है। भीलवाड़ा से लगाकर एम.पी.

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के रास्ते में हजारों भेड़ें आती हैं और खड़ी फसलों को चर जाती हैं, बहुत नुकसान कर जाती हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : भीलवाड़ा में तो आपके शिवचरण जी माथुर ने लोगों को मरवा दिया....

(व्यवधान)

भीलवाड़ा में उकसा कर 6 लोगों को मरवा दिया....

श्री लक्ष्मणसिंह : आज से कांग्रेस का राज्य अच्छा था। चाहे वह दूसरा शासन था, चाहे सुखाड़िया शासन हो और चाहे कोई शासन हो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उनका शासन अच्छा था....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : ये गुलाम हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य शांति रखें।

श्री हरचन्दसिंह : भोंपू ...भोंपू....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें ...

श्री लक्ष्मणसिंह : यह मेरा वायदा है....

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन....

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मदनसिंह दांता : बजरंगलाल जी मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ...

(व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन....

(व्यवधान)

ये अध्यक्ष रहे हैं। आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन।

श्री परसराम मदेरणा : आप उनको बोलने दीजिये, फिर आप भी अपनी बात कह देना। आप पर तो कोई एलीगेशन लगे नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ, शासन का काम आपका नहीं है। वे स्वयं देख लेंगे....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हाउस की हत्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दांता साहब, आप बिराज जाइये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बिठा दीजिते इनको।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक ताज्जुब की बात सुनी, इसलिये पाइन्ट आफ इनफार्मेशन उठाया है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बैठिये, बैठिये....

श्री मदनसिंह दांता : मुझे ये नहीं बिठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसी आसन के लिये चुने गये थे और कहा था कि हम दूसरी आजादी ला रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे है कि इन्दिरा का नेतृत्व पसन्द नहीं करें, वह आप कह रहे हो, दुःख की बात है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बात कहूं, उसको नहीं सुनें, सदन का अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनका नेतृत्व तो बहुत मानेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी बात को ठुकरा दें लेकिन जो चीज अच्छी लगी, उसको कहूंगा। मेरा यह अनुभव है कि विरोधी पक्ष के विधायक के नाते इस सदन में मैं सुझाव देता था। शासन पक्ष की तो कम से कम दस में से 6 बात मानी जाती थी और अगर मानी जाती तो उसकी क्रियान्विति भी होती थी। जब मैंने यह देखा मेरी बात....

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस समय तो सेन्ट पर्सेन्ट बात मानी जाती थी।

श्री लक्ष्मणसिंह : शासन पक्ष में होकर के सर्वोच्च, सम्माननीय स्थान के ऊपर बिठा करके अगर उनकी तरफ से मुझे सुझाव आते तो मैं समझ सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सदन के माननीय नेता महोदय द्वारा मुझे यह कह दिया जाता कि तुम्हारी मांगें इन इन कारणों से अनुचित हैं तो मैं समझ सकता था कि यह एक बात है। लेकिन जितनी बातें मैंने कहीं उनका न तो एक भी उत्तर दिया गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो एक ही मांग थी कि मैं त्याग पत्र देकर मुख्य-मन्त्री पद पर आपको बिठा दूं, वह पूरी नहीं हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह भी आपके हाथ में है क्या ? यह भी मुख्य मन्त्री के हाथ में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपके हाथ में नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने एक भी विधायक को नहीं कहा कि मुझे विरोधी दल का नेता बनाना है। लेकिन अगर शासन में त्रुटियां हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मुझे अधिकार है उसकी आलोचना करने का और जब मैंने देखा कि जिस तरह से मास्टर आदित्येन्द्र का अपमान हुआ, जिस तरह से विज्ञान मोदी को निकाला गया जिस तरह से....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस्तीफा दिया है उन्होंने।

श्री लक्ष्मणसिंह : जिस तरह से प्रोफेसर केदार को अपमानित किया गया ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : No. No.

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि यदि मैं विवादास्पद रूप में अध्यक्ष पद पर बैठता हूं तो मेरे जैसे दस, आयेंगे और जायेंगे, उसमें कोई बात नहीं लेकिन मुझे पद लोलुपता नहीं। एक अध्यक्ष के पद की गरिमा का ख्याल करके....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : आपको तो पद लोलुपता ही थी ...

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : आप तो बिके हुए हो। आप तो बिके हुए हो मंत्री पद के नाम पर ...

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मन्त्री जी ने पचास विधायकों को आश्वासन दिया कि मन्त्री बनाऊंगा। अगर यह होता है मुख्य मन्त्री जी, राजस्थान के मन्त्री मण्डल में 77 सदस्यों का मन्त्रिमण्डल होगा तो हरियाणा के कीर्तिमान को भी भैरोंसिंह जी साहब आप तोड़ देंगे। लेकिन याद रखियेगा यदि मन्त्री मण्डल का विस्तार हुआ तो उसमें एक ऐसा विस्फोट पैदा होगा कि सबको सन्तोष ये नहीं दे सकेंगे। असन्तोष होगा तो वे असन्तुष्ट हमारे साथ आकर बैठेंगे। उनका निर्वाह आपके साथ नहीं होगा। आप लोग मन्त्री बन जायेंगे लेकिन मेरी बात याद रखना हमारे साथ आ करके बैठोगे वह दिन दूर नहीं रहने वाला है।

श्री कौशलकिशोर जैन : अंगूर खट्टे हैं।

(व्यवधान)

आप नहीं बोलेंगे यह भी ध्यान रखिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में नहीं बोलें। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चर्चायें हुई। कई तरह के वाद उत्पन्न हुए। जातिवाद, साम्प्रदायवाद, मैं समझता हूं कि जनतन्त्र की गरिमा के लिए महान अशोभनीय है। इसका विरोध किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं सबको अपना मित्र मानता हूं और समान दृष्टि से देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी भी ऐसा ही करते होंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ता कि ऐसा है।

(व्यवधान)

मेरे पीछे भी बैठे हुए विधायक यह कह रहे हैं कि मेरी लम्बी चौड़ी रामायण की दास्तान का अब अन्त कर दूं। तो मैं माननीय सदस्यों से पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि खास करके और मेरी विचारधारा के मेरे साथियों को कि आप इस दल के अन्दर, इस टूटती हुई जनता पार्टी में नहीं रह सकते। हम दल बदलू नहीं है।

(व्यवधान)

सरकार बदलू हूं। हम सरकार को बदल कर रहेंगे और अगर दल बदलू की श्रेणी में मोरारजी भाई या जगजीवनराम जी ये बड़े-बड़े नेता भी आते हैं तो उसमें दल बदलू वे भी कहलायेंगे और देश के हित में अगर दल बदलना भी पड़े तो इतना साहस मेरे में है। मैं खड़ा होऊंगा और कहूंगा मैंने दल इन-इन कारणों से बदला है। मैं बैरी नहीं हूं। बैरी तो वे हैं जो ख्वामख्वाह बकवास उठाते हैंकि दल बदला। लेकिन दल बदल करके या दल नहीं बदल करके जब जनता के सामने दिसम्बर में खड़े होंगे तो फैसला होगा...

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई नहीं देंगे वोट।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : भोंपू....भोंपू....?

श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें कौन सी बुरी बात हुई है। कभी गाड़ी नाव में और कभी नाव गाड़ी में। यह तो चलता रहेगा लेकिन मुझे यह लगता है कि यह सरकार भैरोंसिंह जी साहब की दो तीन महीने की पावणी है या नहीं है। अगर यह रह जाती है तो हम विरोध में बैठेंगे। आपको नहीं सुनना हो तो मत सुनना और अगर यह नहीं हुआ तो जो स्वाभाविक जनतांत्रिक प्रक्रिया है वह होगी। अतएव दोस्तों हमारी तरफ आ जाओ। मैं आपको फिर बुलाता हूं और इस सरकार को गिरा करके मेरे प्रस्ताव को सफल करो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । कृपया शान्त रहें। प्रश्न यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ?

श्री विज्ञान मोदी : प्वान ए पाइन्ट आफ आर्डर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : बड़ी भारी दुर्घटना हुई है। जो मन्त्री यहां आसन पर विराजमान हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पैरों पर है।:.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मैं एक बार फिर से...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है अविश्वास प्रस्ताव पर डिवीजन कराने के पूर्व हमारा आपसे यह अनुरोध है कि इस राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा के सदस्यों पर पूरा आतंक, डर बिठाया गया है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बार जब प्रस्ताव पर विभाजन का निर्णय हो चुका है तो उसके बाद उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मांग है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सीक्रेट बैलेट कराया गया है, उसी प्रकार सीक्रेट बैलेट कराया जाए...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पास बहुमत है तो डरते क्यों हो? इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : गुप्त मतदान कराया जाए । अध्यक्ष महोदय, गुप्त मतदान होने से माननीय सदस्य आजादी से मतदान कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री लक्ष्मणसिंह : यह अप्रजातान्त्रिक है। यह सरकार भ्रष्ट, अधिनायकवादी सरकार है । मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि जनतन्त्र की परम्परा, मान्यताओं के अनुसार आप व्यवस्था करें ।

श्री मथुरादास माथुर : आप सीक्रेट बैलेट का प्रस्ताव मान लें ।

श्री हरिदेव जोशी : हम भी सीक्रेट मतदान चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको दुबारा रख रहा हूं ...प्रश्न यह है कि

श्री लक्ष्मणसिंह : प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के अनुसार सीक्रेट बैलट कराया जाय। यह हमारी मांग है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को दुबारा से रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ।

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : गुप्त मतदान के सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आप राठोड़ी कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदस्यों को घेरा जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है ...

(व्यवधान)

अगर आप सीक्रेट बैलट नहीं करवाते हैं तो एक प्रकार से यह निवेदन करता हूं कि आप सीक्रेट बैलट की हमारी मांग को मानें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसको डिवीजन के लिए रख रहा हूं ..

श्री हरिदेव जोशी : We want secret ballot.

श्री शंकरलाल : सीक्रेट बैलट ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मत विभाजन के लिए घंटी।

(मत-विभाजक-घंटी)

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिक्रेट बैलट जनतंत्र की पद्धति है, आप हमारी मांग को ठुकराते हैं तो इस पर हमें घोर आपत्ति है और हम रोष प्रकट करते हैं, असन्तोष व्यक्त करते हैं और मैं मेरे दल के सदस्यों के साथ इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं....

(बहिर्गमन)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सीक्रेट बैलट की हमारी उचित मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सत्ता पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। वह जनतंत्र की हत्या करना चाहता है इसलिए इसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री के पास में बहुमत है तो फिर उनको सीक्रेट वोट लेने में क्या खतरा था ? तमाम लोगों को दबाव से इकट्ठा किया गया है। सीक्रेट बैलट से उनकी पोल खुल जायेगी। इसके विरोध में मैं और मेरी पार्टी के सदस्य वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सीक्रेट बैलट की मांग स्वीकार नहीं करने के कारण मैं भी इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रजातंत्र की बातें करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी, मैं माननीय जनता पार्टी के सदस्यों से कहना चाहूंगा अभी मुख्य मंत्री जी को भरोसा नहीं है तुम्हारे पर। यह ठीक है कि कुछ बहुमत के आधार पर या खरीदे वोटो पर कुछ भी कर सकते हैं मगर भैरोंसिंह जी आप उस नाव पर बैठे हैं जिसमें ऊंट और बन्दर दोनों सवार हैं। बन्दर की आदत है वह ऊंट पर चढ़ेगा और शरारत करेगा तो निश्चित रूप से नाव पार नहीं जायेगी इसलिए अभी पहली घंटी बजी है दूसरी और तीसरी घंटी में ठीक हो जायेगा। मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री हरीश शर्मा : रावण की सेना जा चुकी है। राम की विजय हुई है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन का सदस्य हूं और मैं पहले ही बता चुका हूं मैं न सरकार गिराने में हूं न जिताने में। इसलिए मैं निष्पक्ष हूं। मैं किसी के वोट में शामिल नहीं होऊंगा, यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परन्तु आप आसन द्वारा कोई चीज कह चुके उसके बाद में यहां गम्भीरता तो नहीं रही है।

(154)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहूंगा यहीं पर काउंटिंग हो जायं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हों वे कृपया खड़े हो जाय।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आपकी वर्डिंग क्या थी गिनती के लिये उठे या बैठे रहें।

यह टिक मार्क पत्रकारों के सामने हो रही है। आप कमरे में जाकर क्यों नहीं टिक मार्क कराते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका कारण है।

श्री मदनसिंह दांता : They are not part of it now.

असेम्बली में ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि आज संपूर्ण प्रजातन्त्र को इस तरह खतम करके, जहां आप बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब क्या है ? इसलिए यह असेम्बली डिजोल्व होगी, पब्लिक ऐसे लोगों को चुन कर भेजेगी ताकि मेरे जैसे को यह देखना न पड़े। मैं यह सही कह रहा हूं। यह मैं परसों सिद्ध करूंगा। आज तो क्या करूं। आप तो भी कम से कम यहां नहीं रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हां पक्ष एक भी वोट नहीं, ना पक्ष 115, तटस्त 2।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा आब्जेक्शन है। यह झूठी गिनती है। फिर होनी चाहिये गिनती।

श्री अध्यक्ष : ना पक्ष जीता। प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही 3 अक्टूबर, 79 को प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.30 बजे बुधवार दिनांक 3 अक्टूबर, 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)